वर्ष २
खण्ड १

भविष्य

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक

संख्या २
पूर्ण संख्या ५२

यूरोप की वे सात सुन्दरियाँ, जो सौन्दर्य-प्रतियोगिता में भाग लेने के अभिप्राय से टेक्सा गई हैं। (बाँई ओर से) मिस नॉरबर्ग (स्वीडन), मिस फ़ाईबर्ग (जर्मनी), मिस जॉन्सन (नॉर्वे), मिस महमाइस (फ़्रान्स), मिस शेंज़ (ऑस्ट्रिया) और मिस दूचावीं (बेल्जियम)

६॥) में एक वर्ष 'चाँद' पढ़िए; और हर महीने पुरस्कार लीजिए !

क्या आप के ग्राहक हैं ?

यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइए !

क्योंकि

अक्टूबर मास से 'चाँद' में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया है जो किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जैसे :-

१—'चाँद' का सम्पादन इङ्गलैण्ड, जर्मनी, फ़ान्स आदि देशों के बढ़िया से बढ़िया मासिक पत्रों के ढङ्ग पर होने लगा है।

२—'चाँद' में हर महीने से सिनेमा तथा रङ्गमञ्च सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र प्रकाशित होने लगे हैं।

३—'चाँद' में वैज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नया स्तम्भ खोल दिया गया है।

४—'चाँद' में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टैण्डर्ड और भी ऊँचा कर दिया गया है।

५—'चाँद' की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर दिए जायँगे।

६—'चाँद' में जो सबसे बड़ी नई विशेषता है, वह है इसका 'पुरस्कार-प्रतियोगिता' विभाग। 'चाँद' में प्रतिमास एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके हल करने वाले ग्राहक को पुरस्कार दिया जायगा। अक्टूबर के 'चाँद' में ही एक खाना-पूर्ति (Cross-word puzzle) निकला है, जिसके सही उत्तर देने वाले को १५) का पुरस्कार मिलेगा। नवम्बर के विशेषाङ्क में भी पुरस्कार के लिए एक पहेली रहेगी। परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार केवल 'चाँद' के रजिस्टर्ड ग्राहकों को ही मिलेगा।

आज ही अक्टूबर का 'चाँद' मँगा कर पढ़िए और स्थाई ग्राहकों में नाम लिखा लीजिए !

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक—इलाहाबाद
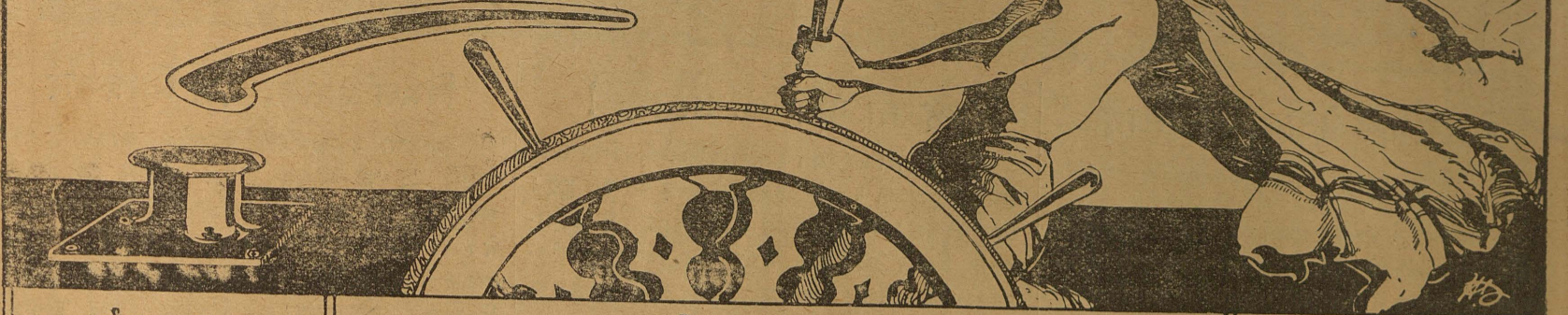
वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद—सोमवार ; १२ अक्टूबर, १९३१ | संख्या २, पूर्ण संख्या ५२

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में जाने वालों से--

[मौलाना 'जोश' साहब बङ्गलोरी]

मिटा कर तफ़रक़े[१] आपस के होकर इकज़बाँ कहना,
जो टूटा हिन्द पर जौरो सितम[२] का आसमाँ कहना !
हुई सरज़द[३] जो इनसे आज तक बदनज़्मियाँ[४] कहना !
अरे ऐ जाने वालो, दर्दे दिल की दास्ताँ कहना !
सितम गुलचीं के कहना और जफ़ाए बाग़बाँ कहना !!

रहो साबित क़दम और अज़्म[५] से पहले क़सम खा लो,
.खुसूमत[६] का जो ज़ज़्बा[७] है उसे दिल से मिटा डालो !
कहीं उनकी .खुशामद पर न अपना सर झुका डालो !
सयासी[८] मसअलों[९] पर ग़ौर करना ऐ वतन वालो !
यहाँ की कशमकश कहना, यहाँ की सख़्तियाँ कहना !!

हमारीं हक़परस्ती[१०] के जहाँ में होंगे अफ़साने,
न छेड़ो हमको, हैं हम शम्अ हुर्रियत[११] के परवाने !
नहीं मालूम आख़िर हश्र[१२] क्या होगा .खुदा जाने !
जुनूँ[१३] के जोश से बेख़ुद हैं आज़ादी के दीवाने !
उड़ाते फिरते हैं दामन की अपने धज्जियाँ कहना !

चमन जब से हुआ ताराज[१४] दिल अफ़गार[१५] रहते हैं,
ख़िज़ाँ जब से कि आई है बरङ्गे ख़ार रहते हैं !
हमेशा यास[१६] से वह सूरते बीमार रहते हैं !
क़फ़स[१७] में अब असीराने-क़फ़स बेज़ार रहते हैं !
ख़िज़ाँ का लुत्फ़ देती है बहारे बोस्ताँ[१८] कहना !!

जिन्हें दावा है आज़ादी का, हैं वह .खुदसिताई[१९] में,
अभी इस्लाह की हाजत है उनकी रहनुमाई में !
अजब इन्साफ़ देखा हमने इस फ़रमाँ-रवाई[२०] में !
जवाँमर्दाने सरहद मर गए क़ौमी लड़ाई में !
पेशावर के पठानो पर चलाई गोलियाँ कहना !!

बड़ा अन्धेर है बर्बाद अपना गुलिस्ताँ[२१] करना,
बनारस ढाका वो कश्मीर को वक़्फ़े ख़िज़ाँ करना !
और इनको ख़ानुमाँ बर्बाद करना नीमजाँ करना !
ज़रा मदरास व शोलापूर के क़िस्से बयाँ करना !
हमारा सब्र कहना और पुलिस की सख़्तियाँ कहना !

बहुत ही हौसला फ़र्सा[२२] हैं अपने बेहिसी[२३] के दिन,
तशद्दुद के, सितम के, मुफ़लिसी के, बेकसी के दिन !
न पछो इससे बढ़ कर और क्या हैं वेबसी के दिन !
मुसीबत झेलते हैं, काटते हैं ज़िन्दगी के दिन !
सयासी क़ैदियों पर जेल की पाबन्दियाँ कहना !!

ख़ताकारों में सबसे पहले अपने नाम होते हैं,
जफ़ा की तेग़ चलती है, सितम के काम होते हैं !
हमारे दरपये[२४] आज़ार क्यों हुक्काम होते हैं ?
किसानों की ज़मीनों पर यह क्यों नीलाम होते हैं ?
ज़बरदस्ती उजाड़ी जा रही हैं बस्तियाँ कहना !!

हज़ारों इस तरह के और भी उजड़े गुलिस्ताँ हैं,
कि 'हिन्दी ग़मज़दा' की जान पर आफ़त के सामाँ हैं !
वफ़ूरे[२५] जज़्बए जौरो सितम से अब परीशाँ हैं !
उजाड़े गाँव लाखों ख़ानुमाँ बर्बाद देहक़ाँ[२६] हैं !
तशद्दुद की गिराईं ख़िरमनों[२७] पर बिजलियाँ कहना

हवाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते,
बलाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते !
फ़िज़ाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते !
जफ़ाएँ रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते !
क़रीब मञ्ज़िले मक़सूद है अब कारवाँ[२८] कहना !!

ज़रर[२९] है और भी बहरे नुमायश[३०] आपका जाना,
मज़ा जब है कि आज़ादी लिए हिन्दोस्ताँ आना !
वगरनः जौहरे मरहूम[३१] के जैसा है मर जाना !
गए हो तो, मगर देखो वतन की आबरू लाना !
यह पैग़ामे वतन है, इसको तुम ऐ मेहरबाँ कहना !!

कहो, हम मीठी बातों पर न आएँगे, न आएँगे,
है दिल में जोशे आज़ादी न मानेंगे, न मानेंगे !
वतन को हाथ ख़ाली हम न जाएँगे, न जाएँगे !
तुम्हारे अहदोपैमाँ को न मानेंगे, न मानेंगे !
हुकूमत अख़्तियारी चाहते हैं नौजवाँ कहना !!

१—भेद, २—अत्याचार, ३—की गई, ४—कुप्रबन्ध, ५—यात्रा का विचार, ६—शत्रुता, ७—भाव ८—राजनीतिक, ९—प्रश्न, १०—ईमानदारी, ११—स्वतन्त्रता के परवाने, १२—परिणाम, १३—पागलपन, १४—बर्बाद, १५—फटा हुआ, १६—नैराश्य, १७—पिंजड़ा, १८—बाग़, १९—आत्मश्लाघा, २०—राज्य, २१—बाग़, २२—हौसला बढ़ाने वाले, २३—काहिली, २४—अत्याचार-परायण, २५—अधिकता, २६—किसान, २७—खलिहान, २८—यात्रिदल, २९—नुक़सान, ३०—दिखाने के लिए, ३१—स्व० मौलाना मुहम्मदअली।

गोलमेज़ से नेताओं की निराशा

श्री० टण्डन जी का वक्तव्य

'भविष्य' के इन्हीं स्तम्भों में पाठक अन्य छोटे-मोटे नेताओं ही के नहीं, बल्कि गोलमेज रूपी माया-जाल के सम्बन्ध में स्वयं महात्मा गाँधी का निराशा-जनक वक्तव्य पढ़ चुके हैं। महात्मा गाँधी के अतिरिक्त (भूतपूर्व) प्रेज़िडेण्ट पटेल, डॉक्टर किचलू, पं० जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्रसाद तथा वर्तमान राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने भी एक स्वर से इस गोरख-धन्धे की निन्दा तथा अपनी निराशा प्रकट की है। ६वीं अक्टूबर को इलाहाबाद की श्री० तसद्दुक़ अहमद शेरवानी के सभापतित्व में होने वाली एक बृहत् सार्वजनिक सभा में
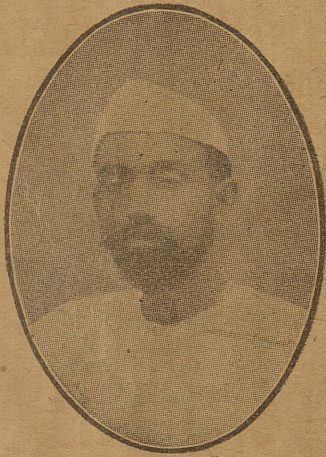
त्याग-मूर्ति श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन

व्याख्यान देते हुए त्यागमूर्ति श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "गोलमेज़ परिषद् केवल एक ढोंग है, जैसा कि कॉङ्ग्रेस के अनुयायी पहिले से ही समझे बैठे थे।" 'गोलमेज़' से आपने कहा हमें कुछ भी आशा न करनी चाहिए। अपने देशवासियों से अपील करते हुए आपने पग-पग पर युद्ध प्रारम्भ होने की शङ्का प्रकट की और देशवासियों से प्रत्येक क्षण उस विषम परिस्थिति का मुक़ाबला करने को तैयार रहने का आदेश दिया; जो निकट भविष्य में उपस्थित होने वाली है और जो अनिवार्य है।

—बङ्गाल गवर्नमेण्ट ने श्री० ज्ञानाञ्जन नियोगी लिखित और देशबन्धु-ग्राम-संस्कार समिति द्वारा प्रकाशित "बस यही भारत है" नामक पुस्तक ज़ब्त कर ली है। कहा गया है कि इसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, जो दफ़ा १२४-ए के अनुसार दण्डनीय हैं।

—बम्बई के विल्सन कॉलेज के होस्टल में श्रीमती लीलावती चिटनिस, कॉलेज के कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री० एम० एन० राय के मुक़दमे की पैरवी के लिए चन्दा एकत्र कर रही थीं और एम० एन० राय के लाकेट बेच रही थीं। कॉलेज के अधिकारियों ने उन लोगों से यह कार्य बन्द करने और होस्टल के बाहर जाने के लिए कहा। इस पर सारे विद्यार्थी होस्टल से निकल आए और उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बहुत भीड़ एकत्रित हो गई।

श्रीमती चिटनिस और विद्यार्थियों ने काफ़ी चन्दा एकत्र कर लिया है।

महात्मा गाँधी की निराशा !

ग़ैर-सरकारी अल्पमत कमिटी की कॉन्फ़्रेन्स सोमवार ६वीं अक्टूबर को ३ बजे दोपहर के बाद आरम्भ हुई। आज की बैठक में प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी स्थिति का वर्णन किया और विशेषतः प्रतिनिधित्व की प्रतिशत संख्या, महत्व और सीटों के संरक्षण के प्रश्न पर मुबाहसे हुए।

गाँधी जी खीझ उठे

अन्य साम्प्रदायिक नेताओं के अभिभाषणों के बाद महात्मा जी की बारी आई। अनेक अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की पृथक् निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व की माँग पर महात्मा जी खीझ उठे और उन्होंने कहा कि विशेष अधिकारों की माँग के बाहुल्य से तो मैं आजिज़ आ गया हूँ। आपने कहा कि यद्यपि मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों के हल में सहायता कर सकता हूँ, किन्तु मेरा कॉन्फ़्रेन्स से यह कहना है कि वह चाहे तो मेरी जगह पर कोई दूसरा चेयरमैन चुन ले, क्योंकि मुझे यह कहने में ज़रा भी शर्म नहीं मालूम होगी कि मैंने प्रयत्न किया, किन्तु असफल रहा। आगे चल कर महात्मा जी ने मित्रता के भाव की आवश्यकता बतलाते हुए कहा कि कॉन्फ़्रेन्स यदि आवश्यक समझे तो इस मसले के हल के लिए और अधिक समय ले सकती है। परन्तु मैं मूल सिद्धान्तों पर झुकना नहीं चाहता। भारतीय कॉङ्ग्रेस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को कभी स्वीकार नहीं करेगी और यदि उसने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया, तो वह अपने नाम को कलङ्कित कर देगी। अन्त में महात्मा जी ने कहा कि यदि बृहस्पतिवार तक कोई समझौता न हुआ, तो मैं मि० मैकडॉनल्ड को बतला दूँगा कि मैं अपने प्रयत्न में असफल रहा।

बाद का समाचार है कि महात्मा जी के लाख प्रयत्न करने पर भी साम्प्रदायिक समझौता नहीं हो सका, जिससे महात्मा जी को घोर निराशा हुई है।

—आसाम कौन्सिल में मन्त्रियों का वेतन घटा कर २,०००) रु० कर देने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

—बरीसाल (बङ्गाल) की ख़बर है कि बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य श्री० निर्मल रञ्जन दास गुप्त खुलना मेल स्टीमर पर पिरोजपुर नामक स्थान की यात्रा कर रहे थे। रात के तीन बजे पुलीस के दो सब-इन्स्पेक्टरों ने कितने ही कॉन्स्टेबिलों और ख़ुफ़िया वालों के साथ उनको जगा कर तलाशी ली। उनके बक्स और बिस्तर को बहुत ढूँढ़ा गया, पर कोई आपत्तिजनक चीज़ न मिल सकी।

—ढाका का समाचार है कि कुछ दिन हुए कि ख़ुफ़िया पुलिस का एक कॉन्स्टेबिल 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के एक हॉकर के घर में भरी हुई रिवॉल्वर लेकर घुस गया और उसे धमकाने लगा। इस पर आस-पास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसे पकड़ कर रस्सी से बाँध दिया। इसकी सूचना थाने में भेजी गई और वह गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने अपने बचाव के लिए कहा कि लोगों ने मुझे मारा और रिवॉल्वर छीन लिया है। पर पुलिस इन्स्पेक्टर श्री० राधाचरण दास असली रहस्य समझ गए और उन्होंने उस पर मुक़दमा दायर कर दिया। अभी मामले की जाँच हो रही है।

विमल प्रतिभा देवी गिरफ़्तार

कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता डॉ० बनर्जी की पत्नी श्रीमती विमल प्रतिभा देवी दूसरी अक्टूबर को दो नवयुवकों के साथ गिरफ़्तार की गई हैं। ये गिरफ़्तारियाँ नगर के उत्तरी भाग में हुईं पहले एक दूकान में सशस्त्र डाका डाला गया था। कहा जाता है कि विमल प्रतिभा देवी की गिरफ़्तारी इस घटना में भाग लेने के सन्देह में हुई है। समाचार मिला है कि ये अपनी मोटर में जा रही थीं जबकि कई नवयुवकों ने पिस्तौल दिखा कर उनको रोका और गाड़ी पर

श्रीमती विमल प्रतिभा देवी

चढ़ गए। इसके बाद गाड़ी पूरी तेज़ी के साथ चला जाने लगी। पर सड़क की मरम्मत होने के कारण उसको रुकना पड़ा। नवयुवक गाड़ी से उतर कर भागे पर दो तुरन्त पकड़ लिए गए। शेष का पता नहीं है। विमल प्रतिभा देवी भी गाड़ी से उतरीं और गिरफ़्तार करके हवालात में भेज दी गईं। यह भी ख़बर है कि गिरफ़्तारी के मुक़ाम के पास ही नवयुवकों के पास से डकैती का माल रिवॉल्वर और कुछ कारतूस मिले हैं।

--ए० प्रे०

कुमिल्ला में महिलाओं की तलाशी

कुमिल्ला में गर्ल्स एच० ई० स्कूल की दो छात्राओं—श्रीमती प्रफुल्ल माई ब्रह्मो और शान्ति घोष के घरों की ७ ता० को तलाशी ली गई। ये दोनों क्रमशः 'छात्री-सङ्घ' की प्रेज़िडेण्ट और सेक्रेटरी हैं पुलिस कितने ही काग़ज़ पत्र और 'छात्री-सङ्घ' के सदस्यों की सूची उठा ले गई। दोनों से श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के सम्बन्ध में अनेकों प्रश्न पूछे गए। श्रीमती उर्मिलासिंह और नवनीत कोमलासिंघ के घरों का भी तलाशी ली गई पर कोई चीज़ आपत्तिजनक वस्तु न मिली।

—गण्टूर ज़िला के टाडेपाली नामक स्थान की कृष्ण कॉटन मिल ने कॉङ्ग्रेस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है।

* *

"स्वाधीनता न मिली तो भारत में किसान बलवा कर देंगे"

गाँधी जी ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत अधिक झुक रहे हैं !

लन्दन में प्रेज़िडेण्ट-पटेल का सिंहनाद

गत २८ सितम्बर को लन्दन के एसेक्स हॉल में स्टुडेण्ट एसोसिएशन की ओर से एक विशाल सभा हुई थी, जिसमें माननीय श्री० विट्ठलभाई पटेल, मालवीय जी और श्रीमती सरोजनी नायडू की वक्तृताएँ हुईं । श्री० पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स से कुछ होना-जाना नहीं है और भारत पूर्ण स्वाधीनता के सिवा, दूसरी कोई बात स्वीकार नहीं कर सकता । आपके भाषण का सारांश नीचे दिया जाता है:—

"मैं ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की मानसिक स्थिति को नहीं जानता और इसलिए मुझे यह कहने में कोई सङ्कोच नहीं है कि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का असफल होना निश्चय है, इसका निर्माण भारत को पूर्ण स्वाधीनता देने की अपेक्षा इङ्गलैण्ड का उद्देश्य पूरा करना है । मुझे गाँधी जी के लङ्काशायर और मैञ्चेस्टर

श्री० विट्ठलभाई पटेल

के भाषणों को पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ, जिनमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत को स्वाधीनता दे दी जाय, तो वे इङ्गलैण्ड की बातों को मान लेंगे । मैं अनुभव करता हूँ कि यह साफ़ तौर पर 'इम्पीरियल प्रीफ़रेन्स' है, जिसे मानने को कोई भी भारतवासी, यहाँ तक कि मालवीय जी भी तैयार न होगा मुझे जान पड़ता है कि कॉन्फ्रेन्स मूल प्रश्नों को हाथ में लेने के बजाय, जान-बूझ कर चालें चल रही है । इङ्गलैण्ड वाले विवरण-सम्बन्धी बातों में समय बरबाद कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इङ्गलैण्ड सदा के लिए सब प्रकार की ज़िम्मेवारी भारतवासियों को देने के लिए राज़ी है ? इस ज़िम्मेदारी में सेना, देश की रक्षा, आय-व्यय और विदेशों से सम्बन्ध भी शामिल हैं । सरकारी क़र्ज़ का प्रश्न एक निष्पक्ष पञ्चायत द्वारा तय होना चाहिए !

मेरी राय में कॉन्फ्रेन्स के मेम्बरों का प्रतिनिधियों से यह पूछना, कि भारत के भावी शासन में किस सम्प्रदाय का कितना भाग रहेगा, केवल एक चाल है ! इसका आशय यही है कि उनकी गन्दगी अङ्गरेज़ी जनता के सामने खुल जाय !!!

पूर्ण स्वाधीनता

प्रधान मन्त्री ने, जो कि नाम मात्र की 'राष्ट्रीय' सरकार के नेता हैं, प्रतिनिधियों को दो दिन की मुहलत, इसलिए दी है कि वे छोटी सम्प्रदायों के प्रश्न को तय कर लें ! पर हम यह नहीं चाहते । हम एक पक्की ब्रिटिश गवर्नमेण्ट द्वारा पूर्ण स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा चाहते हैं—'यह पूर्ण स्वाधीनता लो और जैसा चाहो करो ।" अगर ऐसा किया जाय तो मुझे निश्चय कि साम्प्रदायिक प्रश्न फ़ौरन ही हल हो जाएगा ।

कॉन्फ्रेन्स की देशी रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों के शामिल न होने की बात गाँधी जी ने भी मान ली है । मैं इसका घोर विरोध करता हूँ । कॉङ्ग्रेस का ध्येय प्रत्येक बालिग़ को मताधिकार देना है । यह अनोखी बात है कि व्यवस्थापक सभा में एक तरफ़ तो ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और दूसरी ओर नामज़द राजे-महाराजे । इसलिए इस प्रकार का कोई समझौता देशी राज्यों की प्रजा को सन्तुष्ट नहीं कर सकता ।

तरुण-भारत की उपेक्षा !

गाँधी जी ने कॉन्फ्रेन्स में जो सब से पहला भाषण किया है, वह यद्यपि महान, सुन्दर और एक महापुरुष के योग्य है, पर उसमें भारत के उस दल का कोई भी ज़िक्र नहीं है, जिसकी संख्या यद्यपि कम है, पर जो निरन्तर व्यावहारिक रूप से स्वाधीनता की पुकार मचा रहा है । भारतीय नवयुवकों का बहुत बड़ा अंश पूर्ण स्वाधीनता का पक्षपाती है, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य का ! पर हाल ही में भारत-मन्त्री सर सैमुअल होर ने सिक्के के सम्बन्ध में जिस नीति से काम लिया है, उससे भारत के सम्बन्ध में अङ्गरेज़ों का मानसिक भाव स्पष्ट प्रकट हो जाता है । इस मानसिक भाव से हम कॉन्फ्रेन्स के भङ्ग होने के अलावा और किस बात की आशा कर सकते हैं, यद्यपि इसका फल भारत के लिए बुरा और इङ्गलैण्ड के लिए उससे भी बुरा होगा !! इसका फल यह होगा, कि सदा के लिए अङ्गरेज़ी माल, अङ्गरेज़ी संस्थाओं और अन्य तमाम सम्बन्धों का बॉयकॉट कर दिया जायगा ।

मैं ब्रिटिश सरकार को गम्भीरतापूर्वक चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह गाँधी जी की माँगों को स्वीकार कर ले और अपना भविष्य निश्चित करने का भार भारत के ही हाथों में छोड़ दे । चाहे यह औपनिवेशिक स्वराज्य पसन्द करे और चाहे पूर्ण स्वाधीनता ।

श्री० पटेल के उपर्युक्त भाषण का इङ्गलैण्ड में बहुत विरोध किया गया । इस सम्बन्ध में जब श्री० पटेल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब भी अपनी कल की बातों पर स्थिर हूँ । मैंने तमाम बातें गाँधी जी को पहले ही बतला दी थीं ; पर मुझे यह देख कर खेद हुआ कि गाँधी जी बहुत अधिक झुके जा रहे हैं और भारत के उस दिन पर दिन बढ़ते हुए महान दल के अस्तित्व को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं, जो पूर्ण स्वाधीनता लेने और अङ्गरेज़ों से सम्बन्ध विच्छेद की पुकार मचा रहा है ।

यद्यपि मुझे बहुत दुःखजनक कार्य करना पड़ा है, पर वह अत्यन्त आवश्यक था । हमारे देशवासियों को यह ज़रूर मालूम हो जाना चाहिए, कि यहाँ क्या हो रहा है ? स्वाधीनतावादी दल के साथ न्याय करने की दृष्टि से मैंने उचित कार्य ही किया है । हमको पूरी शक्ति जनता के हाथ में दे देनी चाहिए । अगर ऐसा न किया गया तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारत में बहुत शीघ्र किसानों का बलवा हो जायगा और उसे कोई भी सरकार नहीं रोक सकेगी ।

भारतवासी अपने ख़ून को गङ्गा बहा देंगे

गोलमेज़ परिषद् की असलियत मुझसे छिपी नहीं है

लन्दन में स्वयं महात्मा जी की निराशा

दूसरी अक्टूबर को लन्दन के गिल्ड हाउस में इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी, इण्डियन नेशनल कॉङ्ग्रेस लीग और गाँधी सोसाइटी की ओर से महात्मा गाँधी की ६३वीं वर्ष गाँठ मनाई गई । उस अवसर पर जो भाषण हुए उनका उत्तर देते हुए म० गाँधी ने कहा :—

"जब मैंने एक आदरणीय अङ्गरेज़ सज्जन (लॉर्ड इर्विन) से किए वायदे के अनुसार लन्दन की यात्रा की, उस समय मेरे दिमाग़ में गोलमेज़ परिषद् के सम्बन्ध में किसी तरह की ग़लतफ़हमी नहीं थी । मुझे कॉङ्ग्रेस के आदेश में से कोई बात कम करने की आज़ादी नहीं है, सिवा उस हद तक जितने के लिए उस आदेश में आज्ञा दी गई है । पर जैसे-जैसे मेरे दिन यहाँ बीत रहे हैं मुझे जान पड़ता है कि यह कार्य मानुषी शक्ति से बाहर है । यहाँ भारत के सम्बन्ध में घोर अज्ञान फैला हुआ है । यह ठीक है, कि भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अपने शासकों का ख़ून बहाना नहीं चाहता, पर मैं यह कह देना चाहता हूँ कि स्वाधीनता के दावे की रक्षा करने के लिए जिसकी इतने दिनों तक अवहेलना की गई है, वह अपने ख़ून की गङ्गा बहा देने से ज़रा नहीं हिचकेगा ।" सभा में इङ्गलैण्ड-स्थित-भारत-

महात्मा गाँधी

वासियों की तरफ़ से महात्मा जी को ५६४ पौण्ड की एक थैली श्री० विट्ठलभाई पटेल ने भेंट की ।

हिजली-कैम्प में नज़रबन्दों पर गोली-वर्षा की जाँच

खड़गपुर, ६ अक्टूबर

हिजली के मामले की जाँच कमाण्डेन्ट ई० बी० एच० बेकर के दफ़्तर में होनी शुरू हुई। नज़रबन्दों की ओर से मि० बी० सी० चटर्जी, मि० एच० एम० बोस और मि० एन० आर० दास गुप्त पैरोकार थे। मि० सुभाषचन्द्र बोस और मि० सतीन सेन इनकी सहायता पर थे। सरकार के पक्ष से बर्दवान के हलके के डि० इ० जनरल पुलिस, मिदनापूर के डि० मैजिस्ट्रेट और २४ परगने के सरकारी वकील कार्रवाई के निरीक्षण पर थे। आज चार गवाहों के बयान हुए।

पहले गवाह नज़रबन्द श्री० मनोहर मुकर्जी थे। आपने कहा कि घटना की रात में १६ सितम्बर को मैं एक मित्र के कमरे में था, जब अचानक पगली घण्टी सुनाई पड़ी। बाहर आकर हमें मालूम हुआ कि कैम्प के असली मकान के सदर दरवाज़े पर शोर हो रहा है। फ़ुटबाल खेलने के मैदान में होकर एक सन्तरी यह कहता हुआ दौड़ रहा था कि—'कुछ नहीं हुआ।' ठीक उसी समय मैंने देखा कि दूसरी तरफ़ से पचास सिपाही दौड़े हुए मुख्य इमारत की ओर आ रहे हैं। उनमें कुछ पुकार-पुकार कर कह रहे थे—'हुक्म मिल गया, मारो।' इसी समय मैंने बन्दूक़ की आवाज़ सुनी। इतने ही में नज़रबन्द गोविन्द दत्त, जो पास में खड़े थे, पुकार उठे, 'मुझे गोली लगी।' मेरे हथेली में भी हरिण मारने के छर्रे के टुकड़े लगे। गोविन्द गिर गया और हम खींच कर उसे कमरे के अन्दर ले गए, जिसकी ओर फिर और फ़ैर हुए। तब नज़रबन्द शैलेश ने द्वार बन्द करने की चेष्टा की, लेकिन बन्द न कर सका और जब मैंने द्वार बन्द करना चाहा तब मुझ पर बन्दूक़ के कुन्दे का आघात हुआ और मैं गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब मुझे होश आया, मैं गोविन्द के कमरे में गया। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि बहुतों को ज़ख़्मी किया गया है। और उनमें से दो या तीन को घातक चोटें लगी हैं। इसके बाद मैंने सन्तोष मित्र को मरा, शशि को बेहोश और हेमन्त तालुक़दार व शरत् दत्त को सख़्त घायल पाया।

तब मैं छत पर गया। वहाँ मैंने देखा कि तारक पड़ा है और उसके चारों तरफ़ दूसरे नज़रबन्द बैठे हैं। आदित्य भी सर पर गहरी चोट आने के कारण बेहोश पड़ा मिला। इसके बाद मुझे खड़गपूर के अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया।

सभापति की मारफ़त सरकारी वकील के प्रश्न करने पर मिस्टर मुकरजी ने कहा कि 'कमाण्डेण्ट घटना से आधे घण्टे के भीतर कैम्प में पहुँचे। इस समय तक मरहम-पट्टी का कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ।'

मैंने अपने आत्मीयों को तार के द्वारा घटना के सम्बन्ध में ख़बरें भेजीं, लेकिन कोई शिकायत नहीं की।

गवाह ने कहा कि नज़रबन्द लोग सरकार पर ग़ैर-सरकारी जाँच करने का ज़ोर डालते थे और उन्होंने महात्मा गाँधी और अन्य लोगों को इस घटना के सम्बन्ध में तार दिए।

दूसरे गवाह श्री० शरत् दत्त ने कहा कि कमाण्डेण्ट इस घटना के एक घण्टे बाद कैम्प में आया और सन्तरियों का निरीक्षण किया। बाज़े-बाज़े नज़रबन्दों ने कहा कि आप वहाँ आकर देखें, हममें से कइयों को गहरी चोटें लगी हैं, बाज़े-बाज़े मरणासन्न हैं, तब मि० बेकर मकान में आए और उन ज़ख़्मों को देखने की ज़िद्द की, जिन पर पट्टी बँधी थी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था कि कैम्प में गोली चली है। जब नज़रबन्दों ने विश्वास दिलाया कि कमाण्डेण्ट जिस दवा करने वाले को लाए हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न होगा, तब वह खड़गपुर के डॉक्टर माजुमदार को लेकर घटना के डेढ़ घण्टे बाद आए।

सरकारी वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने अपने रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं की। घटना के बाद जो तार की ख़बरें मैंने भेजी हैं, उनमें शिकायत नहीं की। और दो गवाहों के बयान होने के बाद जाँच स्थगित की गई।

जाँच कमिटी का घटना-स्थल-निरीक्षण

खड़गपुर, ७ अक्टूबर

सरकारी जाँच कमिटी के अध्यक्ष ने कमाण्डेण्ट बेकर और श्री० सुभाषचन्द्र बोस के साथ आज प्रभात में उस स्थान का निरीक्षण किया, जहाँ से गोली चलाई गई थी।

आज के प्रथम गवाह श्री० सुबोध चौधरी ने कहा कि जिस रात में ९ और ९॥ के बीच में घटना हुई, मैं सो रहा था और बन्दूक़ चलने की आवाज़ से जाग पड़ा। मैंने बरामदे में आने पर हल्ला सुना। जब मैं नीचे उतरने लगा तो मेरे बाईं कलाई पर किसी ने लाठी मारी, जिसको मैं अन्धेरा होने के कारण पहचान न सका। मारो-मारो की आवाज़ सुनाई देती थी। जब मैं दूसरे दरवाज़े की ओर बढ़ रहा था, तब मेरे पास से एक गोली निकल गई और दरवाज़े में लगी। तब मैं दूसरे तल्ले पर गया, वहाँ सन्तरियों के मकान की तरफ़ से गोलियों के चलने की आवाज़ आती सुनी। गोली १० मिनट तक चलती रही। मैं फिर नीचे आया तो देखा कि सन्तोष मित्र मरे पड़े थे। घटना के आध घण्टे बाद मिस्टर बेकर आए और सन्तोष मित्र के कमरे में गए। इसके बाद वह चले गए और फिर एक घण्टे में डॉक्टर लेकर आए, इसके पश्चात् एक 'मोटर-बस' आ और मैं कई दूसरे लोगों के साथ उस पर बैठ कर खड़गपूर अस्पताल पहुँचाया गया। जब मि० बेकर आए तो मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उस समय उनका मिज़ाज ऐसा न था कि उनसे शिकायत की जाती। मैंने किसी दूसरे अफ़सर से भी शिकायत नहीं की।

मिस्टर एन० आर० दास गुप्त, कौन्सेल के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि गोली मुझसे एक फ़ुट के फ़ासले से होकर निकल गई थी, जिसका चिन्ह अब भी दीख पड़ता है।

सरकारी वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने गोली का निशान मिस्टर बेकर को नहीं दिखलाया और ऐसा भी कोई अन्दाज़ा नहीं बतला सकता कि कितनी गोलियाँ चलीं। बीस और पचास के भीतर गोलियाँ चली होंगी। गोली चलने का मैं कोई कारण नहीं कह सकता। इस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। नज़रबन्द लोग समय-समय पर दीपावली करते थे, लेकिन कभी कोई गम्भीर घटना नहीं हुई। इस घटना के कुछ दिन पूर्व कैम्प के भीतर अतिरिक्त मन्त्री नियत किए गए थे, यह मामूली ड्यूटी वालों के अलावा थे।

स्वाधीनता-संग्राम के लिए तैयार रहो !

सरकार स्वराज्य की भावना को कुचल देना चाहती है !

बाबू राजेन्द्रप्रसाद का ओजस्वी भाषण

४थी अक्टूबर को पटना के ह्वीलर पार्क में एक विराट सभा के सम्मुख भाषण देते हुए बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने वर्तमान राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में कितनी ही

बिहार के गाँधी—बाबू राजेन्द्रप्रसाद

महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी बातें कहीं। आपने प्रेस-बिल, रुपए का पौण्ड से सम्बन्ध, हिजली-काण्ड और काँग्रेस कार्य-कर्ताओं के दमन का ज़िक्र करते हुए कहा कि "ये सब कार्य एक-दूसरे से पृथक नहीं हैं। मुझे जान पड़ता है कि सरकार ने जनता में फैली हुई जागृति और उनके हृदयों में उत्पन्न हुए न्यायानुमोदित स्वराज्य की भावना को कुचलने के लिए एक गहरी और गुप्त योजना प्रस्तुत की है और ये सब कार्य उसी को प्रदर्शित करने वाले चिह्न हैं। मुझे यह भी जान पड़ता है कि सरकार जनता को शासन का भार देने के बजाय दरअसल उसके साथ लड़ने की तैयारी कर रही है।

"इसलिए मेरा अनुमान है कि लड़ाई शीघ्र ही शुरू होगी और मेरी लोगों से अपील है कि जिस समय उनका आह्वान किया जाय, वे युद्ध में कूदने को तैयार रहें।

"स्मरण रक्खो, कि भावी युद्ध, अगर वह सचमुच आरम्भ हुआ, तो निश्चय ही बहुत भयङ्कर होगा और आप लोगों से गत वर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक बलिदान करने को कहा जायगा। मैं आपसे उसके लिए तैयार रहने की अपील करता हूँ।

"बहिनो और भाइयो ! यह देश आपका है। यह देश जो आपको खाने को भोजन और पीने को पानी देता है, आप में से हर एक से—अपने पुत्रों से—आशा करता है कि अगर यह संग्राम सचमुच आरम्भ हो तो आप उसके उद्धार के लए—उसकी ग़ुलामी की बेड़ियों को हटाने के लिए इस संग्राम में भाग लगे। आगामी संग्राम में आपको या तो काँग्रेस का साथ देना होगा या गवर्नमेण्ट का। आपमें से हर एक को या तो हमारे पक्ष में होना होगा या विपक्ष में, या तो आपको काँग्रेस में शामिल होकर सत्य या अहिंसा के हथियार से गवर्नमेण्ट के साथ लड़ना होगा; अथवा गवर्नमेण्ट के साथ मिल कर हमको सङ्गीनों, तलवारों, लाठियों और गोलियों से मारना होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा समय आ रहा है और इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि उस अवसर पर आप हमारे साथ, अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात न करें।"

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स तो साँपों की गठरी हो रही है। महात्मा जी परेशान हैं कि इस गठरी को कैसे सँभाला जाय ! मुसलमान भाई किसी ऐसी योजना पर, जो कि भारत के लिए सब प्रकार से हितकर हो, सहमत नहीं होते। उन्हें तो अपने हलवे-माण्डे से मतलब है, मुर्दा चाहे दोज़ख़ में जाय या बिहिश्त में। अपने राम की समझ में तो यदि महात्मा जी मुसलमानों के प्रतिनिधि मि० जिन्ना, सर आग़ा ख़ाँ तथा बड़े भैया से कह दें कि—अच्छा, जाओ तुम्हें पञ्जाब, बङ्गाल, सिन्ध, सीमाप्रान्त इनाम में दिया—तुम इन स्थानों में चाहे नङ्गे होकर नाचो, हमारी बला से। तो फिर देखिए, अभी मामला तय हो जाय। बड़े भैया फिर नए सिरे से "बापू जी" के भक्त हो जायँ। मि० जिन्ना के सिर से जिन उतर जाय। सर आग़ा को घुड़दौड़ों के लिए नया उत्साह मिल जाय। परन्तु अफ़सोस तो यह है कि फिर भी अड़ङ्गा लगा ही रहेगा। तब अल्पसंख्यक जाति वाले हाय-तोबा मचाएँगे कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए अपने राम की सलाह यह है कि उन्हें भी एक-एक शहर बाँट दिया जाय और कह दिया जाय 'जाओ कमा खाओ', शेष जो बचे उसमें हिन्दू अपना गुज़र चलावें। और यदि न भी बचे तो चिन्ता नहीं। घास-फूस खाने वाली जाति ठहरी। जङ्गलों की घास और पत्तियाँ खाकर रह सकती है। आज़ादी तो मिल जायगी। आनन्द से बेखटके जङ्गलों में विचर रहे हैं। जब जी चाहा घूमे फिरे, जब चाहा दरख़्तों पर चढ़ कर सो रहे। इससे बढ़ कर स्वतन्त्रता और क्या हो सकती है ? फ़िलहाल तो खद्दर की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर इससे भी मोक्ष मिल जायगी। जी चाहे तो जर्मनी के नङ्गे सम्प्रदाय की भाँति प्रकृति देवी के सुपूत बन कर बिचरें अन्यथा वही पुराने वल्कल वस्त्र तथा मृगछालाएँ पहन-ओढ़ कर ब्रह्म का चिन्तवन करें।

स्वराज्य में क्या धरा है ? यह सब नश्वर है—माया का खेल है। मनुष्य को मोक्ष का उपाय सोचना चाहिए।

कोई चाहे जो कहे, परन्तु अपने राम तो मुसलमानों के दमख़म के क़ायल हैं। कष्ट सहे हिन्दुओं ने, जेल गए हिन्दू, लाठियाँ तथा गोलियाँ खाईं हिन्दुओं ने और जब हिस्सा बँटाने का समय आया तो मुसलमान भाई सबसे आगे मौजूद हैं कि पहले हमारा पेट भर दो तब किसी को कुछ दो। अब वह न हिन्दुओं की सुनते हैं और न उन थोड़े से मुसलमानों की जो राष्ट्रीयता की भावना से सबके लिए बराबर अधिकार चाहते हैं। ईश्वर की दया से सरकार ने गोलमेज़ सभा में भेजा भी ऐसे टर्रों को है कि पुट्ठे पर हाथ ही नहीं धरने देते। उनकी इच्छा है कि बिल्कुल बे-लगाम रहें और न अगाड़ी का खटका हो न पिछाड़ी का। जब उनकी इच्छा हो हिन्दुओं पर दुलत्तियाँ झाड़ दें। उनकी देखा-देखी अल्पसंख्यक लोग भी उछल कूद मचा रहे हैं कि कदाचित इस गड़बड़ में हमें भी छुटकारा मिल जाय तो हम भी अललबछेड़े होकर घूमें। बेचारे महात्मा जी परेशान हैं कि इनको किस प्रकार समझाया जाय। अपने राम को तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि मुसलमान प्रतिनिधि कॉन्फ़्रेन्स को भङ्ग करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि उनका सिद्धान्त यह है कि यदि हमें इच्छा-भोजन नहीं मिलेगा तो हम किसी को भी न खाने देंगे।

इधर भारत में यह समझा जा रहा है कि यदि कॉन्फ़्रेन्स फ़ेल हुई तो बड़े ज़ोर का संग्राम छिड़ेगा। और साथ ही रुपए में बारह आने यह निश्चित है कि कॉन्फ़्रेन्स फ़ेल हो जायगी। अथवा अधिक से अधिक औपनिवेशिक स्वराज्य पर सौदा तय हो जाय। पूर्ण-स्वतन्त्रता पर मियाँ भाई कभी सहमत न होंगे। क्योंकि वे समझते हैं कि पूर्ण स्वराज्य मिलते ही उनकी शामत आ जायगी। भगवान जाने इन्होंने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जिसके कारण ये पूर्ण-स्वतन्त्रता से इतना घबराते हैं। पालतू तोता पिंजड़े के बाहर निकलते हुए डरता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं पिंजड़े के बजाय चीलदेवी के उदर में वास न करना पड़े। इससे भाई, पिंजड़े में ही भले हैं। जान सलामत है तो पिंजड़े में ही कभी-कभी मस्त होकर बोली बोल लिया करेंगे। यह माना कि पिंजड़े में सुख नहीं है—परन्तु बाहर तो जान के भी लाले हैं। ऐसी स्वतन्त्रता पर लानत। हाँ, यदि स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् भी अङ्गरेज़ पीठ पर हाथ धरे रहें, तो फिर क्या है, एक-एक को समझ लेंगे।

इधर सिक्ख लोग समझते हैं कि हम न हिन्दू हैं न मुसलमान। स्वतन्त्रता मिल जाने पर दोनों ही हमारे शत्रु हो जाएँगे। उस समय धरते-उठाते न बन पड़ेगा। इसलिए अभी सवेरा है। पक्की-पोढ़ी लिखा-पढ़ी हो जाना चाहिए, जिससे यदि हम नङ्गे भी नाचें तो कोई चूँ न कर सके। इस प्रकार ये लोग भारत की स्वतन्त्रता नहीं, अपनी स्वतन्त्रता चाहते हैं। ऐसी खींचा-तानी और स्वार्थपरता में भारत का क्या हित हो सकता है ?

उधर तो यह हो रहा है, इधर भारत में दनादन टैक्सों की वृद्धि हो रही है। भारत-सरकार भी समझती है कि स्वराज्य-वराज्य तो कुछ मिलना नहीं है। अतएव अपने इन्तज़ाम से क्यों चूको। लोग ख़ुश थे कि सब चीज़ें सस्ती हैं—चैन से कटेगी। परन्तु अब आटे-दाल का भाव मालूम होगा। चाहे सस्ता हो चाहे मन्दा, भारतवासियों के भाग्य में तो वही टिकिया-रोटी बदी है। भारत सरकार अपना बजट तो पूरा करेगी ही, चाहे कोई मरे या जिए, उसकी बला से। कुछ लोगों का कथन है कि फ़ौज तथा सिविल-सर्विस वालों का ख़र्च कम करके बजट पूरा किया जाय, नए टैक्स न लगाए जायँ और न पुरानों में वृद्धि की जाय। ऐसा भला कैसे हो सकता है ? ऐसे कठिन समय में, जब कि भारत बग़ावत पर कमर बाँधे है, फ़ौज तथा सिविल-सर्विस वालों ही का भरोसा है। इनको नाराज़ करना ठीक नहीं। ये लोग नाराज़ हो जायँगे तो भारतवर्ष में पड़े हुए इन भोले-भाले परोपकारी, निस्सहाय तथा परदेशी अङ्गरेज़ों तथा यूरोपियनों की रक्षा कौन करेगा ? हिन्दुस्तानी चाहे मरें चाहे जिएँ, परन्तु इनकी रक्षा का प्रबन्ध सबसे पहले होना चाहिए। यदि इनका बाल बाँका हुआ तो न जाने कितनी प्रोषित-पतिकाओं की हाय भारत सरकार पर पड़ेगी। और यह मानी हुई बात है कि गोरी प्रोषित पतिका नायिका की हाय भगवान जल्दी सुन लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक खटका यह भी है कि यदि किसी समय इन काले आदमियों पर गोली चलाने का अवसर आया तो फ़ौज वाले कहेंगे—"हमारी तनख़्वाह कम कर दी गई, इसलिए हम गोली नहीं चलावेंगे।" अथवा यदि गोली चलावें भी तो ठीक निशाने पर न चलावें, ऊटपटाँग चला दें। सिविल-सर्विस वाले बाग़ियों को गिरफ़्तार ही न करें अथवा उन्हें हलकी सज़ा दें, या बिल्कुल ही छोड़ दें। एक खटका हो तो उसका ख़्याल न किया जाय, यहाँ तो सैकड़ों खटके ही खटके हैं। ऐसी दशा में इन लोगों की तनख़्वाहें कैसे कम की जा सकती हैं ? यही ग़नीमत समझना चाहिए जो ऐसे अवसर पर उनकी तनख़्वाहें बढ़ाई नहीं जा रही हैं। हालाँकि समय ऐसा ही है कि उनके वेतन में वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि आगे ऐसा वक़्त आ रहा है कि इन लोगों को बहुत परिश्रम पड़ेगा। पिछले आन्दोलन में सिविल-सर्विस वालों तथा पुलीस को कितना परिश्रम पड़ा, कितना परिश्रम पड़ा है कि वैसे परिश्रम से भगवान बचावे। उसका कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए था। सो लोग उलटा वेतन घटाना चाहते हैं—अच्छे रहे। जो कुछ घटा है उससे ही सरकार की नेकनीयती पर शक पैदा हो गया है। हाँ, जितने काले आदमी हैं उनकी तनख़्वाहें अवश्य घटाई जानी चाहिएँ। क्योंकि इन लोगों का ख़र्च कम है। ये लोग भूखे-नङ्गे भी रह सकते हैं—कष्ट सहन कर सकते हैं। सच पूछिए तो आवश्यकता से अधिक मिलने पर ये लोग शेर हो जाते हैं और अफ़सरों से दबते नहीं। अतएव इन्हें तो आधे पेट ही भोजन मिलना चाहिए। जहाँ इन्हें भर पेट भोजन मिला कि इन्होंने सिर उठाया।

गोरे आदमियों की तनख़्वाहें नहीं घट रही हैं, यह बात भी नहीं है। देखिए लाट गवर्नर लोगों ने अपनी तनख़्वाहें कितनी घटा दीं। उन्हें दस हज़ार रुपए मासिक वेतन मिलता था, अब उन्हें केवल साढ़े आठ हज़ार रुपए मिलेंगे। पन्द्रह सौ रुपए महीना कम हो गया। कुछ ठिकाना है—पन्द्रह सौ !! रह कितने गए, केवल साढ़े आठ हज़ार ! अब इतने में उन बेचारों का गुज़र भगवान जाने कैसे चलेगा। न जाने उन्हें कौन-कौन सी वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की सेवा में यह दशा है। विलायत में होते तो दस हज़ार के बजाय न जाने कितने पैदा करते होते। वाँयसरॉय ही को लीजिए। अभी तक उन्हें २१ हज़ार से कुछ ऊपर मासिक वेतन मिलता था। अब वह बेचारे केवल १७ हज़ार के लगभग लेंगे। कुछ ठिकाना है ! बयालिस सौ की कमी हो गई ! बयालिस सौ में उनके न जाने कितने काम निकलते थे, अब वे सब रुक जायँगे या नहीं ? इस पर भी लोग कहते हैं कि गोरों के वेतन में कुछ कमी नहीं की जाती। इससे अधिक और क्या कमी की जाय ? क्या उनके हाथ में ठीकरा थमा दिया जावे। विलायत में होते तो क्या यह

(शेष मैटर ६वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

बंगाल-प्रान्तिक-छात्र-सम्मेलन

साम्प्रदायिकता का दलबद्ध होकर नाश करो

सारा भारत नज़रबन्दों का आवास है

बङ्गाल-प्रान्तिक-छात्र-सम्मेलन ने श्रीयुत सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में १६ प्रस्ताव पास किए हैं, उनको संक्षिप्त रूप में नीचे दिया जाता है:—

पहला और दूसरा प्रस्ताव पं० मोतीलाल नेहरू और मौ० मुहम्मदअली आदि गण्यमान्य पुरुषों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के सम्बन्ध में सभापति की ओर से पेश हुआ।

तीसरे प्रस्ताव में हिजली के नज़रबन्दों पर किए गए अत्याचारों पर घृणा प्रकट की गई। चौथे प्रस्ताव में चटगाँव और हिजली की घटनाओं के विषय में कॉङ्ग्रेस की निर्ममता पर दुःख प्रकाशित किया गया। इस प्रस्ताव के अनुमोदन करते हुए श्रीयुत बेनर्जी ने कहा कि अगर यही दोनों घटनाएँ बारसद और बारदोली में होतीं तो काँङ्ग्रेस की कार्यकारिणी कभी चुप न रह सकती।

पाँचवें प्रस्ताव में बहुत ज़ोर के साथ इस सम्मेलन ने गवर्नमेण्ट की निन्दा की कि उसने चटगाँव की लूट-मार और गृह-दाह आदि की उचित और निरपेक्ष जाँच नहीं की।

छठें प्रस्ताव में बिना मामला चलाए साक्षि प्रमाण के बिना ही लोगों को पकड़ कर नज़रबन्द करने की नीति का विरोध किया। इसके समर्थक श्री० चौधरी ने कहा—'सारा भारत नज़रबन्दों का जेल है।'

सातवें प्रस्ताव में शिक्षा-विभाग के सम्बन्ध में इस सुधार की आवश्यकता बतलाई गई कि कलकत्ता और ढाका के विश्वविद्यालयों को चाहिए कि जो विद्यार्थी जिस विषय में फ़ेल हो उसकी दुबारा परीक्षा केवल उसी विषय में लेने का नियम कर दें, न कि उन विषयों में भी जिनमें वह उत्तीर्ण हो चुका है।

आठवें प्रस्ताव में विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के जल्दी-जल्दी पाठ्य पुस्तकों के बदलने की निन्दा की गई, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा होती है और शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी लूटे जाते हैं।

नवें प्रस्ताव द्वारा छात्रों की शिक्षा की फ़ीस (शुल्क) २५) सैकड़ा घटाने का परामर्श दिया गया। क्योंकि इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है।

दसवें प्रस्ताव में 'डाइरेक्टर ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' के उस आज्ञा का प्रतिवाद किया गया, जिसके द्वारा उसने बङ्गाल के छात्रों का राजनीति में भाग लेने को निषिद्ध ठहराया है।

ग्यारहवें और बारहवें प्रस्तावों के द्वारा छात्रों को सङ्गठित होकर साम्प्रदायिकता का रोग मिटाने की कोशिश करने पर ज़ोर दिया गया। और छात्रों की जल्द एक सेना सङ्गठित करने का अनुरोध किया गया।

तेरहवें प्रस्ताव में श्री० सुभाषचन्द्र बोस की प्रशंसा की गई और चौदहवें प्रस्ताव में ग़रीब लड़कों के लिए प्राइवेट तौर पर कॉलेज की परीक्षाओं में बैठने का अधिकार माँगा गया।

अन्त में १५वाँ १६वाँ प्रस्ताव सभापति द्वारा पेश हुआ। इनमें छात्रों को स्वदेशी वस्तु व्यवहार के व्रत का व्रती होने पर ज़ोर दिया गया। और प्रेस-बिल की निन्दा की गई।

अन्त में सभापति श्री० सत्यमूर्त्ति ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए हिजली और चटगाँव के सम्बन्ध में कहा कि 'ब्लेक और टैन' (ब्रिटिश सेना आयर्लैण्ड में इसी नाम से प्रसिद्ध थी) आयर्लैण्ड को न बचा सके, जेमसन का धावा दक्षिण अफ्रीका को न बचा सका, तो हिजली-काण्ड हिन्दुस्तान में ब्रिटेन को नहीं बचा सकता।

दुबे जी की चिट्ठी

(२वें पृष्ठ का शेषांश)

मुसीबत झेलनी पड़ती? सच बात तो यह है कि जिस पर बीतती है, वही जानता है। जिसके पैर न जाय बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। धन्य है इन लाट साहबों को कि इतना महान त्याग करके भारत की सेवा कर रहे हैं। ऐसे-वैसे का साहस नहीं हो सकता। और यह लुत्फ़ है कि स्वयम् तो २० तथा १५ रुपए सैकड़ा कम लेंगे और अपने मातहतों से केवल १५ तथा १० सैकड़ा कम कराया है। ठीक भी यही था। अफ़सर को मातहत से अधिक क़ुर्बानी करना चाहिए। यदि ऐसा न हो, तो अफ़सर तथा मातहत में भेद ही क्या रह गया। इसके अतिरिक्त मातहत बेचारों को कौन बड़ी लम्बी-चौड़ी तनख़्वाह मिलती है। २ हज़ार से लेकर ६ हज़ार से अधिक किसी को एक कौड़ी भी नहीं मिलती। होम-मेम्बर सर जेम्स क्रेरार एसेम्बली में ख़ून-पसीना एक कर देते हैं, परन्तु उन्हें वेतन केवल साढ़े ६ हज़ार के लगभग मिलता है। अब यदि इतने कम वेतन में से भी कमी हुई तो वह पूरा बलिदान समझना चाहिए। कोई भला और शरीफ़ अङ्गरेज़ हिन्दुस्तान में इतनी कम तनख़्वाह पर नहीं रह सकता। परन्तु ये बेचारे तो अपने देश की सेवा के निमित्त इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, परन्तु फिर भी लोगों की आँखों में इनकी तनख़्वाहें मूसल की तरह खटकती हैं? मरभुक्खे हिन्दुस्तानी इनके त्याग की क्या क़द्र कर सकते हैं। इन्हें तो यदि दोनों समय पेट भर दाल-रोटी या खिचड़ी मिल जाय तो बस ये उसी को बड़ी भारी न्यामत समझते हैं।

अपने राम का तो यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार नौकरशाही को ख़ामख़्वाह इतना घोर कष्ट न दे और तनख़्वाहें घटाने के बजाय कुछ और बढ़ा दे, जिससे कि ऐसे नाज़ुक समय में ख़ूब काम करने का उत्साह रहे। क्यों सम्पादक जी, मेरा प्रस्ताव ग़लत तो नहीं है?

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

हिजली के नज़रबन्दों का अनशन समाप्त

'मुझे इससे मतलब नहीं कि घायलों को नींद आती है या नहीं'

खड़गपुर के अस्पताल की रिपोर्ट से विदित होता है कि श्री० गोविन्द पद दत्त, जिनका बायाँ हाथ काटा गया था, अब कुछ अच्छी हालत में हैं। उनका घाव अच्छा हो रहा है और नाड़ी की गति भी, जो पहले बहुत अधिक तेज़ हो गई थी, कम हो गई है। शशीन्द्र घोष की अवस्था भी अब आशाजनक है। पर अभी उसके पैर में दो गोलियाँ घुसी हैं जो बहुत अधिक शारीरिक कमज़ोरी के कारण नहीं निकाली जा सकी हैं। श्री० कृष्ण बनर्जी के पैर का घाव अभी अच्छा नहीं हुआ है और कभी-कभी उसमें बड़ा भयङ्कर दर्द होता है। 'एक्सरे' से जाँच करने पर उसमें कोई गोली वग़ैरह नहीं दिखलाई पड़ी। घायलों के रिश्तेदार हिजली-कैम्प के अफ़सर की आज्ञा से उनके साथ भेंट कर सकते हैं।

अस्पताल में पड़े हुए घायलों की देख-रेख के लिए एक नज़रबन्द नियुक्त किया गया है। अभी हाल में उसकी एक पुलिस अफ़सर के साथ कहा-सुनी हो गई। उसने कहा कि रात को पहरा देने वाले सन्तरी फ़ौजी बूट पहन इधर-उधर चक्कर लगाते हैं, उनकी आवाज़ से उन घायलों की नींद में ख़लल पड़ता है, जिनको डॉक्टर इन्जेक्शन देकर सुलाते हैं। पुलिस अफ़सर इस बात को मानने के लिए तैयार न हुआ और अन्त में कह बैठा कि उसका फ़र्ज़ नज़रबन्दों की निगरानी करना है, यह देखना डॉक्टरों का काम है कि घायलों को ठीक नींद आती है या नहीं।

अनशन समाप्त

समाचार आया है कि हिजली के नज़रबन्दों ने, अपनी माँग के पूरी किए जाने का आश्वासन मिलने पर अनशन त्याग दिया है। इस सम्बन्ध में श्री० जे० एम० सेन गुप्त ने उनके पास निम्नलिखित तार हिजली-कैम्प के कमाण्डमेण्ट की मार्फ़त भेजा है:—

"उचित निर्णय के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी स्वेच्छाकृत यन्त्रणा समाप्त हो गई, यह जान कर समस्त देश को सन्तोष हुआ। देशवासी आपको और आपके कार्य को असहाय अवस्था में नहीं छोड़ सकते।"

श्री० सेन गुप्त ने मैमनसिंह, मिदनापुर की जेलों तथा बक्सा फ़ोर्ट के राजनीतिक क़ैदियों और नज़रबन्दों के नाम भी, जिन्होंने हिजली वालों से सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए अनशन कर रक्खा है, नीचे लिखा तार भेजा है:—

"हिजली का अनशन समाप्त हो गया। देशवासियों ने उनके और आपके कार्य को अपने हाथों में ले लिया है। कृपा करके अपने अनशन को भी त्याग दें।"

बातचीत

['भविष्य' के प्रत्येक ग्राहक तथा एजण्ट को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए !]

ग्राहकों से—

पाठकों को विदित हो होगा कि शीघ्र ही पोस्टकार्ड का मूल्य दो से तीन पैसा और लिफ़ाफ़ों का मूल्य एक से डेढ़ आना होने जा रहा है ! काग़ज़ पर १०) रु० सैकड़े की ड्यूटी लग चुकी है और आज ही कल में ५) रु० सैकड़ा और भी ड्यूटी बढ़ जाने की ख़बर है। सारांश यह कि आम तौर से प्रकाशकों को और ख़ास तौर से पत्र-सञ्चालकों के रास्ते में अधिक से अधिक रोड़े अटकाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसी हालत में समाचार-पत्रों को आज के निर्धारित चन्दों में चलाना दिनोंदिन असम्भव होता जा रहा है। पत्रकारों के पास दो ही साधन शेष रह गए हैं—(१) या तो पत्र का चन्दा बढ़ा दिया जाय या (२) वर्तमान ख़र्च में अधिक से अधिक कमी की जाय । अस्तु ।

हमने तब तक चन्दा न बढ़ाने का ही निश्चय किया है, जब तक हम अन्य उपायों द्वारा पत्र चला सकें। ख़र्च की कमी के सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि जहाँ तक सम्भव हो सका है, अब तक कोई बात उठाई नहीं रक्खी गई है। अब केवल हमारे पास ख़र्च घटाने की एक ही सूरत शेष रह गई है और वह यह कि अनावश्यक पत्रों का उत्तर कार्यालय से न जाय । पत्रोत्तर देने के बजाय प्रत्येक ग्राहक के आए हुए पत्र अथवा पत्रों का उत्तर 'भविष्य' के प्रत्येक अङ्क में प्रकाशित होता रहेगा। (१) चन्दे के समाप्ती की सूचना (२) पता बदलने की सूचना (३) चन्दा पहुँचने की सूचना तथा इसी प्रकार की कुल सूचनाएँ 'भविष्य' तथा 'चाँद' के प्रत्येक अङ्क में छपा करेंगी। पाठकों से प्रार्थना है कि भविष्य में वे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा न करके, "बातचीत" शीर्षक स्तम्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करें और निम्न-लिखित बातों का ध्यान रक्खें :—

(१) अपना ग्राहक-नम्बर हमेशा याद रक्खें, नोट कर लें (क्योंकि प्रायः नम्बरों के हिसाब से ही उन्हें उत्तर मिला करेगा)

(२) अपना चन्दा समाप्त होते ही जब तक भी उन्हें ग्राहक रहना हो, उतने दिनों का चन्दा मनीऑर्डर द्वारा भेज दिया करें (क्योंकि रजिस्ट्री के ख़र्च में भी एक आने की वृद्धि हो गई है और वी० पी० मँगाने से व्यर्थ में उन्हें रजिस्ट्री के तीन आने अधिक देने होंगे।)

(३) यदि ग्राहक बनना हो तो अपना चन्दा मनीऑर्डर द्वारा भेज दें और व्यर्थ में पत्र न लिख कर 'कूपन' पर ही अपना आशय प्रकट कर दें (यह स्मरण रक्खें कि पुराने ग्राहकों को अपना ग्राहक-नम्बर तथा नए ग्राहक को "नया ग्राहक" 'कूपन' पर अवश्य लिख देना चाहिए।)

(४) पता आदि बदलने की सूचना आते ही कार्रवाई कर दी जायगी और इस बात की सूचना 'भविष्य' के उसी सप्ताह के अङ्क में प्रकाशित कर दी जायगी (यदि सूचना प्रकाशित न हो तो समझना चाहिए कि पत्र कार्यालय में नहीं पहुँचा)।

(५) जिन लोगों को पत्रोत्तर की आवश्यकता हो उन्हें या तो जवाबी पोस्टकार्ड अथवा टिकटदार लिफ़ाफ़ा साथ भेजना चाहिए नहीं तो पत्रोत्तर नहीं दिया जायगा।

बधाई

अध्यापक ज़हूरबख़्श जी लिखते हैं :—

आपकी सिपाहियाना तबीयत ने वास्तव में हम लोगों को अत्यन्त गौरवान्वित किया है। इतनी आपत्तियों के आते हुए भी, वज्र जैसी कठोर छाती लिए, खड़े रहना आपका ही कार्य है। हिन्दी-संसार में आप-जैसा यह सौभाग्य और किसे नसीब हुआ है ? हे हिन्दी-संसार के नार्थक्लिफ़ और दूसरे शब्द में नेपोलियन ! मैं तो निरन्तर आपकी दिग्विजय की ही एकान्त कामना करता हूँ, और इस कामना के साथ जब आपको भाई कह कर पुकारता हूँ, तब मेरा मस्तक आप ही आप उन्नत हो जाता है, हृदय आनन्द से विभोर हो उठता है। आज ही दैनिक 'भविष्य' की प्रति मिली। उसमें जीवन के जो लक्षण दिखाई दिए हैं, उनसे यही अनुमान क्या, विश्वास करना पड़ता है, कि वह अत्यन्त शीघ्र साप्ताहिक 'भविष्य' के समान ही सफलता प्राप्त करेगा, और कदाचित हिन्दी-संसार का सर्व-श्रेष्ठ दैनिक भी यही होगा। चीज़ अपनी ही है, अतः आपको क्या बधाई दूँ।

यदि ग्राहकों ने हमारी इस विनम्र प्रार्थना पर समुचित ध्यान दिया तो हज़ारों रुपए, जो डाकख़ाने की भेंट हो जाते हैं, बच जायँगे और इन्हीं रुपयों को पत्र-सञ्चालन में लगा कर चन्दा न बढ़ाया जायगा।

एजेन्टों से—

'भविष्य' तथा 'चाँद' के एजन्टों को उपरोक्त सारी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लेना चाहिए और साथ ही निम्नलिखित बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :—

(१) अपना हिसाब एक निश्चित तिथि को बिना तक़ाज़ा किए अथवा बिल भेजे भेज देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बिल नहीं भेजा जायगा।

(२) जिस सप्ताह से 'भविष्य' (साप्ताहिक) की कॉपियाँ घटाना या बढ़ाना हो उससे ठीक ८ रोज़ पूर्व इस बात की सूचना कार्यालय को दे देनी चाहिए। दैनिक "भविष्य" सम्बन्धी इस प्रकार की सूचना कम से कम दो दिन पहले कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।

(३) 'भविष्य' में प्रकाशित प्रत्येक सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।

(४) हमें खेद है, छपे हुए 'कूपन' (टिकट) भेजने पर तथा हमारे बार-बार लिखने पर भी एजन्टों ने 'जुबली-अङ्क' के सम्बन्ध में ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और जब कॉपियाँ घट गईं तो वे तार उड़ाने लगे। हमारे पास केवल २ रोज़ के भीतर अधिक कॉपियों के लिए लगभग ५० तार आए हैं। इसके अर्थ यह हुए कि ३७।) रु० तार वालों की भेंट हो गए और फल भी कुछ नहीं हुआ। यदि पहले से ही हमारी सूचनाओं पर वे ध्यान दिए होते तो दूनी-तिगुनी संख्या में "जुबली-अङ्क" बेच कर वे स्वयं भी लाभ उठा सकते थे और देशवासियों की सेवा भी कर सकते थे। व्यर्थ का तार और पत्रों का व्यय भी बचाया जा सकता था। जिन लोगों का हिसाब नहीं आया था उनकी कॉपियाँ रोक दी जाने से उनको जो हानि हुई वह तो हुई ही, पर साथ ही उनके स्थायी ख़रीदारों को भी इस अङ्क के लाभ से वञ्चित रक्खा गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी लापरवाही के कारण कितना भारी नैतिक अपराध किया—यह वे स्वयं समझ सकते हैं।

(५) सारांश यह कि 'भविष्य' तथा 'चाँद' के एजन्टों से हमारी प्रार्थना है कि भविष्य में हिसाब के लिए यहाँ से तक़ाज़े, तथा तार आदि नहीं भेजे जायँगे।

जिन एजन्टों का हिसाब ठीक समय पर हमें नहीं मिलेगा, उनकी कॉपियाँ, बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही रोक दी जावेंगी और ये सारी हानि उनके ज़मानत में से काट ली जावेगी और यदि दूसरे सप्ताह भी ऐसा ही हुआ तो ज़मानत ज़ब्त करके उनका नाम एजन्टों की श्रेणी से तुरन्त अलग कर दिया जायगा।

जिन एजन्टों से इन साधारण सी बातों का भी पालन नहीं हो सकता, उन्हें तुरन्त अलग हो जाना चाहिए।

—मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर की आज्ञा से

* * *

विप्लवकारी नवयुवकों को सुधारने का भागीरथ प्रयत्न

डॉक्टर केदारनाथ, माननीय मि० महमूद शुहरावर्दी, मिस्टर एस० बी० बलवन्तसिंह पुरी, मिसेस वी० भट्टाचार्य और मिस्टर कालीमोहन सेन के हस्ताक्षरों से एक सूचना निकली है कि एक कॉन्फ्रेन्स ५ अक्टूबर को काली बाड़ी हॉल में इस अभिप्राय से होगी कि नवयुवकों को अराजकता की ओर प्रवृत्त होने से बचाने, सुधारने और रक्षा करने के लिए प्रबन्ध किया जाय। इसमें इस काम से प्रेम और सहानुभूति रखने वाले व कार्यकर्त्ता लोग सम्मिलित हों और बड़े लाट और गवर्नर लोग इस काम के संरक्षक हों। इस कॉन्फ्रेन्स में सभापति का आसन राजा सर दलजीत सिंह ग्रहण करेंगे।

परीक्षात्मक एक तजवीज़ भी तैयार कर ली गई है। उद्देश्य यह होंगे :—

१—अराजकतावादियों में सत्य और अहिंसा की शिक्षा के साथ उन्हें नवीन स्वास्थ्य-रक्षा विधि की शिक्षा और खेल-कूद का प्रोत्साहन देना।

२—उन अराजकतावादियों के, जो नादार हों, जिनके माता-पिता उन्हें शिक्षा देने में असमर्थ हों, उनकी शिक्षा का भार उठाना।

३—ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना, सौदागरों की कोठियों में नौकर करा देना, या औद्योगिक कारख़ानों में काम पर लगाना अथवा सेना में भरती कराना।

एक वक्तव्य के बीच में हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि ढाका के पिछले सारस्वत समाज कान्वोकेशन (संसद्) के अवसर पर बङ्गाल के अन्दर बढ़ती हुई अराजकता को रोकने के लिए गवर्नर ने सर्व-साधारण को सहयोग और सहायता करने के लिए अनुरोध किया था। एनारकिस्टों द्वारा की हुई राजनैतिक डकैतियों की भयानक बाढ़ और बङ्गाल और पञ्जाब में यूरोपियन और हिन्दुस्तानी अफ़सरों की बहुत सी हत्याओं ने, जो इधर कुछ वर्षों में हुई हैं, ज़रूर ही उर्ध्वतन सरकारी कर्मचारियों की आँखें खोल दी होंगी कि पिछले कई वर्षों में बङ्गाल और पञ्जाब में सरकार ने जिस दमनकारी क़ानूनों से काम लिया है, उनसे पञ्जाब और बङ्गाल में होने वाले विप्लवकारी अपराधों की रोक नहीं हो सकी। निस्सन्देह स्वर्गीय सी० आर० दास ने अनेक बार बङ्गाल कौन्सिल में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था और कहा था कि बङ्गाल ऑर्डिनेन्स और दूसरे क़ानूनों के होते हुए भी विप्लवकारी अपराध बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए अधिकारियों को इसके मौलिक कारण की खोज करनी चाहिए कि बङ्गाल के नवयुवकों में इतना असन्तोष क्यों फैला हुआ है। विशेषतः उन लोगों में, जो विदेशों से लौट कर आए हैं और उन्होंने भविष्यद्वाणी की थी कि बिना रोग के मौलिक कारण को जाने उन दवाइयों से, जो सरकार कर रही है, यह रोग न मिटेगा।

बङ्गाल के समाज-सेवक सङ्घ के कुछ सदस्य और राष्ट्रीय दल के लोग अब अपना कर्तव्य समझते हैं और जानते हैं कि यही उचित समय है जब कि देश के सच्चे भक्त और हितैषी सरकार के साथ सहयोग करके इस लोकोपकारी काम को हाथ में लें, जिससे भटके हुए युवक देशभक्तों के मूल्यवान् प्राण, फाँसी से बचें और देशी और विलायती उर्ध्वतन सरकारी कर्मचारियों की क़ीमती जानों की रक्षा हो। साथ ही देश के धनवान और सम्पन्न लोगों को उन लूट और डकैतियों से परित्राण मिलेगा जो अराजकतावादी सोसाइटियों के भटके हुए नवजवान देश-प्रेमियों के हाथों से हुआ करती हैं।

काम का संक्षिप्त कार्य-क्रम :—

१—विस्तार के साथ प्रचार-कार्य करना, जिससे नवयुवक के सत्य और अहिंसा के मूल्य को वह लोग समझने लगें। सत्य और अहिंसा जैसे गहन विषय का उपदेश हो सकता है कि नवयुवकों के चित्तों को न आकृष्ट कर सके, इसलिए शिक्षा-क्रम में नवीन स्वास्थ्य-रक्षा की विधि भी लालटेन द्वारा बतलाई जायगी, जिससे युवक देशभक्तों का ध्यान अपने शरीर और मन को नीरोग बनाने की ओर खिंचे। क्योंकि कलकत्ता और बम्बई के विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य-निरीक्षक वैद्यों ने परीक्षा करके कहा है कि १०० में ७५ छात्र बङ्गाल और कराची में अस्वस्थ पाए गए'।

२—यह सोसाइटी ग़रीब, कुराह पड़े हुए नवयुवकों को वेतन देकर मदद करेगी कि वह अपना पढ़ना-लिखना जारी रख सकें।

३—जब नवयुवक कुमार्ग से बचा लिए जायँगे और अधिकारी प्रतीत होंगे तो उन्हें तो जहाँ तक बनेगा, सरकारी या ख़ानगी, कोई नौकरी दिला दी जायगी अथवा काम सीखने के लिए किसी कारख़ाने या कोठी में उम्मीदवार करा दिया जायगा, जिससे उनकी गुज़र होती रहेगी।

यदि विचारपूर्ण दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने औपनिवेशिक शासन प्रदान कर दिया, जैसा कि लॉर्ड इर्विन और मिस्टर रैमज़े मैक्डॉनेल्ड ने कहा है तो इन भटके हुए देशभक्तों की बहुत सी शिकायतें दूर हो जायँगी। भावी भारतीय पार्लामेण्ट को केवल इनसे रोटी का प्रश्न हल करना रह जायगा? प्रस्तावित गोष्ठि देश के नेताओं से अनुरोध करेगी कि वह बड़े लाट पर दबाव डाले कि देशप्रेमियों या अण्डर ग्रेजुएटों की एक रेजिमेण्ट की फौज में सृष्टि करें, जिससे नवयुवक देशभक्तों को लाभ पहुँचे, जैसे कि लड़ाई के समय बङ्गाली रेजिमेण्ट और बङ्गाली लाइटहार्स की सृष्टि की गई थी। इस विशेष प्रकार की भारतीय सैन्य में बङ्गाल के मध्य श्रेणी के लोगों में से भरती की जाय और पञ्जाब में उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा का भार इसे देकर देखा जाय, जो कि सेना के लिए एक भयानक काम है। ऊपर कहा हुआ प्रतिषेधक प्रयत्न इन बहके हुए नवजवानों की शक्ति और ज्ञान को सीधे रास्ते पर लगाने में समर्थ होगा और यह लोग सिपाही के रूप में प्रत्यक्ष अपनी मातृभूमि की सेवा में लग जायँगे। विनय बोस, दिनेश गुप्त और बहुत से दूसरे भटके हुए देशप्रेमियों की आत्म-हत्या से प्रकट है कि कुमार्गी देश-प्रेम से शिक्षित और ज्ञानवान लोगों की बहुमूल्य जानें नष्ट हो जाती हैं? कोटि-कोटि अज्ञान प्रजा का अपने देश-प्रेमी भाइयों पर पुलिस की गोली चलते देखना कोई सुखद दृश्य नहीं होता, यह उसी तरह दुखद है जैसे बहुत से भटके हुए देशप्रेमियों को सूली पर लटकाने का दृश्य।

हमने देखा है कि किस प्रकार गवर्नर जनरल लॉर्ड मेओ मामूली क़ैदी के हाथ से मारा जा सकता है, कैसे बङ्गाल के, पञ्जाब के और बम्बई के छोटे लाटों पर वार हुए और वह सौभाग्य से बच गए और लॉर्ड हार्डिङ्ग चामत्कारिक रूप से बच गए, जब कि उन पर बम्ब फेंका गया था। अगर इस बला को न रोका गया और देश से न निकाला गया तो बड़े लाटों, गवर्नरों की ही नहीं, बल्कि महात्मा गाँधी और दूसरे शान्तिशील और उच्च विचार वाले लोगों की जानें भी अराजकतावादियों के हाथों से सुरक्षित न रह सकेंगी। अगर बङ्गाल के लेफ़्टीनेण्ट गवर्नर सर चार्ल्स इलियट १८९२-९६ में बङ्गाल के नवजवानों का हृदय और सम्मान दया और सहानुभूति से जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बङ्गाल में नवयुवकों को उच्च शिक्षा के लिए एक सोसाइटी संस्थापित की। वाइसरॉय और गवर्नर लोग भी सर चार्ल्स इलियट के उत्तम और बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग का अनुसरण करके अराजकता के प्रवाह को रोक सकते हैं। प्रस्तावित सोसाइटी मुख्यतः महात्मा गाँधी के काम को ही पूर्ण करेगी। महात्मा जी की ही प्रेरणा से भारत के बहुत से अराजकतावादी नवयुवक कॉङ्ग्रेस में सम्मिलित होकर भारत को स्वाधीन करने के निमित्त शान्तिशील मार्ग का अवलम्बन करने लगे हैं। यह सुधारे हुए नवयुवक महात्मा गाँधी के अनुगामी हैं, इन्होंने शान्तिशील पद्धति की कृतकार्यता के फल और मूल्य को समझ लिया है, विशेषतः अङ्गरेज़ी माल के बहिष्कार और सानुनय अवज्ञा को, जिसमें इन देशभक्त नवयुवकों ने देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देश की स्वतन्त्रता के लिए ख़ूब हिस्सा लिया। दुर्भाग्यवश प्रत्येक प्रान्त में अब भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो महात्मा जी का अनुसरण करने में आगा-पीछा करते हैं, इनमें से कोई-कोई तो महात्मा जी की इस परामर्श का भी विरोध करते हैं कि कुछ दिन ठहरे रह कर उनके शान्तिशील तरीक़ों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पद्धति की आज़माइश का अवसर दिया जाय। प्रस्तावित सोसाइटी का काम होगा कि इन विरोधी विचार के लड़कों से मिले और उनको स्पष्टरूप से बतला दे कि देश में बहुसंख्यक देशभक्तों का दिल उनसे इसलिए दुखी है कि वह उन्हें अगणित डकैती करते और बम्ब व रिवॉल्वरों के ज़रिए हिन्दुस्तानी और अङ्गरेज़ अफ़सरों का प्राणघात करते देखते हैं; वह भी दूसरों के क़सूर के लिए, जब कि असली अपराधी, जिसने अत्याचार किया था, बच जाता है, ऐसे काम को कोई भी देश का समझदार आदमी समर्थन नहीं कर सकता।

* * *

—"हिन्दुस्तान टाइम्स" के रिपोर्टर श्री० चमनलाल, जिन्हें नेकचलनी की ज़मानत देने से इन्कार करने के कारण एक साल की सज़ा दी गई है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल से हटा कर मुल्तान सेन्ट्रल जेल भेजे गए हैं। आपने सज़ा के विरुद्ध अपील करने की इच्छा अदालत और डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट दोनों के सामने प्रकट कर दी थी, परन्तु इसकी परवाह न करके अधिकारियों ने सिर्फ़ इस भय से कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल में श्री० चमनलाल कहीं दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से न मिलें, उन्हें बहुत शीघ्र मुल्तान भेज दिया। दिल्ली स्टेशन ले जाते समय आपको १२ सशस्त्र पुलीस के आदमी घेरे हुए थे। सम्बन्धी मिलने गए थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। श्री० चमनलाल के वकील अपील दायर करेंगे।

—पटना बम के मामले में श्री० सूरजनाथ चौबे को ऐडिशनल सेशन्स जज ने जो ७ वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा दी थी, उसे बढ़ाने के लिए, कहा जाता है, सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील होगी।

* * *
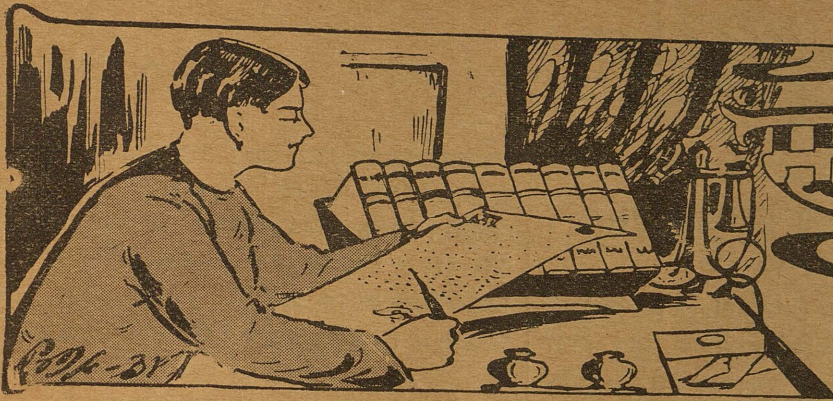
हमारी दरिद्रता के कुछ कारण

प्रकृति के नियम सब जगह एक-से काम करते हैं। जिन साम्पत्तिक कारणों का जो फल यूरोप में होता है, उनका वैसा ही फल भारत में भी होना अनिवार्य है। स्थानान्तर-भेद से सामाजिक अवस्था-व्यवस्था के कारण किसी सुफल-कुफल में तारतम्य दिखाई दे सकता है, किन्तु किसी नैसर्गिक कारण के फल में अन्तर नहीं पड़ सकता। अस्तु।

जब तक भारतवर्ष में ज़मींदारी प्रथा न थी और राजस्व पैदावार में लिया जाता था, न कि रुपयों में, तब तक किसानों को उन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका सामना उन्हें आज करना पड़ रहा है। प्राचीन काल में खेत, खदान आदि की पैदावार दशांश और किसी-किसी स्थिति में चतुर्थांश या षष्ठांश राजा को राज्य में सुप्रबन्ध रखने के लिए दिया जाता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि खेत में पैदावार चाहे दस मन हो, चाहे सौ मन, किन्तु किसान अपना कर चाँदी या सोने के एक निश्चित परिमाण में अवश्य चुकाए। यह तो एक प्रकार का जुआ है। कोई नहीं कह सकता, कि किस वर्ष किस खेत में कितना माल पैदा होगा और किस साल कैसी वर्षा और धूप होगी। इसलिए यह भी कोई नहीं कह सकता, कि किसी खेत में प्रतिवर्ष एक ख़ास मिक़दार में पैदावार होती ही रहेगी। बाज़ार का दर भी सदा एक-सा नहीं रह सकता। जब पैदावार प्रतिवर्ष एक समान होना असम्भव है, तो राजस्व का प्रतिवर्ष एक समान लेते रहना, बल्कि बीच-बीच में और बढ़ाते जाना राज्य की एक ऐसी अनुचित तथा घृणित कार्रवाई है, जिसकी जितनी भी निन्दा की जाय, थोड़ी है!

सम्राट् अकबर के शासन-काल से सोने और रुपयों में निश्चित कर लिए जाने की प्रथा चली, तभी से किसानों के सन्ताप का विष-वृक्ष आरोपित हुआ। इस सिलसिले में इतना हम कह देना चाहते हैं, कि अकबर और उसके बाद के दूसरे राजा देशी थे और उनका हित और अहित, उनका जीवन और मरण, उनका भला और बुरा, देश के हिताहित पर अवलम्बित था। इसलिए वे लोग प्रजा पर कर की वसूली में वह अत्याचार नहीं करते थे, जो आज विदेशी शासन काल में देखा जाता है।

इसी प्रकार विदेशी वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रचार के साथ देश में दरिद्रता की अतिवृद्धि हुई। हम देखते हैं, कि प्राचीन काल की सड़कों के किनारे की सराय, आबादियाँ, दुकानें आज सब उजड़ी पड़ी हैं। जिनसे लाखों भठियारे और लाखों दूकानदार, अगणित मज़दूर, कारीगर, गाड़ीवाले, घोड़ेवाले आदि-आदि परिपालित होते थे, वे सारे साधन रेलगाड़ी की बदौलत धूल में मिल गए। कोटि-कोटि जन-समुदाय बेकार होकर दूसरों के दरवाज़ों पर मज़दूरी करने या भीख माँगने के लिए खड़ा दिखाई देता है!

बिजली के पङ्खों ने मज़दूरों को कितना बेकार किया, बिजली की रोशनी ने कितने तेलियों का सत्यानाश किया, पुतलीघरों ने कितने जुलाहों के घर घाले, आटे की चक्कियों ने कितनी विधवाओं के मुँह का टुकड़ा छीना? यह तो थोड़ी सी बातें दिखलाई गई हैं, अगर विस्तार से सब बातों का विवरण दिया जाय, तो हमारे दुःख की गाथा बहुत बढ़ जाय।

क्या उस गवर्नमेण्ट ने—जिसके शासन काल में इतने आविष्कार हुए, जिनसे जनता का सारा धन सिमट-सिमट कर थोड़े से लोगों के हाथों में चला गया और ८९ प्रतिशत नर-नारी भूख की ज्वाला से तड़पने लगे, प्रजा के वास्तविक हित के लिए कभी कोई उपाय सोचा? मनुष्य जाति में विज्ञान की वृद्धि होना, कला-कौशल का विकास होना कोई भी समझदार आदमी बुरा नहीं बतला सकता, लेकिन उसी दशा में जब कि यह सब मनुष्य-जाति-मात्र के लिए हितकारी हों। जो विज्ञान का फल थोड़े से इजारदारों को ही लाभ पहुँचाने वाला हो और शेष जनता उससे वञ्चित रहे, बल्कि अपने पूर्व सुखों को भी नाश कर बैठे, वह अज्ञानपूर्ण ज्ञान कभी संसार के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य-भक्त विद्वानों ने ऐसी कुछ बातें बतलाई हैं जिनसे संसार मनुष्य-मात्र के शान्तिमय जीवन का पवित्र स्थल हो और मनुष्य जाति में कुत्तों की तरह टुकड़ों के लिए लड़ना बन्द हो जाय। वह उपाय यह है, कि देश के छोटे-छोटे सुविधाजनक स्वतन्त्र टुकड़े हों, हरेक टुकड़ा अपनी पैदावार को सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में एकत्र रक्खे और प्रत्येक नर-नारी को उसके भोग में समान अधिकार हो।

* * *

प्रेस का काल

जब स्वार्थ-तिमिरान्ध अपनी इच्छापूर्ति के लिए निर्बल के नैसर्गिक स्वत्वापहरण पर तुल बैठता है, तो उसके आगे संसार की सारी दलील बेकार, सारी युक्तियाँ व्यर्थ, सारे तर्क निष्फल सिद्ध होते हैं। कभी-कभी आश्चर्य होता है, कि क्या भारत में उसी ब्रिटेन का शासन है, जिसने सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, दार्शनिक मज़्ज़ीनी (मेज़िनी) को और हङ्गरी के देशभक्त लुई कसूथ को शरण दिया था, जिसने 'प्लीमाउथ' के समुद्र तट पर सेनापति गेरीबाल्डी को अमेरिका से लौटने पर प्रशंसा-पूर्वक खड्ग प्रदान किया था। जो हो, स्वार्थी दोषों को नहीं देखता, नहीं तो अङ्गरेज़ इतने मूर्ख नहीं हैं, जो यह न जानते हों, कि शासक-मण्डल अपनी क्षमता को तभी तक स्थिर और अक्षुण्ण रख सकता है, जब तक वह शासित समुदाय के हृदय में अपनी विश्वास-पात्रता स्थापित करता रहे, विश्वास लट्ठ के बल से नहीं जमाया जा सकता, लट्ठ का बल तो विश्वासपात्रता का घातक ही सिद्ध होता है।

हमें सबसे अधिक दुःख तो जनता के चुने हुए या जनता के हित की डींग मारने वाले देशी प्रतिनिधियों के आचरण पर होता है, जो जिस नाव पर सवार होकर पार जाना चाहते हैं, उसी के पेंदे में बड़े-बड़े छेद करते रहते हैं। जिस समय परिषत् में बिल पेश हुआ उस समय के पहिले ही बहुत से मेम्बर उदासीन होकर चले गए थे; जो थे, उनमें से तीन-चार के सिवा अन्य नामधारी सदस्यों ने इस विषय में समुचित तत्परता नहीं दिखलाई। जिस परिषत् में जनता के पक्ष की बहुमत्ता हो, वहाँ जनता के अहितकारक क़ानून के ५९ समर्थक और कुल २४ विरोधी निकलें? यह बात व्यवस्थापिका परिषत् के सदस्यों की अकर्मण्यता की घोषणा डङ्के की चोट कर रही है। ११६ संशोधनों का गिर जाना भला और क्या सिद्ध कर सकता है?

यहाँ हम मानते हैं, कि अगर हमारे सब देश-पक्ष के देशी सदस्य उपस्थित होते और सब के सब विरोध करके प्रेस-बिल को गिरा देते, तो भी यह मर नहीं सकता था। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट और बड़े लाट की विशिष्ट शक्तियाँ उसे जीवित रख सकती थीं, परन्तु उस दशा में हमें यह सन्तोष अवश्य होता कि जनता की ओर से अन्याय का समुचित विरोध हुआ। अब हमें विदेशी विरोधियों की अपेक्षा अपने देशवासियों की अकर्मण्यता पर अधिक शोक हो रहा है।

इस नाम-मात्र के विचार-स्वातन्त्र्य के भी छिन जाने पर क्या होगा, यह तो भविष्य ही बतलाएगा। हम तो पहले ही किसी अङ्क में कह चुके हैं, कि क़ानून-द्वारा वास्तविक रोग की दवा न कभी हुई, और न हो सकती है। हाँ, इसके बहाने से निर्दोषों का अपकार यथेष्ट रूप से होना सम्भव है और होगा। अत्याचार करने के लिए बहाना ढूँढना न दलील है, न चातुर्य, न सहृदयता है और न बुद्धि की शुद्धता! हम उन थोड़े से सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने निर्भीकता-पूर्वक जनता के पक्ष को व्यक्त किया और इनकी दयनीय विफलता पर हम इन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने युद्ध-स्थल में ठीक मौक़े पर अपने साथियों के विश्वासघात करने पर भी मैदान नहीं छोड़ा, अन्त तक अपने कर्तव्य पर अटल बने रहे।

एक बात हम और कह देना चाहते हैं, कि जनता को जिस सरलता और सुन्दरता से उनके आदमी समझा सकते हैं, उतना उसे विदेशी लट्ठ नहीं समझा सकता। हम जनता की गति-मति, आचार-विचार और अवस्था-व्यवस्था के जितने जानकार हैं, उतनी जानकार विदेशी सरकार एक हज़ार वर्ष में भी नहीं हो सकती। अगर देश से अथवा संसार से बल-प्रयोग द्वारा अभीष्ट सिद्ध को असार्थकता को सिद्ध करने की योग्यता इस समय किसी जाति में है, तो वह भारतवासियों में है। शराबी, शराबी की शराब नहीं छुड़ा सकता, न अन्धे को अन्धा राह बता सकता है। ब्रिटिश-सरकार की दमन नीति ने ही भारत में बमबाज़ी को जन्म दिया है और अब अधिक दमन से वह उसी विष-वृक्ष को सींच कर सुन्दर फल खाने की इच्छा करती है, यह उसकी भूल है, जिसके लिए उसे अनन्त काल तक पछताना पड़ेगा! आज अगर कॉङ्ग्रेस के पक्षपाती और महात्मा गाँधी के अनुगामी सम्वाद-पत्र न होते, तो न जाने कितने मनुष्यों के तप्त रक्त से मेदिनी सिञ्चित हो जाती, लेकिन अगर ईसाई बनने वाली सरकार प्रेम के मूल्य को समझ सकने में असमर्थ है तो इसका इलाज ही हमारे पास क्या है?

* * *

भारतीय शासन-पद्धति

नैसर्गिक शासन-पद्धति वही होती है, जो ऐसी सरकार द्वारा तैयार हो, जिसकी शासन-शक्ति का निर्माण और सञ्चालन देशवासियों की इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार हो। किसी जाति की

शासन करने वाली शक्ति का बिना उस जाति की इच्छा और प्रसन्नता के उत्पन्न हो जाना एक इतना बड़ा दोष है कि जिसके आगे अन्य सारे दोष पीछे पड़ जाते हैं। भारतवर्ष की सरकार में भी यही दोष है, इसीलिए इस शासन शक्ति द्वारा बनी हुई शासन-पद्धति से भारत में सदा असन्तोष बना रहता है।

ऐसी अनैसर्गिक सरकार को जनता के मत के विरुद्ध चलाने के लिए यदि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी प्रतिनिधियों को जो अमानुषिक कृत्यों का आश्रय लेना पड़े, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? एक असत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए सैकड़ों असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। साथ ही इस अनैसर्गिक परिस्थिति में यदि प्रजा विद्रोही हो जाय, तो भी उसमें हमें कोई अस्वाभाविकता प्रतीत नहीं होती।

जब हम देखते हैं कि हमारे हितों, हमारी इच्छाओं और अभिलाषाओं के विरुद्ध एक विदेशी कर्मचारी एक क्षण में अपना मन गढ़ित अनुशासन (ऑर्डिनेन्स) निकाल कर हमारे प्राकृत अधिकारों का अपहरण कर लेता है, जब हम देखते हैं कि हमारे मुँह में ताला लगाना, हमारी लेखनी को छीन लेना सर्वथा एक बाहरी आदमी की इच्छा पर निर्भर है, तो हमारे हृदय को शान्ति कैसे मिल सकती है? जब हमारे प्राकृतिक नियमों के अनुसार किए हुए कामों के लिए हमें पुलीस और फ़ौज के अस्त्र-शस्त्रों से आहत, विताड़ित और अपमानित किया जाय, जब हमारे ही सताने के लिए, हमारे ही कर से, शिकारी कुत्ते पाले जायँ, तो हमारे हृदयों के क्रोध, क्षोभ, घृणा का पैदा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कही जा सकती।

इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर महात्मा जी ने असली बात को थोड़े से शब्दों में ब्रिटिश पार्लामेण्ट की सर्व-दल-सभा में और कुछ सङ्घ-योजना-उपसमिति में स्पष्टतया कह दी है। आपका कथन सूत्र-रूप में था, लेकिन इनकी व्याख्या कठिन नहीं है। सच है, भारत सच्चा स्वराज्य चाहता है, नक़ली, बनावटी और मिलावटी धोके की टट्टी नहीं। हम अपने मामलों में इतने ही स्वतन्त्र होना चाहते हैं, जितना ग्रेट-ब्रिटेन, अमेरिका, फ़्रान्स इत्यादि अपने देश के मामले में हैं।

हम ऐसे प्रतिबन्धों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, जिनसे हमारे देश की आय का सौ में से ८० रुपया विदेशियों के हाथ में, उनकी इच्छा के अनुसार ख़र्च करने को, सौंप दिया जाय और बाक़ी २० रुपयों में हम अपने देश भर की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे उपयोगी कामों का प्रबन्ध करें। इस प्रकार की स्वाधीनता को भारत हाथ भी नहीं लगाना चाहता। यह हो सकता है कि भारत विवशता-जनित पराधीनता में पड़ा रहे, अपने को राजविद्रोही विघोषित कर दे, लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता, कि वह ऐसी सरकार का भार अपने ऊपर ले, जिसका आज नहीं, तो कल दिवालिया होना एक प्रकार से निश्चित ही समझना चाहिए।

आज हम मुक्त-कण्ठ से कह सकते हैं, कि महात्मा गाँधी ने भारत के एकमात्र चुने हुए विश्वस्त प्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य बड़े सौन्दर्य, सचाई और निर्भीकता से पालन किया है। आज भारत में महात्मा जी के प्रति उनके कामों से अभिनव श्रद्धा और भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा है। परमात्मा न करे, कि गोलमेज़ का प्रयास और प्रयत्न विफल हो। अगर विफल हुआ, तो इस बार के शान्तिशील समर में भारत का बच्चा-बच्चा योगदान देगा, या तो देश जनशून्य हो जायगा, या अभीष्ट प्राप्त करके रहेगा।

❀　❀　❀

प्राण-दण्ड की घातक प्रथा

संसार के अनेक देशों के विद्वानों, शासन-तन्त्रज्ञों और समाज-शास्त्रवेत्ताओं ने बहुत दिनों से इस विषय को मनन करने के पश्चात् तर्क और युक्ति-सहित प्राण-दण्ड को अमानुषिक और समाजहित-घातक बतलाया है। विद्वानों के इस प्रकार के मत के कारण अनेक स्थानों में 'फाँसी' की अर्थात् प्राण-दण्ड की प्रथा उठाई जा चुकी है। भारत में थोड़े दिनों के भीतर जो कितने ही सुशील, विद्वान्, स्वार्थत्यागी, वीर-हृदय भारतीय नवयुवकों को बुरे रास्ते पर जाने के कारण राजनैतिक अपराधों में फाँसी दी गई है, उनके कारण भारतवासियों का मन अधिक विचलित हो उठा है। विशेषतः इनके मनों की गति का आशातीत उलट जाने का कारण भारत में अनेक निर्दोषों को प्राण-दण्ड दिया जाना है। अस्तु।

मनुष्य सारी बुद्धि और ज्ञान के उपार्जन के बाद भी यह दावा नहीं कर सकता कि उससे भूल होना असम्भव है। जज लोग भी मनुष्य हैं, उनसे भी भूल होना सम्भव है। इस दशा में अगर किसी को अपराधी मान कर प्राण-दण्ड दे दिया गया और वह अपराधी न हुआ, तो कितनी भारी बुराई की बात होगी। इसीसे बचने के लिए न्याय-तत्त्व-वेत्ताओं का स्पष्ट मत है कि 'चाहे ९९ अपराधी बिना दण्ड पाए छूट जायँ; किन्तु एक भी निरपराधी को दण्ड न दिया जाय।'' पुनः मान्य प्रमाण-शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि 'जहाँ किसी व्यक्ति के अपराधी होने में तनिक भी सन्देह हो, वहाँ न्यायाधीश का कर्तव्य है कि अपराधी को छोड़ दे।

किसी को प्राण-दण्ड दे देना सरल है, किन्तु उस प्राणी का पुनः उसी अवस्था में ला देना सर्वथा असम्भव है। इसलिए प्राण-दण्ड देना, मनुष्यता, ज्ञान, न्याय, दया और सच्चारित्र्य के विरुद्ध, बर्बरता, नीचता, क्रूरता और अदूरदर्शिता है।

किसी अपराधी को प्राण-दण्ड इसलिए दिया जाता है कि (१) वह फिर समाज का अनिष्ट करने के लिए संसार में बाक़ी न रहे। (२) समाज के दूसरे लोगों को प्राणों के भय से वैसा काम करने की हिम्मत न पड़े।

हम इन दोनों तर्कों में कोई तत्त्व नहीं पाते। एक प्राण-दण्ड पाने योग्य अपराधी प्राण-दण्ड पाने के बाद न उस व्यक्ति को जिला देता है, जिसे उसने मारा था और न देश के दूसरे लोगों में भय सञ्चारित करता है। अगर वही आदमी प्राण-दण्ड पाने की अपेक्षा २० वर्ष तक अपने पाप का प्रायश्चित्त करता रहे—देश की जेल में ही अथवा देश के बाहर किसी स्थान में—तो उसने जितना अपकार किया है, उसका बदला चुका सकता है, और शायद वह बाद में सुधर कर समाज का अत्यन्त ही हितैषी बन जाय। इस दशा में साफ़ है कि प्राण-दण्ड देने से उतना लाभ नहीं है, जितना मनुष्य को जीवित रख कर उसे सच्चरित्र बनाने और समाज उपयोगी काम लेने से। जब हम दूसरे कारण को देखते हैं तो वह भी सत्य नहीं प्रतीत होता, न इष्ट ही जान पड़ता है। हम देखते हैं कि भारत में, आयर्लैंण्ड में, रूस में—इतिहास से जहाँ कहीं का पता चलता है—ज्यों-ज्यों लोगों को प्राण-दण्ड दिए गए, त्यों-त्यों हत्याएँ बढ़ती ही गईं, घटीं नहीं। इसलिए समाज को प्राण-दण्ड से ऐसे कामों में तो बिल्कुल भय नहीं होता, जो निस्स्वार्थ भाव से उसी समाज के हित के लिए किए जाते हैं—जिसके हित के लिए सरकार हत्यारे को फाँसी देती है। यहाँ तो दोनों पक्षों का उद्देश्य एक होने के कारण बड़ा भारी तर्क खड़ा हो जाता है। साधारण अपराधों में भी मनुष्य स्वभाव-जनित दोष और भाव के बदलने से ही मिट सकते हैं, भय और दण्ड दिखाने से नहीं। आजकल शिक्षा-संस्थाओं में भयभीत करना और मारना जिस सिद्धान्त और जिस उद्देश्य से रोका गया है, वही उद्देश्य यहाँ भी न्यायाधीशों का होना चाहिए; न कि प्रतिहिंसा से प्रेरित होकर दण्ड देना।

❀　❀　❀

नाटक का अन्धा

संसार के जितने नेत्र-रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी दवा सम्भव है, किन्तु नाटक के अन्धे को आँख वाला बना देना सर्वथा असम्भव है। इसका कारण यही है कि वह अन्धा नहीं है, किन्तु अन्धा बनने का कारणवशात् बहाना करता है। आज हमारे मुसलमान भाइयों की भी यही दशा है। मुसलमान नेता—सर आग़ा ख़ाँ हों या मि० जिन्ना अथवा मौलाना शौकत या कोई और—यह लोग देश के हिताहित को समझते हैं, यह अपने माँगों के भीतर छिपी हुई अराष्ट्रीयता के डङ्क को पहचानते हैं, इनके मन में भी स्वतन्त्रता की आकांक्षा है, परन्तु लाचार हैं। यह नौ नक़द के आगे तेरह उधार की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं?

भारत की स्वतन्त्रता के द्रोही बाज़ी हारते देख अपना ट्रम्प-कार्ड बड़ी होशियारी के साथ काम में लाना चाहते हैं। इसीसे इनकी हार बच सकती है। भारतवर्ष की बाज़ी में एक ही चोर है। यह चोर है हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न और विपक्ष का ट्रम्प-कार्ड है हिन्दू-मुस्लिम फूट!!

हमारे भारत के ऐंग्लो-इण्डियन कृपा-निधान और विलायत के सङ्कीर्ण दलभुक्त गौराङ्ग-महाप्रभु और भारत के हलालख़ोर अङ्गरेज़ पेन्शनर, मुसलमानों को बहुत दिनों से अपने मुट्ठी में करने की चेष्टा करते आ रहे हैं और मुसलमान नेता भी उनके हाथ की पुतली बने हैं। सर आग़ा ख़ाँ अङ्गरेज़ों के पुराने दिलदादः और भारत के तमाम हिन्दुओं को मुसलमान बनाने पर आमादः हैं। मौलाना शौकत साहब को भी ख़िलाफ़त आन्दोलन समाप्त होने पर ऐसे मुरब्बी की ज़रूरत हुई और बिला लिहाज़ शिआ और सुन्नी के, उन्हीं की गोद में वे भी जा बैठे। मिस्टर जिन्ना, जो कल तक पहले हिन्दी बाद में मुस्लिम बनते थे, अपना ध्येय बदलने को बाध्य हुए!!!

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो या न हो, मुसलमानों को इतना लाभ अवश्य होगा :—

१—हिन्दुस्तान में अङ्गरेज़ों के रुपए से विलायती माल बेच कर धनवान होना और मज़े उड़ाना।

२—हिन्दुस्तान की पुलिस की सारी नौकरियाँ और दूसरे मुहकमों की आधी जगहें आत्मसात् करना।

३—विदेशियों के साथ मिल कर उनका हित साधन करते हुए अपना भी काम बनाना।

हमारे शासक महाप्रभू न लॉर्ड डफ़रिन के महामन्त्र को भूल सकते हैं, न सर बोम्फ़ाइडी फ़ुलर की प्यारी बीबी की अवज्ञा कर सकते हैं!!

हमारे सामने मालाबार, गुलबर्गा, कोहाट, लुण्डी-कोतल, मुल्तान, डेराइस्माइलख़ाँ, चटगाँव प्रभृति स्थानों की घटनाओं का इतिहास है। ये सारी घटनाएँ हमें बतला रही हैं, कि हमारे मुसलमान धर्मावलम्बीय हिन्दू-भारत को किसी न किसी कारण स्वतन्त्र न होने देंगे। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि गोलमे[illegible]न्फ़्रेन्स या लम्बी मेज़ परिषद इस अवसर में भारत के सार्वजनिक हित की दृष्टि से सफल होने वाली नहीं है। महात्मा गाँधी के मन्त्रों से मुसलमान भाइयों के सर पर चढ़ा हुआ जिन अभी उतरना सम्भव नहीं है। यह भूत अगर धर्मान्धता का ही भूत होता, तो इसे टर्की और मिश्र के विद्वान

उतार सकते थे, लेकिन यह भूत असाधारण श्रेणी का है और कभी ब्रिटेन के उतारने से ही इसे उतरना पड़ेगा—लेकिन वह समय बुरा होगा।

हम सुदूर-भविष्य में नहीं, किन्तु निकट भविष्य में ही देख रहे हैं कि अखिल विश्व इस्लामी आन्दोलन और ख़िलाफ़त शोर-शर धराशाई हुआ चाहता है। मुसलमान धर्मावलम्बी हिन्दू या तो स्पेन की तरह सब के सब ईसाई हो जायँगे या आज जो हिन्दुओं की दशा है, उससे अधिक बुरी इनकी दशा होगी। भारत को इस्लाम प्रेम के छल से गुलाम बनाए रहने में विदेशियों की सहायता करने वाले देशघाती, न केवल भारत का ही बुरा करेंगे; बल्कि अपना, ईरान का, मिश्र का और टर्की आदि कई और एशियाई मुस्लिम शक्तियों का भी बुरा करेंगे।

अगर संसार की गति कुछ और ज़ोर पकड़ गई तो जिस क्रान्ति और मार धार को हरेक शान्ति-प्रेमी चाहता है कि न हो, वह बहुत जल्द पैदा होगी। इससे न केवल भारत की धरती नर-रक्त-रञ्जित नज़र आएगी, वरन् एशिया के अनेक भागों में भूकम्प होगा, धरा धसकेगी, समुद्र मर्यादा छोड़ेंगे, योगिनी, भूत तथा बैताल खप्पर लेकर नाचेंगे। महात्मा जी इस वीभत्स काण्ड को रोकना चाहते हैं, पर स्यात् अब न रोक सकेंगे।

❀ ❀ ❀

"सरदार जी, दिन के १२ बज चुके हैं"

(१२वें पृष्ठ का शेषांश)

इसके बाद अभियुक्त ने अदालत की घटना के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किए। सफ़ाई के वकील ने कहा कि अभियुक्त यह प्रमाणित करना चाहता है कि गवाह ने अदालत में अपने आपको मज़ाक़ की वस्तु बना रक्खी थी, इसलिए उन मज़ाक़ों से सम्बन्ध रखने वाली बातें प्रासङ्गिक हैं।

कोर्ट इन्स्पेक्टर द्वारा गवाह से फिर प्रश्न करने पर गवाह ने कहा कि भवानीसहाय के दोषारोपण झूठे हैं और अदालत ने ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ४७६ के अनुसार अभियुक्त पर झूठा बयान देने का मामला चलाया है।

अभियुक्त रुद्रदत्त के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० ईसर ने अभियुक्त रुद्रदत्त पर ताज़ीरात हिन्द की ३३२ और ३२३, दो दफ़ाओं के अनुसार अभियोग लगाया है। दफ़ा ३३२ में ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी पर आक्रमण करने का और दफ़ा ३२३ में केवल आक्रमण करने का अभियोग है। इन दोनों में से किसी अपराध के अपराधी पाए जाने पर अभियुक्त को दण्ड दिया जा सकता है।

अभियुक्त रुद्रदत्त ने कहा कि मैंने आक्रमण तो ज़रूर किया है, परन्तु उत्तेजना में किया था। मैं अपना पूरा बयान आगे दूँगा।

इसके बाद सरदार भागसिंह से सफ़ाई के वकील ने फिर जिरह प्रारम्भ की। जिरह में कई अफ़सरों पर सफ़ाई के वकील और सरदार भागसिंह में मनोरञ्जक मुठभेड़ें हुईं। इसके बाद सफ़ाई के वकील ने गवाह से कुछ आचरण सम्बन्धी प्रश्न किए, परन्तु अदालत ने उन प्रश्नों की इजाज़त नहीं दी।

प्र०—अदालत के जलपान के समय क्या आपसे और सरकारी वकील ख़ाँ साहब मोहम्मद अमीन से झगड़ा हो गया था और क्या आपने उन पर इस बात का आक्षेप किया था कि उन्होंने अपना बयान आपके बयान के बहुत कुछ विरुद्ध दिया था?

अदालत ने इस प्रश्न की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद अभियुक्त रुद्रदत्त ने गवाह से फिर जिरह की।

श्री० एम० एन० रॉय के विरुद्ध पुलिस के भीषण अभियोग

कानपुर में २८वीं सितम्बर को मुक़दमा शुरू होने पर मि० दामोदर बरमन कार्निक सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, बम्बई की गवाही हुई। आपने कहा कि मैंने बहुत सी चिट्ठियाँ पकड़ी थीं और पुलिस के डिप्टी-कमिश्नर को दिखला कर ख़ुफ़िया पुलिस के डाइरेक्टर के पास भेज दी थीं। आपने अदालत के सामने चिट्ठियों की शिनाख़्त की। आपने कहा कि एक चिट्ठी किरनबिहारी रॉय के नाम से आई थी। किरनबिहारी रॉय न्यू इन्स्योरेन्स कम्पनी, बम्बई में नौकर था। आपने कहा कि मैं डाँगे को जानता हूँ, मैंने उन्हें १९२३ ई० में बम्बई में और १९२४ में कानपुर में देखा था।

श्री० एम० एन० रॉय ने कहा कि मेरी तरफ़ से कोई क़ानूनी सलाहकार नहीं है। आपने कहा कि मि० इक़बाल किशन मेरे निजी सलाहकार हैं। मिस्टर किशन को मेरे क़ानूनी सलाहकार होने का अधिकार नहीं मिला है। मुझे मजबूरन तीन अर्ज़ियाँ देनी पड़ रही हैं। एक यह कि मुझे मि० ब्रजेशसिंह से मिलने दिया जाय। दूसरी यह कि मेरा बयान छापा जाय। तीसरी यह कि मुझे सब काग़ज़ात दिखाए जाएँ ताकि मैं अदालत के सामने अपना बयान दे सकूँ। श्री० एम० एन० रॉय ने कहा कि मुझे काग़ज़ात देखने में एक सप्ताह लगेगा।

इसके बाद बम्बई के ख़ुफ़िया पुलीस के इन्स्पेक्टर शेख़ हसन का बयान लिया गया। आपने कहा कि मैंने कुछ चिट्ठियाँ पकड़ी थीं और शिमला में ख़ुफ़िया विभाग के डाईरेक्टर के पास भेज दी थीं। इसके बाद ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट मि० एल० मुदालियर और कर्नलगञ्ज स्टेशन के अफ़सर मि० नादिरअली ख़ाँ की गवाहियाँ हुईं। नादिरअली ख़ाँ ने कहा कि मैं शौकत उसमानी को जानता हूँ। वह हबीब अहमद के नाम से राष्ट्रीय मुस्लिम स्कूल कानपुर में पढ़ाता था।

जलपान के बाद शशिभूषण भट्टाचार्जी ने बयान दिया। आपने कहा कि मैं नरेन्द्र भट्टाचार्जी को ख़ूब जानता हूँ, मैंने इन्हें पहिले-पहिल दिसम्बर, १९०६ में कॉङ्ग्रेस में देखा था। सरकारी वकील ने कहा कि इस बयान से यह साबित किया जाएगा कि अभियुक्त कौन है और इसका पहले चाल-चलन कैसा था? सरकारी वकील ने कहा कि अभियुक्त का क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध, भारतवर्ष के बाहर जाना और सरकार के प्रति घृणा का भाव होना अक्षरशः सत्य है। श्री० रॉय ने कहा कि इन बातों पर राय क़ायम करना क़ानून के ख़िलाफ़ है। मेरे नाम वारण्ट निकलने के दस वर्ष पहले मैं भारतवर्ष से चला गया था। यदि सरकार से घृणा करने का दोष मुझ पर लगाया जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के ९० फ़ीसदी आदमी दोषी हैं। इस गवाह का इस मुक़दमे से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह काम मेरे मुक़दमे को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है।

इसके बाद शशिभूषण ने बयान देते हुए कहा कि १९०७ में जो चाँदीपट्टा स्टेशन पर डकैती हुई थी वह मुझे ख़ूब याद है। रेलवे-स्टेशन, नरेन्द्र भट्टाचार्जी के गाँव कडोलिया से, एक मील से भी कम है। यह डकैती क्रान्तिकारियों द्वारा की गई थी। इस सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों की गिरफ़्तारी हुई थी, जिनमें एक नरेन्द्र भट्टाचार्जी भी थे। मैं क्रान्तिकारियों द्वारा की गई नतरा डकैती को भी जानता हूँ। नौ आदमी पकड़े गए थे, जिनमें नरेन्द्र भट्टाचार्जी भी थे। बाद में अभियुक्त छोड़ दिया गया था। मुझे नरेन्द्र भट्टाचार्जी पर विशेष नज़र रखने के लिए कहा गया था। १९१५ में कलकत्ता में गार्डन रीच में मोटर-डकैती हुई थी। अभियुक्त कलकत्ते में पकड़ा गया था और बाद में ज़मानत पर छोड़ दिया गया था। उसी दिन रात को बेलिया घाट में डकैती हुई। ख़बर मिलते ही नरेन्द्र भट्टाचार्जी को खोजा गया, मगर वह फ़रार हो गया। बाद में फ़रार असामी क़रार दिया गया। १९१५ के सितम्बर मास में मालूम हुआ कि नरेन्द्र भट्टाचार्जी बटेविया पहुँच गया है और मि० सी० ए० मारटिन के नाम से पुकारा जाता है। मुझे १९१८-१९ में मालूम हुआ कि नरेन्द्र भट्टाचार्जी बर्लिन में एम० एन० रॉय के नाम से रह रहा है। इसके बाद नरेन्द्र भट्टाचार्जी मास्को गया और थर्ड इण्टर नेशनल का सदस्य हो गया। मुझसे कहा गया था कि नरेन्द्र भट्टाचार्जी का पता लगाओ, क्योंकि उसका घर मेरे घर से क़रीब तीन मील फ़ासले पर था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह बम्बई में पकड़ा गया है। नरेन्द्र भट्टाचार्जी का जन्म २४ परगने में अरबेलिया बदुरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पण्डित दीनबन्धु भट्टाचार्जी एक स्कूल में मास्टर थे। मि० एम० एन० रॉय असल में नरेन्द्र भट्टाचार्जी हैं।

इसके बाद मि० रॉय ने बतलाया कि ऊपर का बयान इस मुक़दमे से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता। मुक़दमे की कार्रवाई ९ अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई। श्री० रॉय ने हाईकोर्ट के नाम एक तार भेजा है कि मेरी ज़मानत की अर्ज़ी की सुनवाई की तारीख़ की सूचना मेरठ षड्यन्त्र-केस के सफ़ाई के वकील मि० सिनहा के पास भेज दी जाय। सरकारी गवाहियाँ ख़तम हो गई हैं। अब श्री रॉय अपना बयान अदालत के सामने देंगे।

❀

दूसरा गवाह

दूसरे गवाह सार्जेण्ट बैलक ने कहा कि मैं अदालत में मौजूद था, जब अभियुक्त ने सरदार भागसिंह पर आक्रमण किया था।

सफ़ाई के वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं अभियुक्तों से अक्सर मज़ाक़ किया करता था, परन्तु उस मज़ाक़ में कोई आपत्तिजनक बात न होती थी। चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ भी ऐसा ही किया करते थे।

प्र०—क्या अभियुक्तों के व्यवहार से आपका यह अनुभव है कि वे बिलकुल सभ्य पुरुष हैं?

उ०—मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ।

सबूत पक्ष ने डॉ० किचलू को गवाही में नहीं पेश किया।

इसके बाद मामले की कार्रवाई आठ अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई।

❀ ❀ ❀

"सरदार जी, दिन के १२ बज चुके हैं"

"टाँगे का किराया दिया था ?" डी० एस० पी० के अपमान का अत्यन्त मनोरञ्जक मामला

दिल्ली षड्यन्त्र केस की स्पेशल ट्रिब्यूनल की अदालत में डी० एस० पी० सरदार भागसिंह पर अभियुक्त रुद्रदत्त ने जो थप्पड़ लगाया था, उसके सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जेल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मि० ए० ईसर के सामने सबूत की ओर से गवाही हुई।

सरदार भागसिंह ने कहा कि २६ अगस्त को अभियुक्त भवानीसहाय के लाए जाने के लिए दिल्ली षड्यन्त्र केस की कारवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई थी। इस बीच में जब मैं अदालत के कमरे से टेलीफ़ोन के कमरे में जा रहा था, तब अभियुक्त हज़ारीलाल ने मुझसे मज़ाक़ किया। हज़ारीलाल ने कहा—"यह आपके मित्र कैलाशपति के लिए है।" मैं आगे जा ही रहा था कि अभियुक्त बिमलप्रसाद जैन ने अपमानजनक ढङ्ग से कहा—"चुप रहो, निकल जाओ" या ऐसा ही कुछ कहा। इस पर मैं रुक गया और मैंने इस प्रकार से बातचीत करने के लिए मना किया। इतने में अभियुक्त रुद्रदत्त ने कटघरे पर से झुक कर मेरे चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद जब मैं टेलीफ़ोन के कमरे की ओर बढ़ा तब अभियुक्त ने एक जूता फेंक कर मारा जो कि मेरे माथे पर लगा। कठघरे के सीख़चों के बाहर डॉ० किचलू अभियुक्त बिमलप्रसाद के नज़दीक खड़े थे। मैंने उन्हें अभियुक्त को मना करते हुए देखा। अभियुक्त ने पहले-पहल जो कुछ मुझसे कहा था उसकी भाषा बहुत ही घृणित थी। अभियुक्त के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप मुझे बहुत दर्द रहा। मैं आगे नहीं गया और अदालत के कमरे में ही बैठ गया। इसके बाद मैंने ज़बानी और लिख कर प्रेज़िडेण्ट से रिपोर्ट की।

घर पहुँचने पर मुझे दर्द मालूम हुआ और मैंने आईने में देखा कि कोई देख पड़ने लायक़ चोट तो नहीं है। मैंने अपने माथे पर साफ़े के नीचे एक लाल चिन्ह देखा।

कोर्ट इन्स्पेक्टर के पूछने पर गवाह ने कहा कि दिल्ली षड्यन्त्र-केस की कारवाई प्रारम्भ होने के समय कुछ दिनों तक सबूत पक्ष का प्रबन्ध मेरे ही अधिकार में था। दो सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो जाने के बाद भी मैं सबूत पक्ष की कारवाइयों में डी० एस० पी० की हैसियत से भाग लिया करता था।

कोर्ट इन्स्पेक्टर—"क्या अदालत में आपके विरुद्ध अभियुक्तों ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था ?

अदालत—इस प्रश्न का क्या प्रसङ्ग है ?

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने प्रश्न के तात्पर्य को बतलाया। इस पर अदालत ने उपर्युक्त प्रश्न पूछने की इजाज़त दे दी। गवाह ने कहा कि अभियुक्त अदालत में रोज़ ही मेरे विरुद्ध आक्षेपजनक शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। क़रीब एक महीना हुआ, अभियुक्त रुद्रदत्त ने एक बार कहा था कि, "सरदार जी, याद रखिए, हम सभी लोग हिरासत में नहीं हैं, हमारे कुछ साथी बाहर हैं और वे आपको ज़रा देर में समाप्त कर सकते हैं।" दिल्ली षड्यन्त्र केस के दूसरे अभियुक्त विद्याभूषण ने भी कहा कि तुम जल्दी ही समाप्त कर दिए जाओगे। अदालत ने विद्याभूषण की बात नहीं दर्ज की, क्योंकि विद्याभूषण इस मामले का अभियुक्त नहीं था।

जिरह

सफ़ाई के वकील मि० रघुबीरसिंह की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मेरा कार्य मामला चलाना और उसके लिए काग़ज़ों की तैयारी करना है।

प्र०—क्या आपने षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में पुलिस के सामने दिए हुए बयानों का सम्पादन किया था ?

गवाह—"मैं सम्पादक नहीं हूँ।" (इस पर हँसी हुई)

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया।

प्र०—क्या दिल्ली षड्यन्त्र केस की जाँच के समय जो बयान दर्ज किए गए थे, वे आपके पास भेजे गए थे ?

उ०—बयान मेरे पास नहीं भेजे गए थे, परन्तु मि० पील ने मेरे पास 'इण्टेरिम' (मध्यवर्त्ती) रिपोर्ट भेजी थी। दिल्ली आने पर मि० पील ने मुझे दिल्ली षड्यन्त्र सम्बन्धी कुछ काग़ज़ात दिए थे।

प्र०—क्या उस समय तुम्हें बयान दिए गए थे ?

अदालत ने इस प्रश्न को प्रसङ्गहीन कह कर उसे पूछने की इजाज़त नहीं दी।

प्र०—मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते थे, क्या उनके दर्ज करने का अधिकार आप ही को दिया गया था ?

कोर्ट इन्स्पेक्टर ने इस प्रश्न पर आपत्ति करते हुए कहा कि अभियुक्त पक्ष केवल इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों को पूछ सकता है, षड्यन्त्र केस के बाहर के कार्यों के सम्बन्ध में गवाह से प्रश्न नहीं किया जा सकता।

सरदार रघुबीरसिंह ने कहा कि मैं गवाह की ड्यूटी की हद के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ, सबूत पक्ष का विरोध हास्यास्पद है।

अदालत ने प्रश्न की इजाज़त दे दी।

गवाह ने प्रश्न के उत्तर में कहा—कि हाँ, बयानों के दर्ज करने का अधिकार मुझे दिया गया था। गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्तों के विरुद्ध गवाहियों का संक्षिप्त विवरण भी तैयार किया था। जाँच करना मेरा कार्य नहीं था। सन् १९१८ में मैं सबूत पक्ष का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, परन्तु सन् १९१९ में गुजरांवाला के मार्शल लॉ काण्ड की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद दो या तीन बार और भी मैं जाँच के कार्य में नियुक्त किया गया था। परन्तु मुझे जाँच का कार्य याद नहीं है। मैं कुछ समय तक पञ्जाब पुलिस के सी० आई० डी० विभाग में रह चुका हूँ। रावलपिण्डी में मेरे मकान में सेंध लगी थी। उसमें जिस अभियुक्त का चालान किया गया था, वह मेरा एसिस्टैण्ट था।

हरद्वारीलाल ने मुझसे कुछ शब्द ऐसे कहे जो कि मैंने मुख़बिर कैलाशपति के सम्बन्ध में, जब कि वह बीमार था, अदालत में एक बार जल्दी में कहा था। मैंने उसे मज़ाक़ समझा। मैंने हरद्वारीलाल से "दोस्त" शब्द का प्रयोग व्यङ्ग में नहीं किया था। जूता जो मेरी ओर फेंका गया था, वह बिल्कुल चप्पल की तरह था।

प्रेज़िडेण्ट ने मुझसे यह नहीं कहा था कि घटना अदालत के स्थगित रहने के समय हुई है, इसलिए मैं कोई कारवाई नहीं कर सकता, गवाह चाहे तो अलग अपनी तरफ़ से दावा दायर कर सकता है। अभियुक्त मेरे प्रति कटु आक्षेप किया करते थे। उदाहरण के लिए वे अक्सर कहा करते थे कि, "सरदार जी, अब इस समय १२ बजे दोपहर का समय है।" (इस पर हँसी हुई) रुद्रदत्त भी अक्सर कहा करता था, "सरदार जी, आपका ताँगा खड़ा है, क्या आपने किराया दे दिया है।" (इस पर फिर हँसी हुई)

प्र०—क्या आपने कभी उनसे मज़ाक़ किया ?

उ०—नहीं।

इसके बाद अदालत की कारवाई स्थगित हो गई।

दूसरे दिन जिरह के उत्तर में डी० एस० पी० सरदार भागसिंह ने कहा कि १७ जुलाई को एक गवाह को, जो कुछ काग़ज़ात दिखला दिए गए थे, उसके सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल ने मुझसे बयान देने को कहा था। आपने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे विरुद्ध गवाहों को सिखलाने का दोषारोपण किया गया था। यह ठीक है कि अभियुक्त भवानीसहाय ने ट्रिब्यूनल के सामने कहा था कि मैंने उसे डराया, धमकाया और कुछ बयानों के देने के लिए प्रलोभन दिया था। यह मुझे याद है कि ट्रिब्यूनल के सामने एक बार शिकायत की गई थी कि कठघरे के पास खड़े हुए कॉन्स्टेबिल अभियुक्तों की बातचीत सुन लेते हैं। इस विषय में मेरे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। अभियुक्तों ने या सफ़ाई के वकीलों ने मुझसे अभियुक्तों के कठघरे से दूर रहने के लिए कभी नहीं कहा था। मुझे यह ठीक-ठीक याद नहीं है कि अभियुक्त बिमल और रुद्रदत्त ने किन शब्दों का प्रयोग किया था। भाषा घृणित थी। मैं इस तरह की बातों से कभी क्रुद्ध नहीं हुआ। सार्वजनिक नौकर की हैसियत से मुझे ऐसी गालियों को धैर्य के साथ सहन करनी पड़ती हैं।

अभियुक्तों ने इस पर हर्षध्वनि की।

घटना की थोड़ी ही देर बाद डॉ० किचलू ने मुझसे इस मामले में कोई कारवाई न करने के लिए कहा, क्योंकि अभियुक्त थोड़ी उम्र का लड़का है। उन्होंने कहा कि मैं प्रयत्न करूँगा कि वह माफ़ी माँग ले।

मैंने डॉ० किचलू से कहा कि इस विषय पर विचार करूँगा। मैंने लिखित शिकायत अदालत की कारवाई स्थगित हो जाने के बाद प्रेज़िडेण्ट को दे दी थी। मैं इस मामले को स्थगित करने के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे माफ़ी माँगने का प्रस्ताव ही क्यों न किया जाय। मैं अभियुक्तों से कठघरे में बातचीत किया करता था।

अभियुक्त द्वारा जिरह

इसके बाद अभियुक्त रुद्रदत्त ने सरदार भागसिंह से जिरह की। गवाह ने कहा कि यह बात ठीक है कि एक बार जब सरकारी वकील विषय के बाहर बात करने लगे थे, तब मैंने उन्हें खींच कर बैठा दिया था।

अभियुक्त ने अन्य अनेक प्रश्न किए जिन्हें अदालत ने अप्रासङ्गिक कह कर नहीं पूछने दिया।

अभियुक्त—क्या आप जालन्धर की अदालत से किसी बेईमानी के लिए बाहर कर दिए गए थे ?

गवाह—नहीं। मैं 'बेईमानी' शब्द का ज़बरदस्त विरोध करता हूँ।

अदालत—आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए, जब तक कि इस विषय पर सलाह न ले लें।

रुद्रदत्त—कृपया बेईमानी के लिए मुझे दूसरा शब्द बतला दीजिए।

इसके बाद गवाह ने कहा कि जब से चन्द्रावती का कैलाशपति के नाम लिखा हुआ पत्र अदालत में पेश किया तब से चन्द्रावती मुझसे नहीं मिली।

(शेष मैटर ११वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

देश की वेदी पर

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

वह भिखारिणी थी। उसका कोई नाम नहीं था; न तो वह स्वयं अपना नाम जानती थी और न और दूसरे लोग। विएना के प्रातर मुहल्ले में वह अधिक दिखाई दिया करती थी, इसीलिए लोग उसे प्रातर की भिखारिणी के नाम से पुकारते थे। वह युवती थी, उसके मुख पर माधुर्य था; परन्तु जिस प्रकार मिश्री का मिठास अरहर की दाल में पड़ कर नष्ट हो जाता है, या छिप जाता है, इसी प्रकार उसकी माधुरी दरिद्रता के कारण पैदा हुई चिन्ताओं में निहित रहती थी।

आगे-पीछे उसका कोई न था। ऐसा भी नहीं कि जिसे वह अपना समझ भी सके। उसका कोई घर भी न था। वह यह न जानती थी कि वह कहाँ उत्पन्न हुई थी और न उसे इस बात का ही ज्ञान था कि वह कहाँ धराशाई होगी। संसार में रहते हुए भी वह संसार से बिलकुल अपरिचित थी।

उसका कोई सहायक भी न था, जो कभी-कभी उससे कुछ सहानुभूति ही दिखा दे। वह, जो कुछ मिल जाता, उसे खा लेती, जो कुछ मिल जाता, उसे पहन लेती। लोगों की उसके विषय में अनेकों धारणाएँ थीं और उन्हीं धारणाओं के आधार पर लोगों के हृदयों और घरों में उसके लिए स्थान था। कोई उसे मायाविनी समझता और इसीलिए उसका तिरस्कार करता। कोई उसे वेश्या समझता और इसीलिए उससे घृणा करता। कोई उसे पागल समझता और इसीलिए उसकी हँसी उड़ाता। बदनामी—और वह भी असत्य—दरिद्रता की सगी बहन है। धन सारे दोषों पर पर्दा डाल देता है, दरिद्रता गुणों को भी दोष के रूप में दिखाती है। दरिद्रता वह दर्पण है, जिसका शीशा समतल नहीं होता और जिसमें प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति का रूप विकृत दिखाई पड़ता है।

❀ ❀ ❀

अर्द्धरात्रि का समय था। रिंगश्रास-स्थित ओपरा में खेल समाप्त हो चुका था। लोग लौट कर अपने घरों को जा रहे थे। ओपरा से लौटे हुओं में दो सिपाही भी थे। सैनिकों की वर्दी पहने दोनों घर की ओर जाने के लिए एक छोटी गली में मुड़े। उन्हें एक चीख़ सुनाई दी। सामने से एक बालिका भागी हुई आ रही थी। वह थी भिखारिणी। उसके पीछे एक व्यक्ति शराब के नशे में चूर दौड़ रहा था। दोनों सैनिक उस ओर दौड़े। उन्हें देख कर शराबी एक ओर को भाग गया। भिखारिणी वहाँ खड़ी रही। सैनिक उसके पास पहुँचे तो वह दौड़ने के कारण लम्बी-लम्बी श्वासें ले रही थी। सैनिकों ने जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और पास ही पड़ी हुई एक बेञ्च पर उसे बिठा दिया।

'वार तो नहीं कर दिया था उसने ?'—एक सैनिक ने पूछा।

'वार तो करता, परन्तु आप लोग आ गए।'

'तुम प्रसन्न नहीं हो, कि हम लोगों ने तुम्हारी रक्षा की ?'

'प्रसन्न तो हूँ, परन्तु यह नहीं जानती कि आप लोग कौन हैं।'

'क्या रक्षक के विषय में न जानने से रक्षा का महत्त्व कम हो जाता है ?'

'कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है।'

'यह क्यों ?'

'रक्षा के उद्देश्य से।'

'रक्षा के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं ?'

'क्यों नहीं। कोई डूबते हुए को तालाब से इसी लिए निकालता है कि उसे एक अन्धकूप में ढकेल दे। कोई अन्धकूप से इसलिए निकालता है कि उसे प्रकाश में ला बिठाए।'

'हमारा उद्देश समझती हो ?'

'बिना आपको जाने ?'

'परिचय करा दें ?'—एक सैनिक ने कहा।

'अच्छा होगा।'

'मेरा नाम कार्ल है। मैं ऑस्ट्रियन सेना में एक अफ़सर हूँ। कुछ दिन हुए मैं विएना में आया हूँ और तुम्हें देख कर प्रसन्न ही हूँ।'

'और आप ?'—कह कर भिखारिणी ने दूसरे सैनिक की ओर देखा।

'मेरा नाम पीट्रोविच है। मैं रशियन सेना में एक अफ़सर हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं ऑस्ट्रिया आया हूँ और अपने परम मित्र कार्ल के साथ विएना की सैर कर रहा हूँ। मैं भी आपको देख कर अत्यन्त प्रसन्न हूँ।'

जिस समय पीट्रोविच यह कह रहा था, उसके नेत्र भिखारिणी की ओर गड़े हुए थे। उस दृष्टि में जो भाव थे, वे भिखारिणी को अच्छे न लगे। भिखारिणी ने कुछ कहा नहीं, परन्तु वह दृष्टि उसके हृदय में अङ्कित हो गई।

'तुम भी अपने विषय में कुछ बतलाओ।'—कार्ल बोला।

'क्या करेंगे पूछ कर ?'

'कुछ हानि है ?'

'आप जान कर पछताएँगे।'

'क्यों ?'

'क्योंकि मेरा परिचय कुछ है ही नहीं।'

'कुछ तो होगा ही।'

'कुछ होता तो बता न देती !'

'नाम क्या है ?'

'मुझे पता नहीं।'

उत्तर सुन कर दोनों सैनिक हँसने लगे।

'आप हँसते क्यों हैं ?'—भिखारिणी ने पूछा।

'तुम्हारे उत्तर पर। भला कोई ऐसा भी व्यक्ति है, जिसका नाम न हो ?'

'मैं ही एक ऐसी हूँ।'

'पुकारी किस प्रकार जाती हो ?'

'भिखारिणी के नाम से।'

'भिखारिणी ?'

'हाँ ! इस भाग में सब यही कह कर मुझे पुकारते हैं।'

यह सुन कर दोनों सैनिक हँस कर भिखारिणी का मज़ाक़ बनाने लगे। भिखारिणी बिना कुछ कहे चल दी। सैनिक कुछ देर देखते रहे। पीट्रोविच अब भी हँस रहा था। कार्ल ने कुछ देर विचारा और कहा—पीट्रोविच, हँसी रोक दो। हमने यह बड़ा अपराध किया है। वह बुरी लड़की नहीं है।

'यह सब बातें व्यर्थ हैं।'

'मैं गम्भीर हूँ, पीट्रोविच !'

'फिर क्या करोगे ?'

'उससे क्षमा माँगेंगे ?'

'माँगेंगे ? मैं नहीं।'

'तो मैं जाता हूँ।'

कार्ल आगे बढ़ा। पीट्रोविच कुछ देर देखता रहा, वहाँ से हटा नहीं। सामने सड़क पर भिखारिणी बढ़ी चली जा रही थी, कार्ल ने दौड़ कर उसे पकड़ा।

'और मज़ाक़ बनाओगे ? इसी उद्देश्य से मेरी रक्षा की थी ? सभ्य-समाज के सपूत !'—भिखारिणी ने कहा।

'मज़ाक़ बनाने नहीं आया, भिखारिणी, क्षमा माँगने आया हूँ।'

'क्षमा क्यों माँगते हो ? यह तो नई बात है। आज तक सैकड़ों पुरुषों ने भिखारिणी को मज़ाक़, विनोद, तिरस्कार, सन्देह की दृष्टि से देखा है, परन्तु किसी ने क्षमा नहीं माँगी।'

'यह उनका अत्याचार है। परन्तु मैं तुमसे क्षमा अवश्य मागूँगा। नहीं तो मेरी आत्मा को बड़ा क्लेश होगा।'

'अच्छा, क्षमा कर दिया !'—भिखारिणी ने हँस कर कहा।

कार्ल भी हँस दिया, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा कर कहा—शेक !

भिखारिणी ने हाथ मिलाया।

'अब हम मित्र हैं।'—कार्ल ने कहा।

'भिखारिणी के मित्र?'—भिखारिणी ने पूछा।

'हाँ।'

इतने ही में पीट्रोविच भी वहाँ आ गया। वह यह सब कुछ देख रहा था। कार्ल को भिखारिणी से घनिष्ठता बढ़ाते हुए देख कर उससे भी न रहा गया। वह क्यों घाटे में रहे और भिखारिणी तथा कार्ल की दृष्टि में बुरा बने। उसने आते ही कहा—मुझे क्षमा करना, भिखारिणी ! मैं देर से आया हूँ।

'दुःख प्रकाशित करने ?'

'हाँ।'

'सोच-विचार के बाद ?'

'हाँ। क्या वे बातें भुला दी जायँगी ?'

सबने 'हाँ' कहा और हँसने लगे।

'तुम्हें घर पहुँचा आवें ?'—कार्ल ने कहा।

'भिखारिणी का घर कहाँ ?'

'रात को कहाँ रहती हो ?'

'कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ जगह देखी, पड़ रही।'

'अब कहाँ जाओगी ?'

'ऐसी ही जगह की खोज में।'

कार्ल और पीट्रोविच दोनों कुछ देर सोचते रहे। फिर कार्ल बोला—पीट्रोविच, यदि इन्हें होटल जाया जाय तो कैसा ?

'होटल में, किस लिए ?'—भिखारिणि ने पूछा।

'डरती हो ?'

'नहीं।'

'तो फिर आपत्ति कैसी ?'

'आपको इतना कष्ट क्यों दूँ ?'

'अब तो मित्रता के नाते इस बात का तुम्हें अधिकार है।'

'कब तक ?'

'कल तक। फिर एक घर ले लेंगे। तुम घर की देख-रेख करोगी और हम उसमें रहेंगे। स्वीकार है ?'

भिखारिणि ने कुछ देर कार्ल की ओर देखा, कुछ देर पीट्रोविच की ओर। फिर कार्ल की ओर एक कृतज्ञता की दृष्टि डालते हुए उसने कहा—स्वीकार है, क्योंकि.........

'क्योंकि.........?'—कार्ल ने पूछा। और साथ ही दोनों मित्र उत्तर के लिए उसके मुख की ओर देखने लगे।

'आप लोग इतने दयालु हैं।'—कुछ देर सोच कर भिखारिणि ने कहा। उसने किसी एक का नाम नहीं लिया था, अतः दोनों का उस उत्तर से कुछ सन्तोष नहीं हुआ, परन्तु उत्तर देते समय भिखारिणि ने जिस प्रकार कार्ल की ओर देखा, उससे कार्ल को प्रसन्नता हो गई।

'हाँ, तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे ?'—चलते-चलते कार्ल ने पूछा।

'भिखारिणि।'

'अब नहीं।'

'फिर ?'

'कोई नाम रक्खेंगे। क्यों पीट्रो ?'

'तुम्हीं रक्खो। मैं तो औस्ट्रियन नाम जानता ही नहीं।'—पीट्रोविच ने कहा।

'फ़्रिस्सी ! कहो, कैसा रहेगा ?'—कार्ल ने पूछा।

दोनों ने अपनी सम्मति दे दी।

२

कार्ल, पीट्रोविच तथा फ़्रिस्सी तीनों उस घर में रहने लगे। फ़्रिस्सी घर के काम-काज में इतनी निपुण होगई कि मानो वह सदा से उसी प्रकार के वातावरण में रही थी। वह घर की सफ़ाई करती, भोजन बनाती, दोनों मित्रों के वस्त्रों का हिसाब रखती, हर प्रकार से उनकी सेवा करती। उसे, एक आधार मिल जाने के कारण, काम करने में एक अभूतपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती थी। वह कार्ल और पीट्रोविच की दयालुता से दबी हुई थी और उस भार को हलका करने के लिए वह सदा इस बात की चिन्ता रखती थी कि उन दोनों को किसी प्रकार का दुःख न होने पाए। उनके लिए छोटे-छोटे काम करने में भी उसे अपार सुख होता था। उसने अपने रहन-सहन, बोल-चाल में भी इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया था कि कोई कह नहीं सकता था कि यह वही प्रातर की भिखारिणी है। कार्ल ने उसे पढ़ने का शौक़ लगा दिया था। वह कार्ल से जर्मन पढ़ती थी और पीट्रोविच से रशियन। कभी-कभी जब कार्ल और पीट्रोविच झगड़ते तो वह माता का काम करती। उन्हें डाँटती, समझाती, आँसू पोंछती और उनमें फिर से मेल करा देती थी। फ़्रिस्सी पीट्रोविच को इतना पसन्द नहीं करती थी, जितना कार्ल को ; फिर भी वह दोनों को समान दृष्टि से देखती थी।

कार्ल और पीट्रोविच दोनों ही फ़्रिस्सी को प्रेम की दृष्टि से देखने लगे थे। फ़्रिस्सी चाहे जो कुछ रही थी, परन्तु अब वह एक आदर्श बालिका थी। दोनों को उसे प्राप्त करने की आशा थी, परन्तु कोई इस विषय में दूसरे से कुछ भी न कहता था। न तो कार्ल को यह पता था कि पीट्रोविच फ़्रिस्सी को इस दृष्टि से देखता था और न पीट्रोविच इस बात को जानता था कि कार्ल फ़्रिस्सी को प्रेम करता था। न उनमें से किसी ने अभी तक अपनी इच्छा फ़्रिस्सी को ही जताई थी।

कुछ समय इस प्रकार निकल गया। यूरोप के आकाश में महायुद्ध के बादल मँडराने लगे। औस्ट्रिया और सर्विया में युद्ध छिड़ गया और रूस ने सर्विया का पक्ष लिया। युद्ध की घोषणा होते ही सारे देश में हलचल मच गई। जहाँ-जहाँ सैनिक लोग थे, वहाँ-वहाँ उनके पास तार पहुँचने लगे कि शीघ्र ही वे सेनाध्यक्ष के यहाँ अपनी हाज़िरी दें।

कार्ल के मकान में नीचे फ़्रिस्सी रहती थी और ऊपर अलग-अलग दो कमरों में कार्ल और पीट्रोविच। एक समय पर ही तार वाले ने एक तार पीट्रोविच को दिया और दूसरा कार्ल को। उस समय रात्रि थी। फ़्रिस्सी ने जाग कर ही तार वाले से वे तार लिए थे और दोनों मित्रों के कमरे में पहुँचाए थे। पीट्रोविच ने तार पढ़ा। उसे औस्ट्रिया छोड़ कर रूस के सीमान्त प्रदेश में शीघ्र पहुँचने का आदेश था। उसने घड़ी देखी, गाड़ी में दो घण्टे थे। वह सामान बाँध कर फ़्रिस्सी और कार्ल से मिल सकता था। फ़्रिस्सी से वह विशेष रूप से मिलना चाहता था। वह आज फ़्रिस्सी के सामने अपना प्रेम प्रकट करना चाहता था और चाहता था उससे विवाह की सम्मति प्राप्त करना और उसे अपने साथ रूस ले जाना। उसे फ़्रिस्सी की सम्मति की विशेष आशा नहीं थी ; फिर भी वह निराश न था। उसे यह पता न था कि फ़्रिस्सी के हृदय में कार्ल के प्रति कैसे भाव हैं। उसने स्वयं मुस्कुराते हुए सामान बाँधना शुरू कर दिया।

कार्ल ने भी तार पढ़ा। उसे भी सेनाध्यक्ष के यहाँ उपस्थित होने का आदेश था। वह तार पढ़ कर घड़ी देखना और गाड़ी का समय ठीक करना और सामान बाँधना सब कुछ भूल गया। उसके सामने केवल एक समस्या थी। फ़्रिस्सी का क्या होगा, यही विचार उसके मस्तिष्क को घेरे हुए था। उसके कारण फ़्रिस्सी वहाँ आकर रही थी। उसीने उसे इस योग्य बनाया था। अब वह उसे इस प्रकार निस्सहाय नहीं छोड़ सकेगा। वह उससे विवाह ही क्यों न कर ले और उसे अपने ग्राम में छोड़ कर, युद्ध पर चला जाय ? वह उसे प्रेम करता ही था। उसने भाग्य-परीक्षा करनी चाही। लबादा पहन कर वह नीचे पहुँचा। फ़्रिस्सी अभी सोई न थी, उसके कमरे में प्रकाश था। कार्ल ने पुकारा—फ़्रिस्सी !

'कार्ल !'—कमरे में से फ़्रिस्सी ने पुकारा।

'हाँ, मैं हूँ कार्ल, फ़्रिस्सी ! भीतर आ जाऊँ ?'

'आओ !'

फ़्रिस्सी ने द्वार खोल दिया। कार्ल भीतर जाकर कुर्सी पर बैठ गया।

'कहो कार्ल !'—फ़्रिस्सी ने पूछा।

'यह पढ़ो।'—कह कर कार्ल ने तार उसके हाथ में दे दिया।

'युद्ध के लिए !'—ओह, भगवान ! फ़्रिस्सी ने तार पढ़ कर कहा।

'क्यों, युद्ध के नाम से इतना भय, फ़्रिस्सी ?'

'नहीं कार्ल, युद्ध के नाम से नहीं, किसी और विपत्ति से भी नहीं। डर मैंने सीखा नहीं है। परन्तु मैं कुछ और सोच रही थी।'

'अपने विषय में ?'

'नहीं।'

'पीट्रो के विषय में ?'

'नहीं।'

'फिर ?'

'कार्ल के विषय में।'

'क्यों ?'

'यह न पूछो, कार्ल ! कभी इसके बताने के लिए समय मिलेगा। अभी तो जाओ, युद्ध के लिए। औस्ट्रिया को तुम्हारी सेवाओं की, तुम्हारे बल की, तुम्हारी विद्या की और तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है।'

'तुम्हारा क्या होगा, फ़्रिस्सी ?'

'कुछ नहीं, कार्ल, मेरी चिन्ता न करो। मैं तो उसी जगत में फिर चली जाऊँगी, जहाँ से आई थी।'

'भिखारिणि होकर ?'

'हाँ।'

'अब उस जगत में रह सकोगी ?'

'हाँ, रह सकूँगी—इन महीनों की मधुर स्मृतियों के सहारे।'

'फ़्रिस्सी।'

'कार्ल !'

'ऐसा न करो।'

'फिर ?'

'मेरे साथ चलो।'

'कहाँ ?'

'मेरे ग्राम को।'

'इस प्रकार ?'

'नहीं।'

'तो ?'

'ज़रा गम्भीर होकर सुन सकोगी ?'

'हाँ, कहो।'

'साहस नहीं होता।'

'कह भी दो। देर न करो।'

'मेरी...स्त्री...होकर।'—कह कर कार्ल ने शिर नीचा कर लिया।

'कार्ल !'—कह कर फ़्रिस्सी उसकी ओर देखने लगी।

'मैंने अब तक तुम्हें न बताया था, फ़्रिस्सी ! परन्तु मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ।'

'और मैं भी कार्ल !'

'फ़्रिस्सी !'—कार्ल चिल्ला उठा और अपनी मत्त आँखें फ़्रिस्सी की आँखों के सामने ले गया। उसके हाथों में फ़्रिस्सी के हाथ थे।

'स्वीकार है ?'—उसने पूछा।

फ़्रिस्सी ने शिर 'हाँ' में हिला दिया।

कार्ल के वक्षस्थल में फ़्रिस्सी छुपी हुई थी कि पीट्रोविच आ गया। कार्ल और फ़्रिस्सी को इस प्रकार अकेले में देख कर, उसकी क्रोधानल प्रज्वलित हो गई। उसका मुख तमतमा गया। वह शायद इसे कार्ल के लिए अनधिकार चेष्टा समझता था, इसलिए वह कार्ल का नाम लेकर तेज़ी से बोला—कार्ल ! तुम्हारी यह धृष्टता !

'धृष्टता नहीं अधिकार, पीट्रोविच सुख-सम्वाद सुनने के लिए तुम ठीक समय पर आए हो।'—कार्ल ने हँस कर उत्तर दिया।

'सुख-सम्वाद कैसा ?'

'मैं और फ़्रिस्सी विवाह करने जा रहे हैं।'

'विवाह ?'

'हाँ'

'फ़्रिस्सी का और तुम्हारा ?'

'हाँ।'

'यह तुम्हें भ्रम है, कार्ल। तुम नहीं जानते कि फ़्रिस्सी से विवाह की स्वीकृति लेने ही मैं आया हूँ।'

'इसका निर्णय तो फ़िल्सी ने कर दिया।'

'कर कैसे दिया? बिना मुझसे मिले?'

'तुम्हारी उसमें क्या आवश्यकता थी?

'मैं फ़िल्सी को प्रेम करता हूँ।'

'फ़िल्सी को भी तो प्रेम करने का अधिकार है।'

'है।'

'फ़िल्सी तुम्हें प्रेम नहीं करती।'

पीट्रोविच ने फ़िल्सी की ओर देखा और पूछा—फ़िल्सी, क्या कार्ल को?

'हाँ, पीट्रो।'

'यह मुझे पता न था। मैं धोखे में मारा गया और इसीलिए तुम्हें हाथ से खो रहा हूँ।'

'धोखा नहीं, पीट्रो, बात बिल्कुल ही स्पष्ट है। एक स्त्री दो पुरुषों की सेविका हो सकती है, परन्तु उसके प्रेम पर केवल एक व्यक्ति का ही अधिकार हो सकता है। वह अधिकार मैं कार्ल को दे चुकी हूँ।'

'अच्छा फ़िल्सी, रक्खो अपने कार्ल को और उसके क्षुद्र प्रेम को!'—कह कर पीट्रोविच द्वार की ओर जाने लगा।

'मुझे दुःख है, पीट्रो!'—फ़िल्सी ने कहा।

'सब ठीक है।'—पीट्रो ने उत्तर दिया। वह अभी द्वार तक न पहुँचा था कि कार्ल ने उसको पुकारा। पीट्रो खड़ा हो गया।

'अन्तिम बार मुझसे न मिलोगे, पीट्रो?'—कार्ल ने बड़े करुण स्वर में कहा।

'तुम से मिलूँगा? अब हमारा-तुम्हारा मिलन उस समय होगा जब रूस की फ़ौजें ऑस्ट्रिया के नगरों को ध्वंस कर रही होंगी और जब तुम एक क़ैदी की भाँति मेरे सामने लाए जाओगे।'

वह चला गया। कार्ल और फ़िल्सी कुछ समय तक स्तब्ध बैठे रहे।

३

कार्ल और फ़िल्सी का विवाह उसी दिन हो गया। कार्ल ने अपने ग्राम में फ़िल्सी को छोड़ दिया और वह युद्ध में लड़ने के लिए चल दिया। कार्ल अकेला था, उसके माता-पिता का देहान्त हो चुका था। अतः फ़िल्सी को घर में अकेले ही रहना पड़ा।

फ़िल्सी इस प्रकार कुछ दिनों तक ही रही थी कि ग्राम में रशियन सेना के आक्रमण की बात फैल गई। 'रूसी लोग आ रहे हैं, रूसी लोग आ रहे हैं' की ध्वनि ही चारों ओर सुनाई देती थी। कुछ व्यक्तियों ने ग्राम को छोड़ दिया था और वे विएना चले गए थे। फ़िल्सी कहीं नहीं जा सकती थी। न तो वह कार्ल से इसके लिए आज्ञा ही प्राप्त कर सकती थी, न कहीं जाने के लिए उसके पास स्थान ही था।

कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद फ़िल्सी को कार्ल का एक पत्र मिला:—

"प्यारी फ़िल्सी,

ग्राम पर रूसी सेना का आक्रमण होने वाला है। हमारी सेना की एक टुकड़ी उधर भेजी जा रही है। परन्तु फिर भी, उधर कुछ भय है। इसलिए तुम शीघ्र ही ग्राम छोड़ कर विएना को चली आओ। वहाँ मैं तुम से मिलूँगा और तुम्हारे रहने का प्रबन्ध कर दूँगा। प्यार!"

जिस समय फ़िल्सी को यह पत्र मिला, उसी समय वह तैयारी करके घर से निकली। परन्तु ज्योंही वह ग्राम के फाटक पर पहुँची, उसे कुछ सिपाहियों ने रोक लिया। सिपाही रूसी सेना के थे। रूसियों ने सारा ग्राम चारों ओर से घेर लिया था। फाटक पर नोटिस लगा था—

'किसी व्यक्ति को भी ग्राम छोड़ने की आज्ञा नहीं है। जिस किसी को ग्राम से बाहर जाना हो, उसे अफ़सर से पास लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई व्यक्ति बिना पास के ग्राम से बाहर निकलने की चेष्टा करेगा, उसे दण्ड मिलेगा।'

फ़िल्सी को इतना शीघ्र रूसी फ़ौज के चङ्गुल में फँस जाने की आशा नहीं थी। वह कार्ल से मिलने के लिए छटपटा रही थी। कार्ल भी उसके लिए विएना में प्रतीक्षा कर रहा था। उससे रुका न गया। आज्ञा मिले या न मिले, वह जायगी अवश्य। यह निश्चय करके वह अफ़सर की ओर चली। परन्तु वहाँ पता लगा कि अफ़सर से कोई दूसरे दिन तक न मिल सकेगा। ज्यों-त्यों फ़िल्सी ने रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा की। कुछ अन्धकार हो जाने पर वह घर से निकली और एक पगडण्डी से उसने ग्राम से निकलने का विचार कर लिया। कुछ दूर गई थी कि इधर-उधर से सिपाही निकल आए और उसे गिरफ़्तार कर लिया। उसे यह पता न था कि चारों ओर के नाके घिरे हुए थे।

एक पुराने अधटूटे गिर्जे में रूसी अफ़सर ने अपना दफ़्तर खोला हुआ था। वहीं सिपाही फ़िल्सी को ले गए। वहाँ तीन-चार वैसे ही क़ैदी और थे। एक उनमें से थे महन्त। दूसरे लोग उस सभ्य समाज के व्यक्ति थे, जो फ़िल्सी को कभी विएना में तिरस्कार, उपेक्षा और उपहास की दृष्टि से देखता था।

अफ़सर के समक्ष क़ैदी पेश किए गए। सबसे पहले फ़िल्सी का नम्बर था। अफ़सर मेज़ के ऊपर बैठा था। फ़िल्सी सामने जा खड़ी हुई। अफ़सर ने सिर ऊँचा किया, कुछ देर फ़िल्सी की ओर देखा और चिल्ला उठा—फ़िल्सी।

अफ़सर वही पिट्रोविच था।

'हाँ, पिट्रोविच, यह फ़िल्सी है...', फ़िल्सी ने शान्ति-पूर्वक कहा।'

'सो मेरी बात पूरी होगई।'

'क्या?'

'यही कि युद्ध-क्षेत्र में हमारा मिलन होगा।'

'इस बात का तुम्हें बड़ा गर्व है?'

'क्यों नहीं? जिस फ़िल्सी ने कभी मेरा तिरस्कार किया था, मेरे प्रेम की अवहेलना की थी, आज वही फ़िल्सी मेरे सामने एक क़ैदी, एक अपराधिणी, के रूप में खड़ी है।'

'कह लो पीट्रो, यह सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर कार्ल तुम्हारी इन बातों का उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है। कार्ल होता तो तुम्हारा यह साहस न होता।'

'कार्ल? अब भी कार्ल? अब कार्ल को भूल जाओ, फ़िल्सी! उसका नाम मेरे आगे अब न लेना। मुझे उसके नाम से क्रोध हो आता है। अब तुम पीट्रोविच के अधीन हो।'

'पिट्रोविच के अधीन नहीं, एक रूसी अफ़सर के अधीन हूँ। केवल एक युद्ध की क़ैदी हूँ। तुम अपनी व्यक्तिगत बातों को इस बीच में नहीं ला सकते।'

'नहीं? इसे देखना चाहती हो? रूसी अफ़सर सर्वशक्तिशाली है। वह जो कुछ कहता है और करता है, उसके विरोध की शक्ति केवल सम्राट् में ही है। जानती हो, तुम्हारा अपराध कैसा है?'

'नहीं।'

'गुरुतम।'

फ़िल्सी चुप रही।

'जानती हो इसका दण्ड क्या होगा?'

'अधिक से अधिक मृत्यु।'

'यह अधिक से अधिक नहीं है। यह साधारण मृत्यु नहीं है। पीट्रोविच के द्वारा तुम्हें जो मृत्यु मिलेगी वह बड़ी भयानक, बड़ी दारुण, बड़ी पीड़ाजनक होगी।'

'मुझे इसकी कुछ चिन्ता नहीं।'

'ख़ैर, तब और बात है। परन्तु यदि इस मृत्यु से छुटकारा चाहो, तो उसका उपाय भी मेरे पास ही है।'

'मैं मृत्यु से छुटकारा नहीं चाहती, पीट्रो! मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ।'

'मुझसे? अब भी उतनी ही घृणा।'

'उतनी ही नहीं, उससे अधिक।'

'परन्तु फिर भी मैं तुम्हें फाँसी के तख़्तों पर लटकने से बचाना चाहता हूँ। उपाय बहुत सरल है।'

'मैं उपाय नहीं जानना चाहती।'

फ़िल्सी चुप रही।

'एक बार सुन लेने में क्या हानि है?'

'कार्ल की आशा छोड़ दो। अब भी मेरे पास आ जाओ, मेरी होकर रहो तो सब काम बन जाय।'—पीट्रोविच ने कहा। परन्तु इसके पहले ही कि वह यह वाक्य समाप्त करे, फ़िल्सी क्रोध में भरी हुई दोनों हाथ फैलाए उसकी ओर दौड़ी। परन्तु पीट्रोविच ने बीच ही में उसे पकड़ कर एक बन्द कोठरी में रखवा दिया।

जब अन्य क़ैदी पीट्रोविच के सामने आए तो उसने उनके सामने यही शर्त रक्खी कि यदि फ़िल्सी उसके पास दो दिन रहना स्वीकार करे तो उन सबको न केवल छोड़ ही दिया जायगा, बल्कि बाहर जाने के लिए पास भी दे दिए जायँगे।

जीवन सबको प्यारा होता है। इस समय सब क़ैदियों को अपने-अपने प्राण की चिन्ता थी, उन्हें फ़िल्सी के सतीत्व की क्या चिन्ता थी। वे सब फ़िल्सी के पास गए, उसकी अनुनय-विनय की, समझाया, देश-सेवा के नाम पर अपील की। परन्तु फ़िल्सी ने अपने सतीत्व को किसी भी दामों बेचना स्वीकार न किया।

अन्त में महन्त फ़िल्सी के पास पहुँचे।

'फ़िल्सी!'—महन्त ने कहा।

'हाँ'—फ़िल्सी ने उत्तर दिया।

'तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो?'

'हाँ।'

'बाइबिल में?'

'हाँ।'

'अच्छा, मैं तुम्हें एक भेद बताना चाहता हूँ। तुम सुनने के पूर्व ईश्वर के सामने बाइबिल हाथ में लेकर यह प्रतिज्ञा करो कि किसी पर मेरे भेद न खोलोगी।'

फ़िल्सी ने प्रतिज्ञा ली।

'तुम जानती हो, मैं कौन हूँ?'—महन्त ने पूछा।

'किसी गिर्जे के महन्त।'

'नहीं।'

'फिर?'

'मैं ऑस्ट्रिया का प्रसिद्ध जासूस गुस्ताव हूँ।'

'गुस्ताव?'—फ़िल्सी ने विस्मय से कहा।

गुस्ताव ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध जासूस था, फ़िल्सी यह स्वप्न में भी विचार न करती थी कि कभी इस प्रकार उससे भेंट होगी। वह बोली—आप यहाँ क्या कर रहे हैं?

'मैं शत्रु की सेना का पता लगाने आया हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी?'

'कहिए।'

'मुझे विएना आज रात तक पहुँचना चाहिए। नहीं तो सारा देश सङ्कट में पड़ जायगा।'

'पर यहाँ से कैसे निकलना होगा?'

'उसका एक ही उपाय है।'

'मैं?'

'हाँ।'

'आप यह चाहते हैं कि मैं अपना सतीत्व आपको बचाने के लिए नष्ट कर दूँ?'

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

क्रान्ति

[श्री० सियावरशरण जी]

मैं आती हूँ—वायुवेग से प्रलय मचाती आती हूँ।

उन्नत को पदमर्दित करती,
नत में उन्नति की गति भरती,
सीमाहीन महोदधि तरतीं, विप्लव-शङ्ख बजाती हूँ।
मैं.... .... आती हूँ ॥१॥

बड़े-बड़े वन नगर पार कर,
रत्नाकर का वक्ष फाड़ कर,
मत्त सिंहिनी सी दहाड़ कर; नव सन्देश सुनाती हूँ।
मैं... ... ... आती हूँ ॥२॥

मृतकों में नवजीवन लाती,
जड़ में विद्युत-स्फूर्ति कराती,
मरी हुई जातियाँ जिलाती, अलख जगाती जाती हूँ।
मैं.... .... आती हूँ ॥३॥

सिद्ध हमारा जादू-टोना,
लोहा बन जाता है सोना,
अनहोना हो जाता होना, काया पलट कराती हूँ।
मैं... ... ... आती हूँ ॥४॥

ये बाबा, मुल्ला, पाखण्डी,
मठ-मन्दिर पापों की मण्डी-
भीरु, कापुरुष, नीच शिखण्डी, इनको धूल चटाती हूँ।
मैं... ... ... आती हूँ ॥५॥

पर-पीड़क, पर-अत्याचारी,
पर-श्रम-निर्भर, पर-धन-हारी,
पूँजीपति, नृप-सत्ता-धारी, इनका ध्वंस कराती हूँ।
मैं... .... आती हूँ ॥६॥

जन पर एक मनुज की सत्ता,
अनियन्त्रित-अधिकार-महत्ता,
राजा, राय, नरेश, चकत्ता-इनका चिन्ह मिटाती हूँ।
मैं.... ... ... आती हूँ ॥७॥

ये सोने से भरे ख़ज़ाने,
हीरे-मोती के तहख़ाने,
ये सम्पद के ताने-बाने, जाती जहाँ, लुटाती हूँ।
मैं... .... आती हूँ ॥८॥

ये ऊँचे प्रासाद सजीले,
(मनुज-रक्त-आरञ्जित टीले)
ये सब साज-बाज भड़कीले, इनको तोड़ ढहाती हूँ।
मैं... ... ... आती हूँ ॥९॥

अनुचित रस्म-रिवाज पुराने,
फटे-चिटे चिथड़े-बेगाने,
झूठे नियम-निगड़ मनमाने, तोड़ स्वतन्त्र बनाती हूँ।
... ...आती हूँ ॥१०॥

सरल, साम्यमय, सुखमय शासन,
सम-अधिकार, असम-निष्कासन,
आर्थिक, सामाजिक सम-आसन की शुभ नींव बँधाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥११॥

निस्समता के अन्धकार में-
वैषम्यों में-अनाचार में-
दीन-दुखी के दैन्य-भार में, साम्य-चन्द्र प्रकटाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१२॥

आलस, जड़ता भूक दीनता,
पराधीनता, शक्ति-हीनता,
भीरु-हृदयता, मतिमलीनता, इनको दूर भगाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१३॥

आएँ विपुल, विघ्न-बाधाएँ-
घन सम घेर-घेर घिर आएँ-
इन्हें झाड़ कर दाएँ-बाएँ, विप्लव यज्ञ रचाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१४॥

मैं हूँ आदि-शक्ति काली-सी,
विश्व जननि-सी विकराली-सी,
विष-सी, अमृतकी-प्याली-सी अनुपम दृश्य दिखाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१५॥

मेरी गति अबाध है जग में,
कभी नहीं रुकती मैं मग में,
विश्व काँप उठता डग-डग में, जब मैं चरण उठाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१६॥

मेरा प्रलय-प्रचण्ड घोर-स्वर,
सुन, कँपती सत्ता थर-थर-थर,
हर-हर कर उठते प्रलयङ्कर, जब मैं भौंह चढ़ाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१७॥

जब अन्याय-बोझ के मारे,
दलित दीन असहाय बिचारे,
बोल न सकें, अबोल पुकारे, तब मैं विश्व हिलाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१८॥

पापी, अन्यायी, अविचारी,
घातक, दुष्ट, छली, अपकारी,
धरा-पट्ट से इनका भारी, काला दाग़ मिटाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥१९॥

कभी ख़ून से रँगी रँगीली,
प्रतिहिंसा की मूर्ति सजीली,
कहीं शान्ति की रूप छबीली सुन्दर साज सजाती हूँ।
मैं... ... ...आती हूँ ॥२०॥

आयर्लैण्ड की गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

सन् १९२१ के मई महीने में आयर्लैण्ड के अन्तिम वायसरॉय ने अपना पद ग्रहण किया। उस समय आयर्लैण्ड में पूरी अशान्ति मची हुई थी और देश भर में आतङ्क छाया हुआ था। उच्चतम सरकारी अफ़सर भी प्राणों के भय से सशस्त्र पहरे में घिरे रहते थे। वायसरॉय-भवन के प्रत्येक फाटक पर दिन-रात सशस्त्र पहरा रहता था।

सरकार शान्ति स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रही थी। डब्लिन तथा अन्य कई स्थानों में 'कफ़र्यू' (Curfew) ऑर्डर जारी कर दिया था। १० बजे रात के बाद कोई भी पुरुष बिना विशेष आज्ञा के घर से बाहर नहीं निकल सकता था। परन्तु इन सब असुविधाओं के होते हुए भी शान्त नागरिकों को कोई तकलीफ़ न थी। सरकारी कर्मचारियों में भी कुछ ऐसे मनुष्य थे, जो अधिक कठोरता से काम लेना पसन्द नहीं करते थे। नवीन सहायक मन्त्री अल्फ़्रेड कॉप (Alfred Cope) ने प्रारम्भ में ही कुछ अविश्वसनीय सिविल-अफ़सरों को निकाल दिया था। इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री मि० लॉयड जॉर्ज स्वयं एक ओर शान्ति स्थापित करने के लिए कठोरता से काम ले रहे थे और दूसरी ओर सन्धि करने के लिए तैयार थे। वे समझ गए थे कि सन् १९२० का एक्ट, जिससे दक्षिणीय आयर्लैण्ड पूर्णतया असन्तुष्ट था, रियायत की अन्तिम सीढ़ी न थी। सन् १९२१ की २४वीं मार्च तथा ४वीं अप्रैल को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में मि० लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी कि सरकार सुलह की बातचीत प्रारम्भ करने के लिए तैयार है। २२वीं अप्रैल को लॉयड जॉर्ज ने यह भी बता दिया था कि किन-किन शर्तों पर समझौता हो सकता है।

आयर्लैण्ड की साधारण जनता भी शान्ति के लिए उत्सुक थी। ४वीं मई को अलस्टर के नेता सर जेम्स क्रेग ने डी-वेलेरा के साथ बातचीत करने के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया था। दो विरोधी दल के नेताओं के इस मिलन को विशेष महत्त्व दिया जा रहा था। उपर्युक्त सन् १९२० के एक्ट के लागू होते ही 'सिन फ़ीन' (Sinn Fein) दल ने अलस्टर के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी थी। लोगों का कहना था कि डी-वेलेरा ने विरोधी दल के नेता जेम्स क्रेग को केवल इसलिए निमन्त्रण दिया था कि अलस्टर-वासियों और 'प्रजातन्त्र' में सन्धि हो जावे। सर एडवर्ड कारसन पहिले ही घोषित कर चुके थे कि उत्तरीय आयर्लैण्ड की नवीन सरकार शान्ति के लिए उत्सुक है। सर जेम्स क्रेग ने भी अपने प्रोग्राम में आयर्लैण्ड में शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न को प्रथम स्थान दिया था। पर इतने पर भी दोनों दलों में समझौता न हो सका। किसी भी दल ने कोई रियायत न करनी चाही। विशेषतः 'सिनफ़ीन' दल अपनी स्थिति से एक इञ्च भी हटना नहीं चाहता था।

इसी बीच में 'सिनफ़ीन' दल ने पार्लामेण्ट के भावी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। इस दल का जनता पर इतना प्रभाव था कि पार्लामेण्ट के चुनाव में दक्षिणीय और पश्चिमीय आयर्लैण्ड के १२८ स्थानों में से १२४ स्थानों से सिनफ़ीन उम्मेदवार बिना विरोध के चुन लिए गए। चुनाव की इस विजय से उत्साहित होकर सिनफ़ीनों ने घमासान युद्ध छेड़ दिया। १४ से १६ मई तक लण्डन और लिवरपूल आदि नगरों में सशस्त्र बुरक़ा लगाए लोग आग लगाते और गोलियाँ चलाते रहे। आयर्लैण्ड में भी दो निर्मम हत्याएँ कर, कुछ लोगों ने अपने हाथ कलुषित किए। २५वीं मई सन् १९२१ को एक सशस्त्र दल चुङ्गी-भवन (Customs House) में घुस गया और उसमें आग लगा कर नष्ट कर दिया। तीन दिन तक अठारवीं शताब्दी का चिन्ह-स्वरूप वह सुन्दर भवन जलता रहा। सरकारी काग़ज़ों के जल जाने से सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ी। और इससे भी अधिक हानि उठानी पड़ी उन व्यक्तियों को, जिनके आवश्यकीय काग़ज़ात उस भवन में थे। इस बढ़ती हुई हिंसा-वृत्ति को देख कर सरकार का रुख़ कड़ा हो गया। २१वीं मई को प्रधान मन्त्री ने घोषित किया कि हिंसा को दबाने के लिए तथा शान्ति स्थापित करने के लिए आयर्लैण्ड में सेनाएँ भेजी जावेंगी। दूसरे दिन प्रधान सेक्रेटरी सर हैमर ग्रीनउड ने घोषित किया कि सरकार उस समय तक चैन न लेगी, जब तक कि आयर्लैण्ड के अन्तिम हिंसक के हाथ से अन्तिम तमञ्चा छीन न लिया जावेगा।

इसी बीच में सर जेम्स क्रेग आयर्लैण्ड से लण्डन आ गए थे। ३१वीं मई को घोषित किया गया कि सन्धि के लिए पुनः प्रयत्न किया जावेगा। पर सन्धि के कुछ लक्षण दिखाई न पड़ते थे। सिनफ़ीनरों का काम जारी था। तार और टेलीफ़ोन काट दिए गए थे। सड़कों पर खाइयाँ खोद दी गई थीं। देश का आर्थिक जीवन सङ्कट में था। लण्डन के आस-पास भी सिनफ़ीन अपना काम कर रहे थे। ४वीं जून को सरकार ने बोलशेविकों और सिनफ़ीनरों के बीच प्रस्तावित सन्धि को प्रकाशित किया। ७वीं जून को बेलफ़ास्ट नगर में उत्तरीय पार्लामेण्ट का उद्घाटन हुआ और आयर्लैण्ड की नई सरकार का निर्माण किया गया। सर जेम्स क्रेग प्रधान मन्त्री बनाए गए।

२१वीं जून को डानथमोर के अर्ल ने इङ्गलैण्ड के हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में प्रस्ताव किया कि आयर्लैण्ड की स्थिति यह तक़ाज़ा करती है कि सम्राट् की सरकार उन शर्तों पर बातचीत प्रारम्भ करे, जिससे कि आयर्लैण्ड की भयावह स्थिति का अन्त हो जावे। लॉर्ड चान्सलर ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए और आयर्लैण्ड की भयावह स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि विरोधियों को दबाने में सरकारी प्रयत्न निष्फल हुए हैं। उत्तरीय पार्लामेण्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयर्लैण्ड में दो दल हैं। और जब तक दोनों दलों में एक मत न हो जावे, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। लॉर्ड चान्सलर ने यह भी कहा कि आयर्लैण्ड की स्थिति को हाथ में रखने के लिए जितने त्याग की आवश्यकता पड़ेगी, इङ्गलैण्ड की जनता सहर्ष उतना त्याग करेगी। आपने अपने व्याख्यान के अन्त में यह भी कहा कि जब तक एक हिंसा की नीति का समर्थन करने वालों से राज़ीनामा न हो जाएगा, तब तक शान्ति नहीं होगी। डानथमोर के अर्ल का उपर्युक्त प्रस्ताव हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स से भी गिर गया। जिस दिन हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने उपर्युक्त प्रस्ताव रद्द किया, उसी दिन इङ्गलैण्ड के राजा और रानी उत्तरीय आयर्लैण्ड की नवीन पार्लामेण्ट का उद्घाटन करने के लिए बेलफ़ास्ट गए। उत्तरीय आयर्लैण्ड ने उनका स्वागत किया। पर सिंहासन से व्याख्यान देते

देश की वेदी पर

(१५वें पृष्ठ का शेषांश)

'सतीत्व क्या चीज़ है, बेटी? देश के सामने यह सब बातें क्या मूल्य रखती हैं? तुम ऑस्ट्रियन हो, तुम्हारा देश सङ्कट में पड़ा हुआ है, तुमसे देश एक बलिदान चाहता है, क्या अपने लाखों देशवासियों को, अपने देश की प्रतिष्ठा तथा यश को बचाने के लिए तुम यह बलिदान नहीं कर सकतीं, देश यदि युद्ध में विजयी होगा तो तुम जैसे व्यक्तियों का नाम ही अमर रहेगा, जिन्होंने देश की वेदी पर अपनी बहुमूल्य आहुतियाँ चढ़ाई थीं। सो चलो, एक ओर तुम्हारा सतीत्व है, दूसरी ओर तुम्हारी मातृभूमि का भविष्य। विचार कर लो, किसको तुम अधिक प्यारा समझती हो।'

फ़्रिस्री सोचने लगी। क्या वह पीट्रोविच की कुत्सित इच्छा को पूर्ण कर दे? फिर वह कार्ल को और अपने आपको भी अपना मुख दिखाने योग्य न रह जायगी। फिर उसे अपने जीवन का भी अन्त करना पड़ेगा। और उसका अर्थ होगा—कार्ल से सदा के लिए वियोग। हा! वह कार्ल के साथ कुछ दिनों भी तो न रह पाई। उसके प्रेम का, उसके साथ निवास करने का जो सुख होता, उसका उसे तनिक भी तो अनुभव न हो पाया। वह नेत्रों में आँसू ले आई।

'तुम माया-मोह में पड़ी हो, फ़्रिस्री। परन्तु मातृभूमि के मोह से बड़ा मोह कौन सा है? क्या यह सतीत्व तुम्हारे काम आएगा, जब देश विदेशियों के हाथ में होगा और सहस्रों नारियों का सतीत्व उनके द्वारा नष्ट होगा? देश की वेदी पर यह तुम्हारी बड़ी मूल्यवान आहुति होगी, परन्तु यदि तुम थोड़ी वीरता से काम लोगी तो तुम इसे कर सकोगी। बोलो, क्या उत्तर है?'

'करूँगी।'—फ़्रिस्री ने कहा!

* * *

दूसरे दिन विपुना से सेना, कार्ल की अध्यक्षता में वहाँ आ चढ़ी। शत्रुओं को मार कर भगा दिया। कार्ल बड़े चाव से गिर्जे के भीतर फ़्रिस्री को ढूँढ़ने गया। परन्तु वहाँ उसे केवल दो शव मिले। एक उनमें से फ़्रिस्री का था और दूसरा पीट्रोविच का!

* * *

हुए बादशाह ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल उत्तरीय आयर्लैण्ड के लिए वहाँ नहीं आए हैं। बादशाह ने अपने व्याख्यान में कहा कि मैं तमाम आयर्लैण्ड के निवासियों से अपील करता हूँ कि वे ठहर कर सोचें और धैर्य तथा शान्ति का हाथ आगे बढ़ावें, क्षमा करें, गई-गुज़री बातें भूल जावें और सब मिल कर देश में शान्ति, सन्तोष तथा सदिच्छा का नवीन युग प्रारम्भ करें।

दक्षिणीय आयर्लैण्ड के शान्तिप्रिय नागरिकों ने बादशाह के उपर्युक्त व्याख्यान का स्वागत किया। परन्तु जो लोग पूर्ण स्वतन्त्रता पर तुले हुए थे, उनके भावों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। निर्मम हत्याएँ होती रहीं। अस्तु।

लॉयड जॉर्ज ने दक्षिणीय आयर्लैण्ड के विशेष बहुमत के अन्यतम नेता मि० डी-वेलेरा के नाम एक पत्र लिखा और उन्हें लण्डन में आकर कॉन्फ़्रेन्स में भाग लेने का निमन्त्रण दिया। पत्र में कहा गया था कि कॉन्फ़्रेन्स में समझौता करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। लॉयड जॉर्ज ने पत्र में यह भी लिखा था कि डी-वेलेरा जिन साथियों को चाहें अपने साथ लण्डन ला सकते हैं। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि दो ही दिन पहिले हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स सन्धि के प्रस्ताव को रद्द कर चुका था।

अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जहाँ तक दक्षिणीय आयर्लैण्ड का सम्बन्ध था, सन् १६२० के एक्ट का अन्त हो चुका था। फिर भी कृषि-विभाग के कौन्सिल चैम्बर में दक्षिणीय पार्लामेण्ट का उद्घाटन करके एक्ट को जीवित साबित करने का प्रयत्न किया गया। हाउस ऑफ़ कॉमन्स के १२८ सदस्यों में से ट्रिनिटी कॉलेज के केवल चार प्रतिनिधि उपस्थित थे। ६४ सिनेटरों में से केवल १५ सिनेटर उपस्थित थे। 'स्पीकर' को चुनने के पश्चात् पार्लामेण्ट स्थगित हो गई और फिर कभी भी उसकी बैठक नहीं हुई।

लॉयड जॉर्ज ने डी-वेलेरा के साथ ही अलस्टर के प्रधान मन्त्री सर जेम्स क्रेग को भी निमन्त्रित किया था। सर जेम्स क्रेग ने निमन्त्रण को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया। लॉयड जॉर्ज के पत्र के उत्तर में डी-वेलेरा ने लॉयड जॉर्ज को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में डी-वेलेरा ने लिखा था, कि 'मैं इङ्गलैण्ड के साथ स्थायी सन्धि करने को इच्छुक हूँ। परन्तु सन्धि ऐसी होनी सम्भव नहीं, यदि इङ्गलैण्ड आयर्लैण्ड की एकता और स्वभाग्य निर्णय (Self-determination) के सिद्धान्त को स्वीकार न करे।' अपने पत्र में डी-वेलेरा ने यह भी लिखा था कि यह देश के अल्पमत के प्रतिनिधियों के साथ एक कॉन्फ़्रेन्स कर रहा था। जिन लोगों को डी-वेलेरा ने कॉन्फ़्रेन्स में बुलाया था, उनमें सर जेम्स क्रेग भी था। परन्तु उन्होंने डी-वेलेरा का निमन्त्रण यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मैंने इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री का निमन्त्रण पहिले ही स्वीकार कर लिया है। उपर्युक्त घटना से सिनफ़ीनरों और यूनियनिस्टों का भेद स्पष्ट हो गया। सिनफ़ीनरों के प्रेज़िडेण्ट ने लिखा कि लॉयड जॉर्ज का प्रस्ताव वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उसका कहना था कि आयर्लैण्ड के मतभेद आयर्लैण्ड में ही तय होने चाहिए। और आयर्लैण्ड को एक होकर इङ्गलैण्ड से बातचीत करनी चाहिए। ३०वीं जून को अपना हृदय-परिवर्तन प्रगट करने के लिए सरकार ने 'डेल' (Dail Eireann) के चार सदस्यों को जेल से बाहर कर दिया, ताकि वे बहस में भाग ले सकें। इसी बीच में अल्पमत के चार प्रतिनिधियों ने डी-वेलेरा का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था। चौथी जुलाई को उनके तथा सिनफ़ीन नेताओं के बीच में डब्लिन में कॉन्फ़्रेन्स हुई। परन्तु वह कॉन्फ़्रेन्स शीघ्र ही स्थगित कर दी गई।

दक्षिणीय अफ़्रीका यूनियन के प्रधान मन्त्री जनरल स्मट्स (General Smuts) इस समय लण्डन में थे। उन्होंने इङ्गलैण्ड और आयर्लैण्ड के बीच मध्यस्थ बनने का इरादा प्रगट किया। सरकार ने उनकी इस सेवा को स्वीकार कर लिया। ५वीं जुलाई को जनरल स्मट्स डब्लिन गए और प्रजातन्त्रीय नेताओं से बातचीत की, परन्तु जनरल के इस प्रयत्न का कोई विशेष परिणाम न निकला। जनरल का कहना था कि डी-वेलेरा कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। ख़ैर, इससे इतना हुआ कि दूसरी कॉन्फ़्रेन्स के अन्त में, ८वीं जुलाई को, प्रेज़िडेण्ट ने, प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिख कर उनके लण्डन वाली कॉन्फ़्रेन्स के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। ६वीं जुलाई को विराम सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए। डब्लिन की जनता ने विराम सन्धि का स्वागत किया और आन्दोलन बन्द कर दिया गया। सरकार ने भी 'कर्फ़्यू' ऑर्डर उठा लिया और सैनिकों को निःशस्त्र कर दिया। डी-वेलेरा ने सैनिकों और नागरिकों के नाम एक घोषणा निकाल कर स्थिति को हाथ में रखने की प्रार्थना की।

६वीं जुलाई को डी-वेलेरा ने अमेरिका, फ़्रान्स, नॉर्वे और डेनमार्क को सन्देश भेजे। इन सन्देशों में कहा गया था कि यदि कॉन्फ़्रेन्स में आयर्लैण्ड की माँगें स्वीकार कर ली गईं, तो वह उन आदर्शों को बचा लेगा, जिनके लिए गत यूरोपीय महायुद्ध में हज़ारों ने अपनी जानें दी थीं।

१२वीं जुलाई को प्रेज़िडेण्ट डी-वेलेरा लण्डन गए। उनके साथ आर्थर ग्रिफ़िथ, ऑस्टिन स्टेक, आर० सी० बार्टन और इर्सकिन चिल्डर्स थे। दो दिन पश्चात् लॉयड जॉर्ज से डी-वेलेरा की पहली भेंट हुई। सर जेम्स क्रेग तथा उत्तरीय पार्लियामेण्ट के अन्य मेम्बरों से भी लायड जॉर्ज ने मुलाक़ात की।

प्रधान मन्त्री और डी-वेलेरा से बराबर मुलाक़ातें होती रहीं। २०वीं जुलाई को लायड जॉर्ज ने सरकार के प्रस्ताव डी-वेलेरा को दिए। सरकारी प्रस्ताव में आयर्लैण्ड को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया गया था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि टैक्स तथा आर्थिक मामलों में आयर्लैण्ड को पूरी स्वतन्त्रता रहेगी और वह अपने न्यायालय तथा न्यायाधीश रख सकेगा। अपनी रक्षा के लिए आयर्लैण्ड अपनी सेना रख सकेगा और पुलीस भी आयर्लैण्ड की ही होगी। सरकार की तरफ़ से ६ शर्तें भी लगाई गई थीं, जिन्हें सरकार इङ्गलैण्ड और आयर्लैण्ड के हित के लिए अत्यावश्यक समझती थी। सरकार की शर्तें ये थीं—(१) आयर्लैण्ड के चारों तरफ़ के समुद्र पर इङ्गलैण्ड का अधिकार रहेगा, (२) आयर्लैण्ड की सेना एक निश्चित संख्या के अन्दर ही रहेगी, ताकि वह इङ्गलैण्ड की सेना से बढ़ न जावे। (३) सरकारी वायु-सेना को आयर्लैण्ड में विशेष अधिकार रहेंगे, (४) आयर्लैण्ड के जो नागरिक साम्राज्य की सेना में भर्ती होना चाहेंगे, उन्हें रोका न जाएगा, (५) इङ्गलैण्ड के विपरीत संरक्षक कर (Protective duties) नहीं लगाया जाएगा और (६) इङ्गलैण्ड के क़र्ज़ आदि के एक भाग का ज़िम्मेदार आयर्लैण्ड रहेगा। वह समझौता सन्धि के रूप में होगा और दोनों देशों की पार्लामेण्टें उस सन्धि को स्वीकार करेंगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि उत्तरीय पार्लामेण्ट या सरकार को वह समझौता रद्द न करेगा। आयर्लैण्ड के निवासी ही आपस में निश्चित करें कि तमाम आयर्लैण्ड के लिए एक सरकार रहेगी या उत्तरीय और दक्षिणीय आयर्लैण्ड की दो पृथक-पृथक सरकारें।

अपने साथियों से सलाह करने डी-वेलेरा डब्लिन लौट आए। सरकार ने भी 'डेल' की बैठक करने की आज्ञा दे दी। डी-वेलेरा ने अपने साथियों से सलाह करने के पश्चात् इङ्गलैण्ड के प्रधान-मन्त्री को सूचित किया कि इङ्गलैण्ड के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सकते। डी-वेलेरा का कहना था कि औपनिवेशिक स्वराज्य धोखे की टट्टी है, जब तक कि आयर्लैण्ड को अलग होने का अधिकार (Right to secede) न दिया जावे। डी-वेलेरा का कहना था कि क़र्ज़ के प्रश्न पर एक कमिटी बनाई जावे, जिसमें तीन सदस्य हों—एक इङ्गलैण्ड का प्रतिनिधि, एक आयर्लैण्ड का प्रतिनिधि और तीसरे प्रतिनिधि को दोनों मिल कर चुनें, या यदि दोनों में एकमत न हो सके तो उसे अमेरिका का प्रेज़िडेण्ट नियुक्त कर दे। उत्तरीय आयर्लैण्ड के प्रश्न को आयर्लैण्ड स्वयं तय कर लेगा। अल्पमत की ओर से इङ्गलैण्ड को इस मामले में न पड़ना चाहिए। अन्त में डी-वेलेरा ने यह भी कहा था कि यदि अलस्टर का प्रश्न आपस में तय न हो सके, तो वह प्रश्न निर्णय के लिए एक तीसरे आदमी को सौंप दिया जावे।

जनरल स्मट्स ने एक पत्र लिख कर डी-वेलेरा को सलाह दी कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लें और अलस्टर की अभी अवहेलना की जावे। जनरल स्मट्स का कहना था कि आगे चल कर आर्थिक कारणों के कारण अलस्टर को स्वयं तमाम आयर्लैण्ड के साथ रहना पड़ेगा। लॉयड जॉर्ज ने डी-वेलेरा के पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि आयर्लैण्ड को अलग होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और न आयर्लैण्ड का यह दावा कि वह एक स्वतन्त्र विदेशी राज्य की भाँति इङ्गलैण्ड से बातचीत करे, माना जा सकता है। लॉयड जॉर्ज ने यह भी लिखा कि आयर्लैण्ड के किसी भी प्रश्न को निर्णय के लिए किसी विदेशी राष्ट्र को नहीं सौंपा जा सकता।

'डेल' की बैठक १६ अगस्त को हुई। सब सदस्यों ने आयर्लैण्ड के प्रजातन्त्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। प्रेज़िडेण्ट डी-वेलेरा ने एक व्याख्यान देकर आयर्लैण्ड के पूर्ण स्वतन्त्रता के दावे को दुहराया और प्रजातन्त्र का समर्थन किया। डी-वेलेरा ने यह भी कहा कि इङ्गलैण्ड से बातचीत करना असम्भव है, क्योंकि दोनों देशों के सिद्धान्त एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। डी-वेलेरा ने घोषणा की कि अलस्टर को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया जावेगा। अपने व्याख्यान के अन्त में डी-वेलेरा ने कहा कि आयर्लैण्ड के अल्पमत की समस्या का कारण इङ्गलैण्ड की नीति है।

येन-केन-प्रकारेण दो महीने की बातचीत के पश्चात् गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की बैठक हुई। प्रारम्भिक कॉन्फ़्रेन्स की बैठक १० अक्टूबर १६२१ को प्रधान मन्त्री के सरकारी भवन, डाउनिङ्ग स्ट्रीट में हुई। इङ्गलैण्ड की ओर से दोनों दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इङ्गलैण्ड के प्रतिनिधियों में मि० विन्सेण्ट चर्चिल भी थे। आयर्लैण्ड के प्रतिनिधियों में डी-वेलेरा न थे। वे डब्लिन में ही रह गए थे। कॉन्फ़्रेन्स के प्रारम्भ होते ही ऐसा मालूम हुआ कि वह भङ्ग हो जावेगी, परन्तु ऐसा न हुआ। कुछ दिन तक कॉन्फ़्रेन्स में केवल बातें ही होती रहीं; वास्तविक कार्य कुछ भी न हुआ। ५वीं अक्टूबर को सरकार की ओर से यह धमकी दी गई कि यदि आज रात तक समझौता न हुआ, तो कॉन्फ़्रेन्स भङ्ग कर दी जावेगी। तत्पश्चात् रात के तीन बजे समझौता हुआ और उस पर दोनों ओर से हस्ताक्षर हो गए। 'आयरिश फ़्री स्टेट' (Irish Free State) की नींव रख दी गई।

उपर्युक्त समझौते के अनुसार अङ्गरेज़ी साम्राज्य में आयर्लैण्ड की वही वैध स्थिति होगी, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड तथा दक्षिणीय अफ़्रीका के यूनि

यन की है। लॉर्ड-लेफ्टिनेण्ट (Lord-Lieutenant) का प्राचीन पद तोड़ दिया गया। आयलैंण्ड में बादशाह का प्रतिनिधि वैसे ही नियुक्त होगा, जैसे कनाडा का गवर्नर-जनरल होता है। राजभक्ति की शपथ (Oath of allegiance) का रूप भी बदल दिया गया *। राष्ट्रीय ऋण तथा युद्ध-पेन्शन के एक भाग का उत्तरदायी आयलैंण्ड रहेगा। पर इस सम्बन्ध में आयलैंण्ड को अपने दावे रखने का अधिकार होगा। ऋण के किस भाग का आयलैंण्ड उत्तरदायी होगा, यह प्रश्न यदि आपस में तय न हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य के एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निर्णय करने के लिए सौंप दिया जावेगा। आयलैंण्ड के चारों ओर के समुद्र की रक्षा इङ्गलैण्ड करेगा और पाँच वर्ष पश्चात् आयलैंण्ड को भी इस रक्षा का कुछ कार्य सौंप दिया जावेगा। आयलैंण्ड की सेना इङ्गलैण्ड की सेना से बढ़ न सकेगी। जब उपर्युक्त सन्धि को पार्लामेण्ट स्वीकार कर लेगी, उसके एक महीने पश्चात् तक स्वतन्त्र स्टेट का उत्तरीय आयलैंण्ड पर कोई अधिकार न होगा और वहाँ १९२० का एक्ट लागू रहेगा। यदि एक महीने के अन्दर उत्तरीय पार्लामेण्ट की दोनों सभाएँ बादशाह से संयुक्त प्रार्थना करेंगी, तो सन् १९२० का एक्ट उत्तरीय आयलैंण्ड में सर्वदा लागू रहेगा और स्वतन्त्र आयलैंण्ड की पार्लामेण्ट का उस पर कुछ अधिकार न होगा। आवश्यकता पड़ने पर एक कमीशन नियुक्त किया जावेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे। एक सदस्य स्वतन्त्र आयलैंण्ड का होगा, दूसरा सदस्य उत्तरीय आयलैंण्ड का होगा और तीसरा सदस्य, जो कमीशन का चेयरमैन भी होगा, अङ्गरेज़ी सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा। यह कमीशन उत्तरीय आयलैंण्ड तथा शेष आयलैंण्ड के मध्य की सीमा निश्चित करेगा। यदि कभी भविष्य में उत्तरीय आयलैंण्ड स्वतन्त्र आयलैंण्ड के साथ मिलना चाहेगा, तो भी उत्तरीय पार्लामेण्ट के वे अधिकार बने रहेंगे, जो उसे सन् १९२० के एक्ट ने दिए हैं। लोगों का विचार था कि उपर्युक्त सन्धि से इङ्गलैण्ड और आयलैंण्ड के बीच की कटुता ही न मिट जावेगी, वरन् आयलैंण्ड में शान्ति भी स्थापित हो जावेगी। परन्तु बहुत शीघ्र लोगों के विचार बदल गए। आयलैंण्ड के प्रजातन्त्र-वादियों में दो दल हो गए। एक दल डी-वेलेरा का था, जो सन्धि को स्वीकार नहीं करना चाहता था। इस दल का कहना था कि सन्धि को स्वीकार करना आयलैंण्ड के साथ विश्वासघात करना है। दूसरा दल आर्थर ग्रिफ़िथ का था, जो सन्धि को स्वीकार करने के पक्ष में था। इस दल का कहना था कि सिनफ़ीनर जो चाहते थे, वह उन्हें मिल गया है। अतः उन्हें सन्धि स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि सन्धि स्वीकार न करके पुनः आन्दोलन किया जावेगा, तो आयलैंण्ड को हानि उठानी पड़ेगी। अमेरिका तथा उपनिवेशों की सहानुभूति अब हमारी ओर न रहेगी। इन दो दलों के मध्य में एक तीसरा दल भी था, जो कहता था कि सन्धि स्वीकार कर ली जावे और तत्पश्चात् प्रजातन्त्र के लिए पुनः युद्ध किया जावे। इस दल का मुखिया कोलिन्स था। आयलैंण्ड की पार्लामेण्ट ने बहुत थोड़े बहुमत से सन्धि को स्वीकार किया। ६४ वोट सन्धि के पक्ष में थे तथा ५७ वोट सन्धि के विरुद्ध। सन्धि के स्वीकार हो जाने पर भी डी-वेलेरा ने अपने विचार नहीं बदले। उसने जनता से प्रजातन्त्र के लिए युद्ध करने की अपील की। प्रेज़ीडेन्सी से उसने अपना स्तीफ़ा दे दिया। उसको पुनः प्रेज़ीडेण्ट चुनने का प्रस्ताव ५८ के विपरीत ६० वोट से गिर गया। डी-वेलेरा के स्थान पर आर्थर ग्रिफ़िथ प्रेज़ीडेण्ट चुना गया। आर्थर ग्रिफ़िथ ने जब तक कि अस्थायी सरकार का निर्माण न हो जावे, तब तक के लिए एक मन्त्रिमण्डल बनाया। बहुत शीघ्र माइकेल कोलिन्स के आधिपत्य में अस्थायी सरकार का निर्माण हो गया।

पर आयलैंण्ड के भाग्य में अभी शान्ति नहीं बदी थी। डी-वेलेरा का दल अस्थायी सरकार का विरोध करता रहा और प्रजातन्त्र की स्थापना का प्रयत्न करता रहा। सिनफ़ीनरों ने अपना पुराना काम पुनः प्रारम्भ कर दिया और आयलैंण्ड में पूर्ववत् हत्याएँ होती रहीं। सिनफ़ीन उत्तरीय आयलैंण्ड में अशान्ति मचाते रहे। आयलैंण्ड के दोनों दल एक दूसरे से लड़ते रहे। देश के शुभचिन्तकों ने दोनों दलों में एकता स्थापित करने का दो-तीन बार प्रयत्न किया। पर उन्हें सफलता न मिली। आयलैंण्ड में बहुत दिनों तक गृह-युद्ध होता रहा। सड़कें और रेलें नष्ट की जाने लगीं। जहाँ-तहाँ आग लगाई जाने लगीं। और फिर एक बार आयलैंण्ड में अशान्ति का राज्य हो गया।

* आयलैंण्ड की पार्लामेण्ट के सदस्यों को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ेगी :—

"I . . . . . do solemnly swear true faith and allegiance to the constitution of the Irish Free State as by law established, and that I will be faithful to H. M. King George V, his heirs and successors by law, in virtue of common citizenship of Ireland and with Great Britain and his adherence to and membership of the group of nations forming the British Commonwealth of Nations.'

कर्तव्य पालन (१)

कर्तव्य पालन (२)

भारतीय महिलाएँ

[राजकवि "अम्बिकेश"]

परम प्रवीरता सुकर्म धर्मधीरता का,
पावन सुपाठ आज विश्व को सिखा रहीं।
क्रुद्धित उमङ्ग में जुड़ी हैं रन-चण्डिका सी,
वीरन को स्वाद ज़ोर जङ्ग का चखा रहीं॥
ठेल भयभीत को पछाड़ी, हो अगाड़ी आप,
जग में अमरता के लेख को लिखा रहीं।
धारे केसरिया पट, अड़ीं स्वत्व सङ्गर में,
देवो व्रत-जौहर के जोहर दिखा रहीं॥

❀

पुतली रहीं जो बनी मनसिज-मन्दिर की,
देश दुखहारी चिनगारी बन निकसीं।
गईं जो बखानी प्रतिमूर्ति विषय-वासना की,
सोई आज पुण्य की पिटारी बन निकसीं॥
सड़तीं पड़ी जो अन्धकार के गुफा में रहीं,
फाड़ तम-तोम वे तमारी बन निकसीं।
पाँवों को जो बेड़ियाँ बनी थीं, जननी की आज,
बन्दि काटने को वे कटारी बन निकसीं॥

❀

रहने न पातीं कभी भीति भावनाएँ पास,
आप ही ते विषम बलाएँ हट जाती हैं।
देखतीं जहाँ पै प्रेम भरे मञ्जु लोचनों से,
रिद्धि-सिद्धि भूरि सम्पदाएँ पट जाती हैं।
चूर-चूर करतीं ग़रूर मग़रूरियों के,
धूल हो समूल आपदाएँ छँट जाती हैं।
हीतल कँपातीं, दहलातीं दृढ़ता का दिल,
सिंहिनी सी जहाँ पै सक्रुद्ध डट जाती हैं॥

❀

सत्याग्रह अस्त्र ले, अहिंसा का कवच कसे,
राष्ट्र धर्मध्वजा फहरातीं आसमान पर।
बढ़तीं समर में, मिटातीं मानियों का मान;
होतीं क़ुरबान एक देश अभिमान पर॥
विश्व है चकित आज साहस महान पर;
आन पर, शान पर, इस बलिदान पर।
झेल जातीं आपदा; दुरापदाएँ ठेल जातीं,
हँस-हँस जेल जातीं, खेल जातीं जान पर !!

❀

साधना हैं परम समस्त सुख साधनों की,
क्लेश झेलने को बनी धैर्य की निशानी हैं।
रेणु हैं बनातीं पालने में कामधेनु को भी,
दलतीं दयालुता में गौरि की कहानी हैं॥
सोते हुए देश को जगातीं प्रहरी सी बनी;
जीवन सजीवन सी शक्ति की प्रदानी हैं।
धाम में रमा हैं; उपवन में शची हैं चारु,
बानी हैं सभा में और युद्ध में भवानी हैं॥

* * *

पावस

[श्री० रमाशङ्कर जी जैतली 'विश्व', बी० एस्-सी०]

पावस के ठण्डे निश्वास !
उमड़ि-उमड़ि घन घुमड़ि-घुमड़ि सखि छाय गए-
आकास,
तड़प-तड़प चपला चपला सी छन में करत प्रकास,
रिम-झिम बरस रहे पावस घन,
बिखर रहा विद्युत मुक्ताधन,
दारुण दुःख प्रकास ! पावस०।
विरहिनि रहें लगाए पतियाँ छतियन सों निशि-वास
आह, एक आशा लिपटी है, मन में है विसवास।
चलत वायु शीतल पुरवाई,
सोई व्यथा हाय उसकाई,
बुझी न अजहुँ पियास। पावस०।
'विश्व' लिए पयोध पतियाँ को छोड़ रही निश्वास,
भोली प्राची, अश्रुधार से लिपि धो भरे हुलास,
इसीलिए पयोधि हैं कोरे,
उमड़त हाय व्यथा मन मोरे,
करता जग उपहास। पावस०।
दिवस स्वप्न में आलिङ्गन का करती जब विश्वास
बौछारों से जगा मेघ करते मेरा उपहास,
झूम रही मादक अँधियारी,
झपक रही चञ्चल उजियारी,
बहुत हो चुका दारुण हास ! पावस०।

* * *

देशसेवकोद्गार

[श्री० नर्मदाप्रसाद जी मिश्र "कविकेसरी"]

हे जगन्नियन्ता जननी को,
यह मेरा जीवन अर्पण हो !
भारत-माता के चरणों में,
सद्-उपहार समर्पण हो !!
अति विशुद्ध भावों से पूरित,
पावन प्यारा मानस हो !
मातृ-भक्ति की अनुपमता का,
मन-मन्दिर में आसन हो !!
दीर्घ-सूत्रता, अकर्मण्यता,
कायरता का वास न हो !
हृदय-विदारक देशद्रोहता,
"मिश्र" कभी सञ्चार न हो !!
हृदय-पटल पर ऐसे अन्तर,
अङ्कित नाथ करा देना !
माता की बलि-वेदी पर—
होना बलिदान, सिखा देना !!

* * *

पथिक

[श्री० भगवतीबख़्श सिंह 'राजीव' बी० ए०, (ऑनर्स) क्लास]

ऐ पथिक कहाँ के भूले,
आए हो इस उपवन में,
गाते आते शुभ गायन,
पाया क्या जीवन-धन में ?

❀

कैसी यह घटा घनेरी,
छाती आती अँधियारी।
जाओगे तुम किस पथ पर !
वह कौन साधना न्यारी ?

❀

किससे वह आस मिलन की,
करती तुमको मतवाला;
तुम फूले नहीं समाते,
पी-पीकर स्मृति-प्याला।

❀

आए हो सूने वन में,
कितने उद्गार छिपाए।
लेकर यह भेंट मनोहर,
तुम सहम-सहम कर आए।

❀

कैसा वह महा-मिलन है ?
कैसा वह प्रियतम प्यारा ?
इन सलिल अश्रु-बुन्दों की,
बहती जो अविरल धारा।

❀

आशा के नीरव पथ पर,
ढाले हैं मोती कितने ?
इस दग्ध-हृदय-वारिधि से,
निकले हैं आँसू जितने।

❀

इस स्वप्न-जगत में आकर,
खोया क्यों यों हिय-धन को ?
वह निकला निठुर निराला,
करके नीरस जीवन को।

❀

घूमो मत इस उपवन में,
लेकर सूनी अभिलाषा।
तुम योंही लुट जाओगे,
होगी सब निष्फल आशा।

❀ ❀ ❀

मानी

[श्री० चन्द्रनाथ जी मालवीय "वारीश"]

शूरता का सौरभ बढ़ाते थे समर-मध्य,
स्वत्व-स्वाधिकार में प्रवृत्त स्वाभिमानी वे !
पानी-पानी करते थे प्राणियों को पल ही में,
प्रबल-पराक्रमी सा रखते थे पानी वे !
सानी रखते थे सृष्टि में न, शौर्य-साहस में,
साहस की शूरता की अमिट निशानी वे !
मान मारते थे मानियों का सदा, मान रख,
मान पर मरते थे कहाँ गए मानी वे ?

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

श्रीमती रागिनी देवी

श्रीमती रागिनी देवी एक अमेरिकन महिला हैं और श्रीयुत बी० वाजपेयी नाम के एक भारतीय से आपने विवाह किया है। विदेशी नृत्य-कला और सङ्गीत-विद्या में यथेष्ट पारदर्शिता प्राप्त करने के बाद, आजकल आप भारतीय सङ्गीत-विद्या और नृत्य-कला का गम्भीर अध्ययन करने की इच्छा से भारत-भ्रमण कर रही हैं। यहाँ की नृत्य-कला और सङ्गीत-विद्या पर आपकी अपार श्रद्धा है। आप इन भारतीय कलाओं का सारे संसार में प्रचार करना चाहती हैं। अमेरिका रहते समय आप कई बार भारतीय कलाओं के प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को मुग्ध कर चुकी हैं। आप बहुधा भारतीय वेश में रहती हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ
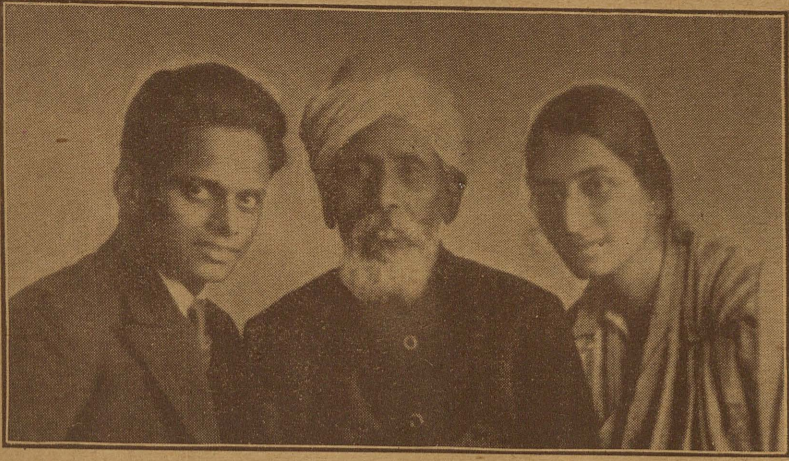
आचार्य एस० के० कर्वे (बीच में)—आप पूना के महिला विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता हैं और हाल में दक्षिण अफ़्रिका गए हैं।

कुमारी ईसाबेल चेटियर, बी० ए० गोल्ड मेडलिस्ट, आप नागपुर की महिला रत्न हैं और एल० पी० की परीक्षा पास करने के लिए इङ्गलैण्ड गई हैं।
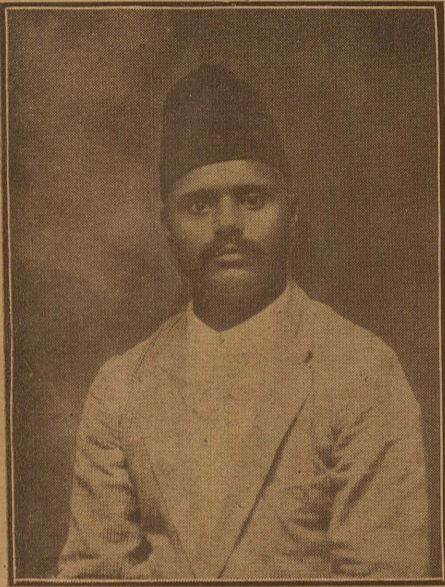
डॉक्टर अनथूोलिकर एम० बी० बी० एस०, आप शोला-पुर के गिरनी कामगार। सङ्घ के प्रमुख नेता हैं, मार्शल लॉ 'के अनुसार क़ैद की सज़ा काट चुके हैं और आजकल मिल-मज़दूरों की सेवा में लगे हैं।

श्रीमती सरस्वती बाई गाडगील—आप साँगली स्टेट से प्रकाशित होने वाली 'आर्य स्त्री' पत्रिका की सम्पादिका हैं।

पण्डित रामचन्द्र पालीवाल—आप फ़िरोज़ाबाद के यशस्वी नेता और आगरा ज़िले के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आपने गत १० अगस्त को एक विधवा का पाणिग्रहण किया है। आप तीन बार और आपकी सह्घ प्रणीता पत्नी महोदय एक बार जेल हो आए हैं।

श्रीमती पार्वती बाई। आप इचलकर्णी स्टेट (सिन्ध) की रहने वाली हैं। बुनाई और सुई के कार्य के लिए आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। आप इस प्रान्त की प्रसिद्ध सुधारवादिनी महिला हैं।

श्रीमती कमलम सेमुएल, जिन्होंने मद्रास युनिवर्सिटी से 'लाईब्रेरियन ट्रेनिङ्ग' की परीक्षा पास की है; और युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के स्टाफ़ में रक्खी गई हैं।

श्रीमती सीताबाई अन्नीगेरी, जो बम्बई की एक कन्या-शाला की प्रिन्सिपल हैं। आप स्वर्गीय सेठ विट्ठलदास ठाकरसी के साथ सारे संसार का भ्रमण कर चुकी हैं और अभी हाल में ही अमेरिका गई हैं।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?

ब्रह्मपूर (ज़िला गञ्जम, मद्रास) की म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—श्रीमती पी० सौभाग्यवती अम्मा गारू।

लाहौर के लेडी एटचिसन हॉस्पिटल की हाउस-सर्जन—डॉक्टर इन्दुमती बलराम सेनजित, एम० बी०, बी० एस०।

मध्य-प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा की सदस्या—श्रीमती अनुसुइयाबाई काले—आप लेबर-कमीशन की मनोनीत सदस्या भी रह चुकी हैं।
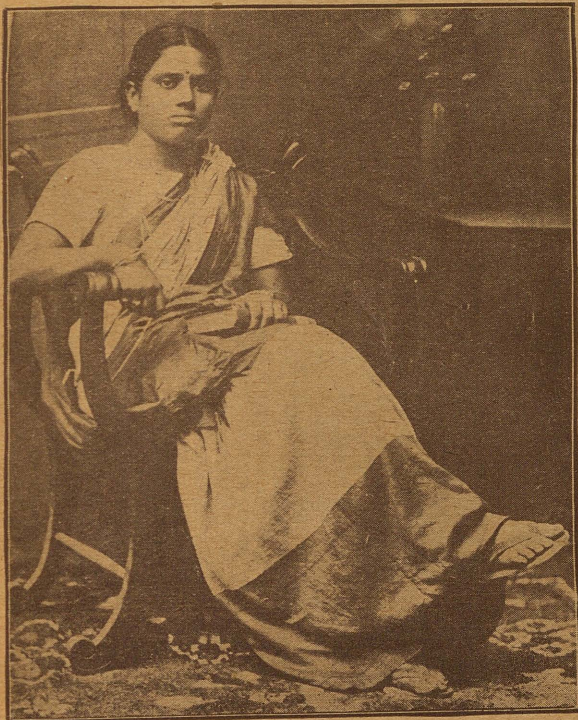
राजपूताने की ४८ लाख स्त्रियों में सर्व-प्रथम महिला-डॉक्टर—श्रीमती सुशीलाबाई जागीरदार, एल० सी० पी० एण्ड एस० (बम्बई), एल०एम० (डबलिन)—आपने फ्रान्स, इटली, स्विट्ज़रलैण्ड तथा आयर्लैण्ड आदि प्रदेशों में भ्रमण कर, प्रायः प्रत्येक बड़े-बड़े महिला चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है।

मद्रास की वाद्य-प्रतिद्वन्दिता में सर्व-प्रथम उत्तीर्ण होने वाली—श्रीमती रुक्मिणी अम्मल—सङ्गीतको ही आपने जीवन की साधना मान लिया है।

स्त्री-शिक्षा तथा सामाजिक सुधार की अनन्य पक्षपातिनी—श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, जो आजकल इङ्गलैण्ड में प्रचार-कार्य कर रही हैं।

पञ्जाब विश्वविद्यालय से गत वर्ष हिन्दी की उत्तमा परीक्षा में सर्व-प्रथम उत्तीर्ण होने वाली—कुमारी विद्यावती।

मालाबार की ज़िला शिक्षा-बोर्ड की सदस्या—श्रीमती मञ्जरी गोपालकृष्ण कमलाम्मल।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

बम्बई के न्यू चारनी रोड पर अवस्थित पारसियों की विवाह-शाला। इसी इमारत में पारसी-दम्पति विवाह-सूत्र में बाँधे जाते हैं।
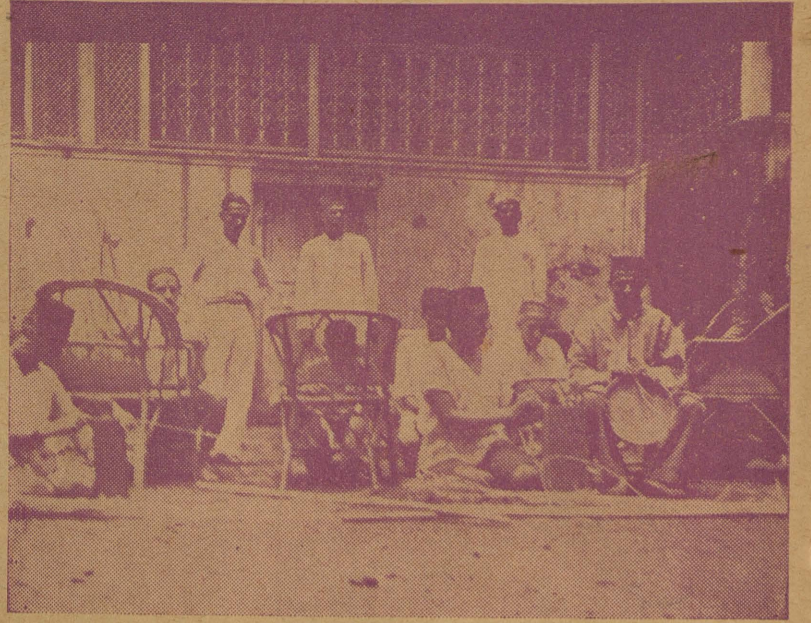
बम्बई के गोवालिया टैङ्क पर अवस्थित पारसियों का औद्योगिक भवन (Polytechnic Institute)

जिन ज़ोरस्तानियों ने गत महायुद्ध में अङ्गरेज़ी साम्राज्य की रक्षार्थ अपने जीवन की आहुति दे दी थी, उन्हीं की स्मृति-रक्षा के लिए बना हुआ कॉलम।

बम्बई के प्रिन्सेज़ स्ट्रीट में अवस्थित पारसियों का सुप्रसिद्ध वाडिया अग्नि-मन्दिर (Fire Temple)

कोलाबा (बम्बई) में अवस्थित पारसियों के सेनिटोरियम का बाहिरी दृश्य।

बम्बई के धोबी तालाब पर अवस्थित पारसियों का दूसरा अग्नि-मन्दिर (Fire Temple)
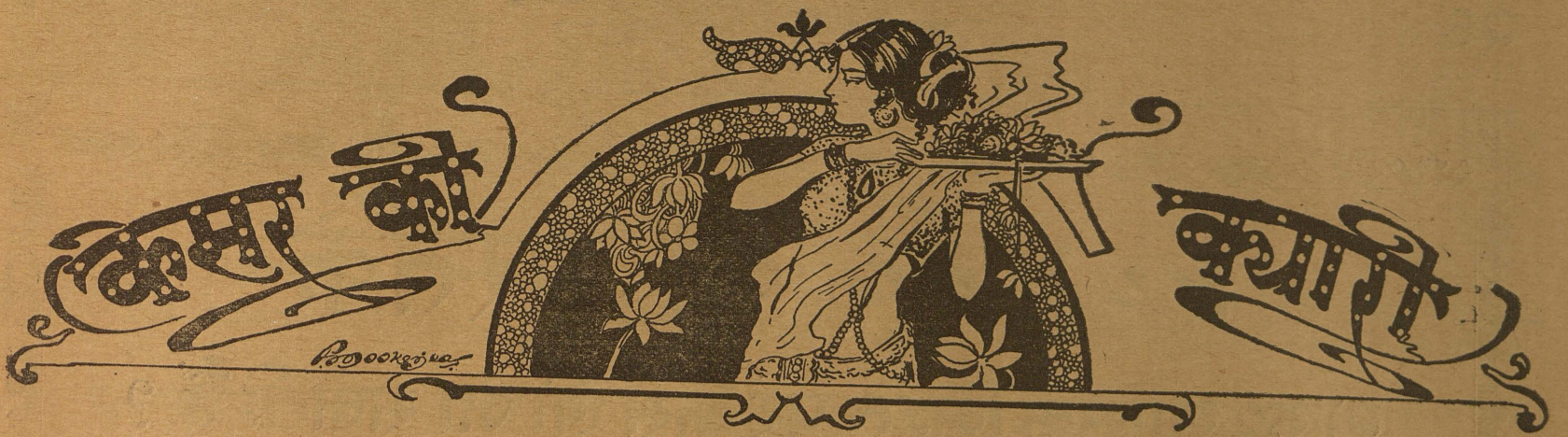
मुझसे नफ़रत हो गई ग़ैरों से उल्फ़त हो गई, साफ़ ज़ाहिर कर दिया है आपकी तहरीर ने।
जो न था मन्ज़ूर लिखना कातिबे-तक़दीर को, वह मेरी तक़दीर में लिखवा दिया तक़दीर ने॥

"आफ़ताबे" सोख़्ता[१] जाँ की न हालत पूछिए,
दिल के टुकड़े कर दिए बेदाद[२] की शमशीर[३] ने।
—"आफ़ताब" पानीपती

तोड़ कर देखा असर वहशत का तूने ऐ जुनूँ,
हश्र सा बरपा किया है पाँव की ज़ंजीर ने।
—"बकुट" मुरादाबादी

की कमी गर्दिश में जब कुछ आस्माने पीर ने,
खोल डाले बन्द दरवाजे, मेरी तक़दीर ने।
—"तीर" चकरावती

लिख दिया रोज़े[४] अज़ल यह कातिबे[५] तक़दीर ने,
यह वह बन्दा है कि फूँका है जिसे अकसीर ने।
दिल ने बुतख़ाना उजाड़ा, काबा वीराना किया,
लाख बर्बादी की पैदा एक इस तामीर[६] ने।
—"हसरत" रामपुरी

रह गए जलभुन के आँसू आते-आते चश्म तक,
आग पानी में लगा दी आहे-आतशगीर[७] ने।
"दास" सद महशर[८] बपा थे दिल की दुनिया में मेरी,
कर दिए सौ हश्र बर्पा उनके एक-एक तीर ने।
—"दास" मुरादाबादी

कर दिया उनको भी अब बेताब[९] मुज़्तर बेहवास,
उनपे डाला वह असर आहे दिले दिलगीर ने।
ख़ाक में उसने मिलाए कैसे-कैसे नौजवाँ,
ढाए हैं क्या-क्या ग़ज़ब इस आसमाने पीर ने।
हुस्न ने उनके किया उनको जो मशहूरे जहाँ,
"दर" को रुसवा कर दिया उसके दिले दिलगीर ने।
—"दर" ग्वालियारी

परदए ग़फ़लत उठाया हुस्न की तशहीर[१०] ने,
महव-हैरत कर दिया आलम तेरी तस्वीर ने।
अश्क[११] आँखों में, ख़लिश दिल में, जिगर में टीस है,
कर दिया वादाशिकन क्या-क्या तेरी तस्वीर ने।
आँख क्या उट्ठी तेरी, नख़्चीर[१२] आलम को किया,
तेग़े[१३] अबरू नश्तरे मिज़गाँ[१४] नज़र के तीर ने।
—"दिलावर" अकबराबादी

१—दिल जला २—ज़ुल्म ३—तलवार ४—आदि का दिन ५—भाग्य लेखक ६—इमारत ७—आग की तरह ८—प्रलय ९—बेचैन १०—शुहरत ११—आँसू १२—शिकार १३—तलवार १४—बरौनी।

जो मुक़द्दर में लिखा है पेश आएगा ज़रूर,
बाँध रक्खा है हमें तक़दीर की ज़ंजीर ने।
—"रशीद" साहब

तेरा पर्दा भी रहा दीदार हमको हो गया,
मोजिज़ा[१५] अच्छा दिखाया यह तेरी तस्वीर ने।
—"रज़ा" जालन्धरी

हल्क़ पर चलती नहीं है सख़्त जानों का बुरा,
ख़ून चाटा है हज़ारों का तेरी शमशीर ने।
बाद मुद्दत राह पर आया है वह काफ़िर अदा,
दावते ख़ूने जिगर मन्ज़ूर की है तीर ने।
मुझसे नफ़रत हो गई, ग़ैरों से उल्फ़त हो गई,
साफ़ ज़ाहिर कर दिया है आपकी तहरीर ने।
"शौक़" दुनिया में सिवाए रञ्जोग़म के कुछ नहीं,
लफ़्ज़ दो सीखे हैं लिखने कातिबे तक़दीर ने।
—"शौक़" बलन्दशहरी

मैंने ख़ामोशी से उनके दिल में घर था कर लिया,
कर दिया बे-आबरू एक बे महल तक़दीर ने।
कशमकश रहती थी बाहम यास[१६] और उम्मीद में,
फ़ैसला ही कर दिया क़ातिल तेरी शमशीर ने।
—"सूफ़ी" रवन्नवी

राज़ेदिल जब कह दिया एक आशिक़े दिलगीर ने,
और आँखें फेर लीं सुन कर बुते बेपीर ने।
दर्दे दिल बख़्शा मुझे दरमाने[१७] बे तासीर ने,
नक़्श हैरत कर दिया मुझको तेरी तस्वीर ने।
ताब है इतनी किसे देखे जो तुझको बे नक़ाब[१८],
कर दिया बेहोश मूसा को तेरी तनवीर[१९] ने।
—"अज़मत" बलन्दशहरी

परतवे[२०] हक़[२१] का हुआ जब बज़्मे[२२] आलम में ज़हूर,
नूर की दुनिया बसाई नूर की तस्वीर ने।
मुख़लसी[२३] होने न पाई थी किसी के इश्क़ से,
एक नई दुनिया बना दी फिर मेरी तक़दीर ने।
—"फ़रहत" कानपुरी

१५—चमत्कार १६—निराशता १७—इलाज १८—परदा, घूँघट १९—रोशनी २०—साया २१—ईश्वर २२—समा २३—छुटकारा।

हम तो आए थे कि देखें जलवए बज़्मे जहाँ,
कर दिया बेहोश लेकिन आप की तस्वीर ने।
—"कमर" चिरथावली

ताबिशे[२४] नज़्ज़ारा ने बेहोश मूसा को किया,
तूर का आलम किया पैदा तेरी तस्वीर ने,
—"मुहसिन" रामपुरी

दाग़े सीना, दर्दे दिल, ज़ख़्मे जिगर, सोज़े[२५] नेहाँ,
हमनशीं कैसे बनाए हैं मेरी तक़दीर ने।
—"नसीम" कुयटवीं

रहबरी तो की तरीक़े[२६] इश्क़ में तदबीर ने,
ऐन मनज़िल पर मगर धोका दिया तक़दीर ने।
जिस क़दर पिछली शिकायत थी वह सब जाती रही,
मुझको समझाया कुछ इस तदबीर से तक़दीर ने।
गिर पड़ी बिजली क़फ़स[२७] पर जल गई सब कायनात[२८],
दी रेहाई इस तरह मुझको मेरी तक़दीर ने।
जो न था मन्ज़ूर लिखना कातिबे तक़दीर को,
वह मेरी तक़दीर में लिखवा दिया तक़दीर ने।
वह चली आँधी कि सारा आशियाँ[२९] ही उड़ गया,
एक तिनका भी नहीं छोड़ा मेरी तक़दीर ने।
मैं तमाशागाहे आलम में तमाशा बन गया,
जो न देखा था दिखाया मुझको वह तक़दीर ने।
बैठे थे तदबीर वाले तोड़ कर पाये तलब,
ख़ाक दुनिया भर की छनवाई मगर तक़दीर ने।
किस तरह पहुँचूँगा अब मैं साहिले[३०] तदबीर पर,
मुझको दरिया में डुबोया कश्तिये-तक़दीर ने।
मेरे जीने की न कर तदबीर तू ऐ चारागर,
ठान ली अब दुश्मनी तदबीर से तक़दीर ने।
क्यों न ऐ "बिस्मिल" उठे हर सिम्त तूफ़ाने ग़ज़ल,
"नूह" साहब से मिलाया ख़ूबिये तक़दीर ने।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२४—देखने की ताक़त २५—छुपी हुई आग २६—रास्ता २७—पिंजड़ा २८—पूँजी २९—घोंसला ३०—किनारा।

* * *

५०) रु० की पुस्तकें

२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ?

(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकें मँगवाया करते हैं—जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है—उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पार्सल द्वारा भेज दी जावें और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें।

(२) पुस्तकें केवल 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावेंगी, हर किसी को नहीं।

(३) कार्यालय का छपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए।

(४) प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने पर पुस्तकें देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा।

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर बना कर भेज सकें।

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तकें मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था बाध्य न होगी।

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरी (कमीशन केवल नक़दी पुस्तकें ख़रीदने पर ही देने का नियम है—इसे पाठक स्मरण रक्खें)।

(८) ऑर्डर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तकें स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भी पुस्तकें तैयार होंगी, उनमें से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(९) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा (जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टी की रजिस्ट्री आदि का व्यय, ग्राहकों को ही देना होगा।

(१०) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मासिक की होंगी, जो प्रत्येक अङ्गरेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह ग्राहकों को ही देना होगा।

(११) यदि २ क़िश्तें पिछड़ गईं तो शेष सारा रुपया ग्राहकों को एक-मुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! अन्यथा क़ानूनी कार्रवाही की जायगी और मुक़दमे के ख़र्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा।

(११) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी बार भी ५०) रु० की पुस्तकें इसी शर्त पर भेज दी जावेंगी—पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न पहुँची अथवा मुक़दमा आदि करना पड़ा तो उस ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा जायगा।

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

* * *

उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आए हुए पत्रों का तब तक उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार लिफ़ाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।

—मैनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक,

इलाहाबाद

ऑर्डर-फ़ॉर्म

श्री० प्रबन्धक महोदय,

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महाशय जी,

मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम इसके मेम्बरों की सूची में लिख लें और प्रकाशित होते ही पुस्तकों का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे (Agreement) का फ़ॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए भेज दें। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) को वी० पी० (डाक-व्यय सहित) स्वीकार कर ली जायगी और नियमित रूप से आपको २) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे।

मेरा 'चाँद' / 'भविष्य' का ग्राहक-नम्बर—————— है।

हस्ताक्षर——————

पूरा पता——————

——————

——————

यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉर्म को साफ़-साफ़ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जा सके।
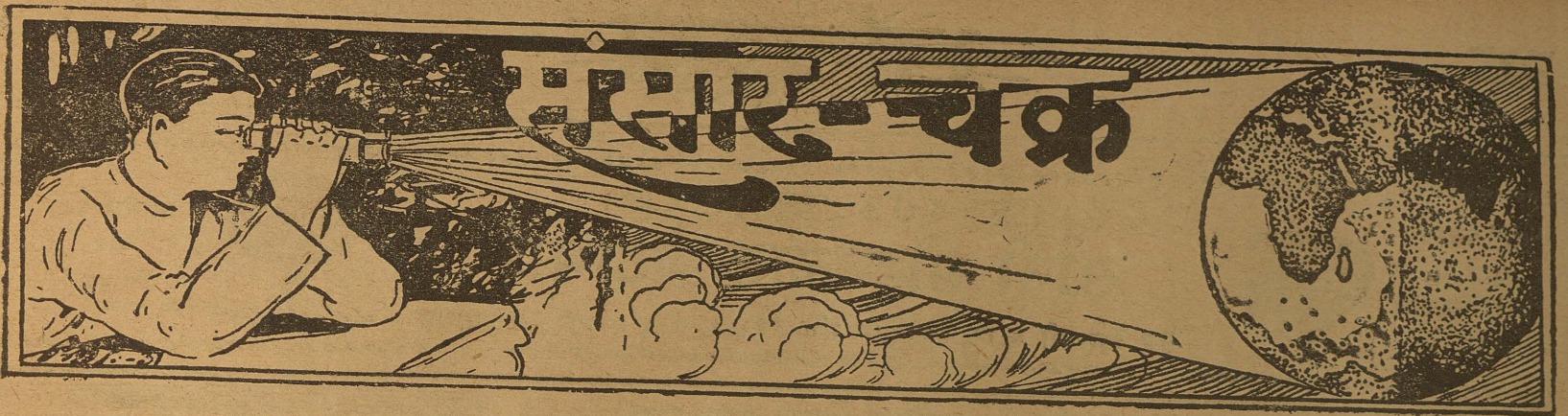
प्राचीन भारत में राज-व्यवस्था

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]
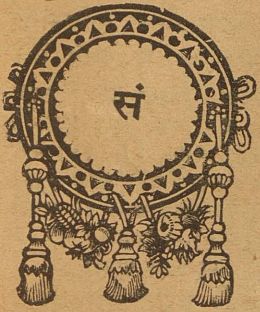
सार में ऐसा कोई भी देश न होगा, जहाँ कि किसी न किसी प्रकार की राज-व्यवस्था न हो। प्रत्येक सभ्य या असभ्य देश में राज-व्यवस्था होती ही है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि प्रत्येक देश की व्यवस्था वहाँ की सभ्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। फलतः किसी देश की सभ्यता का परिचय प्राप्त करने के लिए और वहाँ के निवासियों की योग्यता और विद्वत्ता आदि का अन्दाज़ा लगाने के लिए उस देश की राज-व्यवस्था का जानना आवश्यक है। यदि किसी देश पर लुटेरों का राज्य है, तो उस देश की सभ्यता भी वैसी ही होगी और यदि किसी देश पर विदेशियों का आधिपत्य है तो वहाँ के लोग अवश्य ही कायर, भीरु, निरुत्साही और आलसी होंगे। तात्पर्य यह कि किसी देश की राज-व्यवस्था ही उस देश की सभ्यता का प्रधान परिचायक है।

इस भू-मण्डल पर भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ अनादि काल से लेकर आज तक प्रत्येक प्रकार की राज-व्यवस्थाएँ आविर्भूत और समाप्त हो चुकी हैं। एकाधिपत्य शासन, निरङ्कुश शासन, प्रजातन्त्र, साम्राज्यवाद आदि प्रायः सब प्रकार की राज-व्यवस्थाएँ समय-सङ्गम पर स्थापित हो चुकी हैं। इस देश पर कितने ही आक्रमण हुए, कितनी ही आपदाएँ आईं—भारत ग़ुलाम हुआ, आज़ाद हुआ, पुनः ग़ुलाम हुआ। इसने अपने जीवन का आनन्दमय प्रभात देखा, मध्यान्ह में प्रचण्ड शक्ति को प्राप्त कर संसार को अपने आतप से उद्भासित और चकित किया, अब स्वयं घोर अन्धकार में पड़ा हुआ है। अतः यदि यह दावा करे कि प्रायः सर्व प्रकार की राज्य-व्यवस्थाओं का उपयोग इस देश में हो चुका है तो कोई अत्युक्ति न होगी। यहाँ तक कि वर्तमान युग का स्वायत्त शासन-व्यवस्था की जन्म-भूमि भी भारत ही है और यहाँ की प्राचीन ग्राम्य व्यवस्था इसका प्रमाण है, जिसकी झलक आज भो देहातों में मौजूद है।

प्राचीन काल में भारत की प्रजा राजा को देवता का अंश समझती थी, और आज भी समझती है। परन्तु राजा अपने अधिकार को दैवी अधिकार नहीं मानता था, न अपने पद को ईश्वर-प्रदत्त समझता था जैसा कि पाश्चात्य देशों के राजा लोग मध्य युग में समझते थे। इसलिए भारत के निरङ्कुश शासकों तथा पाश्चात्य देशों के निरङ्कुश शासकों में बड़ा अन्तर है।

पाश्चात्य देशों के निरङ्कुश शासक की इच्छा ही शासन-व्यवस्था थी, वह स्वयं राज-व्यवस्था बना और बिगाड़ सकता था। परन्तु भारत में यह बात न थी। वहाँ धर्म, शास्त्र तथा स्मृतियाँ ये दोनों सिपाही के रूप में सर्वदा राजा के आगे-पीछे चलते थे। यदि कहीं राजा ने इन दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया तो वे झट वहीं राज-शक्ति की लगाम खींच लेते थे। यूरोप के राजा लोग अपनी निजी सम्पत्ति को अपनी इच्छानुसार बर्त सकते थे, परन्तु भारत में राजाओं के पास कोई निजी सम्पत्ति होती ही न थी। जो कुछ उसके पास होता था, वह प्रजा का धन होता था। जब तक राजा बल-पौरुष से युक्त होता था तब तक वह उसके उपयोग का अधिकारी था। जब वह शासन के अयोग्य हो जाता था, उसे उपभोग से मुँह मोड़ कर जङ्गल की राह लेनी पड़ती थी। राजा हर्षवर्धन, अशोक, हरिश्चन्द्र आदि के ऐसी अवस्था आने के पूर्व ही राज-सम्पत्ति छोड़ कर चले जाने का वृत्तान्त इतिहास में लिखा हुआ है।*

राजा की सहायता के लिए एक कौन्सिल होती थी† शासन का आरम्भ ग्रामों से ही होता था। ग्रामों के अधिपति ही राज्य की सभा (General Assembly) के सदस्य होते थे। इन्हीं में से राज्य-परिषद के सदस्य चुने जाते थे और ये राज्य-परिषद के सदस्य ही देश के वास्तविक शासक होते थे। शासन की दो व्यवस्थाएँ थीं। एक तो यह कि ऐसे परिषद केवल सभापति चुन कर ही शासन करते थे। ऐसे राज्यों को 'गणराज्य' कहते थे। दूसरे, ऐसे परिषदों द्वारा राजा भी चुने जाते थे। जहाँ राजा चुने जाते थे वह परिषद द्वारा ही चुने जाते थे। "तुम्हें तमाम ग्रामपति राजा चुनेंगे" (अथर्ववेद)।‡ यह चुनाव राजवंश से ही होता था। राजा चुनने का प्रथम प्रस्ताव तात्कालिक राजा ही करता था। परिषद की स्वीकृति उसके लिए आवश्यक होती थी। तात्कालिक राजा जब तक शासक के रूप में उपस्थित रहता था तब तक वह निर्वाचित राजा 'युवराज' के नाम से सम्बोधित होता था। यदि वह युवराज-काल में अयोग्य प्रमाणित होता तो अन्य शासक चुना जाता था। युवराज का राज्याभिषेक महामन्त्री अथवा राजगुरु ही करता था।§

प्रजातन्त्र

कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का कथन है, तथा उन्हीं को प्रमाण मानने वाले भारतीय इतिहास की असलियत से अनभिज्ञ अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह मान लिया है कि भारत में 'प्रजातन्त्र शासन' जैसी कोई राज्य-व्यवस्था कभी नहीं थी। वे प्रजातन्त्रात्मक शासन का जन्मदाता ग्रीस (यूनान) को मानते हैं।

"अलक्षेन्द्र (Alexander) के आने के पहिले भारत की जातियाँ" "और ६०० ई० पू० से ३२३ ई०पू०" नामक पुस्तकों में माननीय रमेशचन्द्र दत्त विनसेण्ट स्मिथ के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहते हैं —

* Dr. Pramath Nath Bannerji 'Ancient Government,' p. 343.

† 'Early History of India' V. Smith.

‡ Quoted by Dr. Besant in her 'Lecture on Political Science' Published by the Madras Theosophical Society 1920.

§ 'Ramayana' (Balmiki) Balkand quoted by Dr. Besant in her Lectures on Politics Page 140.

"हिमालय से लेकर दक्षिण में, नर्बदा नदी तक के बीच के बसे हुए भू-भागों में, अनेक राज्य स्थापित हो गए थे। वे भाग राजाओं के हाथ में थे। वहाँ वे सङ्घ-शासन द्वारा शासित होते थे और कहीं-कहीं गण-तन्त्र राज्य-व्यवस्था थी। उनका कोई एक निरङ्कुश शासक न था।"

हुएन साङ्ग के एक विवरण को उद्धृत करते हुए श्री० जायसवाल जी कहते हैं कि, "कपिलवस्तु में कोई राजा ही न था। हर एक नगर स्वयं अपना शासक नियुक्त कर लेता था।"

प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली वाले राज्य, 'सङ्घ' अथवा 'गण' कहलाते थे। प्राकृतिक भाषा में गण के बदले 'गण रायानी' शब्द मिलता है।

श्री० जायसवाल जी अपनी पुस्तक 'हिन्दू राजनीति' (Hindu Polity) में महाभारत, शान्ति-पर्व ६-८-१६ का उल्लेख करते हुए गणराज्य के विषय में लिखते हैं—

"गणराज्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे, अन्य राज्यों से मैत्री स्थापित करते थे, नीति निर्धारित करते थे, कर वसूल करते थे, मुद्रा चलाते थे और राष्ट्र में जितनी बातें होनी आवश्यक होती हैं, वे सभी बातें करते थे।"

कौटिल्य [अर्थशास्त्र पुस्तक ६, अध्याय १, पृष्ठ ४५५-५६] महाराज चन्द्रगुप्त को राज्यशासन-व्यवस्था के उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं—"कम्बोज के वीरों का सङ्घ, सौराष्ट्र आदि देशों के खेतिहरों का सङ्घ, व्यापारियों का सङ्घ, शास्त्र निर्माताओं का सङ्घ, लिच्छवियों का सङ्घ, ब्रित्तिकों का सङ्घ, मल्लकों का सङ्घ तथा अन्य कतिपय सङ्घ, जो अपने को शासक कहते हैं, जो प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के मानने वाले हैं, उनसे आप मैत्री स्थापित करें। क्योंकि इन लोगों से मैत्री करना मानो किसी बड़े राज्य पर अधिकार जमाने से विशेष सम्बन्ध रखता है।

"यन्धियों का भी एक सङ्घ-राज्य था। उनका पेशा शास्त्र बनाना और उसीका व्यापार करना था। शिलालेखों से यह पता चलता है कि उनके यहाँ गणराज्य था।"*

"मालवा, क्षुद्रक तथा मल्लों राज्य का गणराज्य था। ग्रीक इतिहास-लेखक यादवों के राज्य को भी गणराज्य लिखते हैं। परन्तु यादव लोग अपनी राज-प्रणाली को 'स्वराज्य' या 'स्वराट्' नाम से पुकारते थे। महाभारत में इसका एक प्रबल प्रमाण मिलता है। भगवान कृष्ण, यद्यपि हर प्रकार से द्वारिका के शासक थे, परन्तु वे 'राजा' नहीं कहलाते थे। इसका क्या कारण है? कृष्ण के पूर्वज भी 'राजा' नहीं कहलाते थे। इससे मालूम होता है कि अवश्य ही यादवों में गण-राज्य प्रणाली रही होगी और श्रीकृष्ण के पूर्वज चुने हुए शासक (सभापति) के रूप में रहते होंगे। 'ऐतरेय ब्राह्मण' (अध्याय ७, श्लोक १४) भोज तथा स्वराट् शासन-प्रणाली को 'विराज्य' के नाम से सम्बोधित करता है। उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्रास के भूभागों में गणतन्त्र-राज्य स्थापित था। वहाँ का हर एक निवासी स्वयं अपना शासक था। सम्राटों और राजाओं

* 'Panini' quoted by Mr. Jayaswal in his 'Hindu Polity.'

का शासन केवल पूर्व तथा मध्य के देशों में होना बताया गया है।

एक बार अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से कहला भेजा था कि वह वाज्जियासङ्घ-राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, आपकी क्या आज्ञा है? इस पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्दभिक्षु से पूछा—

"आनन्द, क्या तुमने सुना है कि वाजिया निवासी कभी-कभी सभाएँ करते हैं?"

"तथागत, हाँ, मैंने सुना है।"—आनन्द ने कहा।

महात्मा बुद्ध ने पुनः पूछा—"आनन्द, जब तक वाजिया निवासी मिल कर सभाएँ करते हैं, सभा और समिति द्वारा अपने ऊपर शासन करते हैं, तब तक उनकी अवनति न होगी। वे उन्नति-पथ की ओर ही बढ़ेंगे। जब तक वाजिया निवासी साथ-साथ रहते हैं, आपस में ही अपने विवादों का निर्णय कर लेते हैं, स्वयं नियम बनाते और उसका पालन करते हैं, वाजिया-परिषद् की आज्ञा मानते हैं, वृद्धों का आदर करते हैं और वाजिया के प्राचीन सिद्धान्तों पर चलते हैं, तब तक वाजिया की उन्नति ही होती रहेगी, न कि अवनति*।"

महात्मा गौतम बुद्ध का चलाया हुआ धर्म ही सङ्घ कहा जाता था। जो उक्त धर्म को पहले-पहल स्वीकार करता था, उससे ये दो वाक्य कहलवाए जाते थे—

"बुद्धं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि।"

महात्मा बुद्ध के सङ्घ में सबको समानाधिकार प्राप्त थे। बहुमत द्वारा सब बातें तय होती थीं। उनका धर्म ही प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित था। ग़रीबों का उत्थान ही उनका उद्देश्य था। जब कभी सङ्घ में कोई आवश्यक प्रश्न उपस्थित होता था, तो उस पर प्रत्येक सदस्य से सम्मति ली जाती थी। सङ्घ में विषय उपस्थित किया जाता था और उस पर तीन बार मत लिया जाता था। जिन्हें प्रश्न का विरोध करना होता था, वे ही बोलते थे, जो समर्थक होते वे चुप रहते थे। फिर बहुमत से वह प्रस्ताव पास होकर कार्यान्वित हो सकता था। फलतः पाश्चात्य इतिहास-कारों का यह कहना है कि बहुमत से प्रस्ताव पास करने की क्रिया यूनानियों की निकाली है, भ्रमपूर्ण है। भारत में यह प्रणाली अनादि काल से चली आ रही है। मत रङ्गीन टिकटों द्वारा लिए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे। 'सङ्घ में जितने भी 'भिक्षु' होंगे, उनमें से अधिक मत जिस पक्ष में होगा उसी पक्ष की विजय मानी जायगी।' (चलवग्ग चतुर्थ पद २४)। टिकट इकट्ठा और वितरित करने के लिए वर्तमान 'स्पीकरों' की तरह एक ही मनुष्य नियुक्त किया जाता था†। जायसवाल महोदय का कहना है कि कुरु, पाञ्चाल आदि में भी सङ्घ-राज्य प्रणाली थी। विदेहों का राज्य भी गण-राज्य था, जो ६ शताब्दी ई० पूर्व राज्य तथा साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया था।

अतः यह सिद्ध है कि ईसा की ६ शताब्दी पूर्व भारत में जातीय सङ्घों का अन्त हो चुका था तथा उनके स्थान पर सङ्घ तथा गण-राज्य प्रणालियाँ पूर्ण रूप से व्याप्त थीं। उनके शासन का प्रबन्ध लोक-समिति द्वारा ही होता था‡।

जिस तरह छोटे-छोटे ग्रामों में प्रजातन्त्रवाद का जन्म हुआ, उसी तरह इन्हीं छोटे-छोटे ग्रामों के एक में

* 'Mahaparnibhana Suttant' quoted by Dr. Pramath Nath Bannerji Loc. Cit. Chap. VII, pp. 95, 96.

† जायसवाल महोदय ('हिन्दू राजनीति' पृष्ठ ८–१०)

‡ Dr. Besant's 'Lecture on Political Science'.

मिल जाने से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। जो पहिले दस ग्राम या बीस ग्राम के अधिपति थे, वे सरदार बन गए। ऐसे दस-बीस सरदारों के अधिपति राजा तथा ऐसे दस-बीस राज्यों के मिल जाने से साम्राज्य की सृष्टि हुई। भारतीय इतिहास ग्रन्थों में राजा की उत्पत्ति का कारण आततायियों, चोरों और डाकुओं से दुखियों, निर्बलों की रक्षा करना लिखा है।

मनु कहते हैं—जब जीव अराजकता से भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे, तब ईश्वर ने राजा की सृष्टि की (मनु अध्याय ७, श्लोक ३)

मनु महाराज स्वयं प्रथम राजा बने। पहिले के राजाओं का शासन निरङ्कुश न होता था। इसका प्रबल प्रमाण यह है कि एक-एक राज-वंश के सहस्रों वर्ष तक निर्विघ्नतापूर्वक राज्य करने का वर्णन मिलता है। जैसे सूर्य-वंश और निमि-वंश आदि राजाओं को स्वेच्छाचारी होने से बचाने के लिए यह आवश्यक होता था कि वह मन्त्रिमण्डल की सहायता से राज-काज चलावें*। वह स्वयं तब तक शासन नहीं कर सकता था, जब तक उसके पास मन्त्रिमण्डल न हो। यदि राजा अत्याचारपूर्वक प्रजा पर शासन करे, तो वह तथा उसके सम्बन्धी को तुरन्त अपने प्राणों से हाथ धो लेना पड़ता था†।

मनु लिखते हैं—"उसे (राजा को) कर बहुत अल्प लेना चाहिए। आठवाँ, छठवाँ या बारहवाँ भाग पैदावार का कर-स्वरूप उसे लेना चाहिए। (मनुस्मृति, १२८-१३२)। यन्त्रकार, कलाकार, श्रमजीवी तथा अन्य कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के यहाँ निःशुल्क काम करना चाहिए। जो गाड़ी, रथ या बहली चला कर या नाव द्वारा व्यापार करते हैं, उन्हें वर्ष में एक बार राज-सेवा में उपस्थित होना चाहिए।" (मनु० १३७-३८)।

राजा ही प्रधान शासक होता था, परन्तु उसके हाथ में ही सारी शक्ति नहीं होती थी। राज्य में सुप्रबन्ध के लिए वही उत्तरदायी होता था। राजा के पास राज्य-परिषद् का रहना अनिवार्य था। कौटिल्य का कहना है कि परिषद् की सहायता के बिना राजा शासन कर ही नहीं सकता। राज्य-सञ्चालन रूपी रथ के दो पहियों में एक राजा और दूसरा परिषद् है। बिना एक दूसरे की सहायता के राज्य का काम नहीं चल सकता। अतः राजा नियमानुकूल राज्य-परिषद् अवश्य रक्खे (कौटि० प्रथम, अध्याय ७, पृष्ठ १३-१४)।

मन्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस विषय में भारतीय राजनीतिज्ञों में मतभेद है। मनु के अनुसार मन्त्रिमण्डल की संख्या १२ होनी चाहिए। बृहस्पति के मतानुसार १६; नृप उशन के अनुसार २०,परन्तु कौटिल्य का कहना है कि राजा जितने मन्त्री रखना उचित समझे, जितने से राज-काज चल सके, उतने रक्खे। (कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम पुस्तक, अध्याय २५, पृष्ठ २६, ३२, ३३)। मन्त्रिमण्डल में जो बात विशेष विवाद-ग्रस्त होती, उस पर अन्तिम राय राजा की ही ली जाती थी। राजा हर एक आज्ञा को लिख कर अपने मन्त्रिमण्डल के पास भेजता था। उस पर उसे अपनी मुहर देनी पड़ती थी। बिना मुहर के वह आज्ञा अप्रामाणिक समझी जाती थी। जायसवाल महोदय पञ्चतन्त्र के आधार पर कहते हैं कि "राजा की मुहर ही 'राजा' समझी जाती थी।" उनका कहना है कि जिस विभाग से उक्त आज्ञा का सम्बन्ध रहता था, उस पर उक्त विभाग के मन्त्री की भी मुहर रहना आवश्यकीय समझा जाता था।

शुक्रनीति में निम्न-लिखित विवरण मिलता है:—

* मनुस्मृति ७,२५-२६

† १११-११२

"राजकीय पत्रों को भली-भाँति देख लेने के पश्चात् उस पर यथास्थान राजा को हस्ताक्षर करना चाहिए। मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान राजपूत तथा राज-पण्डित को भी हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर के ऊपर निम्न-लिखित वाक्य भी लिख देना चाहिए, 'यह आज्ञापत्र मेरे मत से ठीक है।' आमात्य को लिखना चाहिए 'यह आज्ञा-पत्र अच्छी तरह लिखा गया है।' सुमन्त को लिखना चाहिए, 'अच्छी तरह विचार किया गया है।' प्रतिनिधि लिखेगा, 'इसे अब स्वीकृत कर लेना चाहिए।' प्रधान लिखेगा, 'सही'। राज-कुमार लिखेंगे, 'इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए।' पुरोहित लिखेगा, 'स्वीकार'। इस तरह लिख कर हर एक उस पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेगा। फिर वह पत्र राजा के सामने उपस्थित किया जायगा। राजा 'स्वीकृत' लिख कर उस पर हस्ताक्षर तथा मुहर करेगा। राजा को अन्य कार्यों के कारण इतना समय न रहेगा कि वह उक्त पत्र को अच्छी तरह पढ़े, अतः राजकुमार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसे अच्छी तरह पढ़े और उचित-अनुचित समझ कर राजा को बतावे। राजा शीघ्र उस पर 'देखा' शब्द लिख कर अन्य कार्य में लग जाय*।"

मेगस्थनीज़ के भी विवरण से इसकी पुष्टि होती है। एक 'आज्ञापत्र' पर सब मन्त्रिमण्डल का हस्ताक्षर तथा मुहर होना आवश्यक था। यह इस बात का साक्षी है कि राजा का शासन स्वेच्छाचारी नहीं होने पाता था। मन्त्रियों को इस बात का अधिकार था कि वह किसी आज्ञा के विरुद्ध अपना मत दे सकें। स्मिथ ने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा है कि चन्द्रगुप्त-ऐसे प्रबल शासक के लिए मन्त्रिमण्डल की बात का मानना या न मानना आवश्यक न था। उनका यह लिखना भ्रम-पूर्ण है। राजा से अधिक अधिकार मन्त्रिमण्डल को प्राप्त था। वह किसी स्वेच्छाचारी राजा को गद्दी से उतार सकता था, उसे पदच्युत कर सकता था। पुराणों में ऐसे कितने पदच्युत राजाओं का विवरण आया है, जो कि मन्त्रिमण्डल तथा प्रजा की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने के कारण सिंहासन से उतार दिए गए थे। यहाँ तक वर्णन आया है, कि जब किसी राजा को किसी अन्य कारण से गद्दी से उतारना होता था अथवा उसका राज्य छीनना होता था तो उस पर आक्रमण कर, विजय प्राप्त करना कठिन समझ,उसके द्वारा प्रजा पर अत्याचार करा कर, उसका स्वेच्छाचारी प्रमाणित कर पदच्युत कराया जाता था। जैसे नहुष और त्रिशङ्कु आदि।

राज की बागडोर मन्त्रिमण्डल के ही हाथ में रहती थी। जायसवाल महाशय अपनी पुस्तक 'Hindu Polity' (हिन्दू राजनीति) में एक स्थान पर कहते हैं—"राज-शासन की प्रधान-प्रधान बातों पर मन्त्रि-मण्डल का ही अधिकार होता था। हिन्दू-मन्त्रिमण्डल के आरम्भ का इतिहास बहुत पुराना है। मन्त्रि-मण्डल का सङ्गठन राजा द्वारा नहीं होता था, बल्कि वह पहिले ही से बना होता था। पहिले मन्त्रि-मण्डल होता था, उसके बाद राजा; न कि पहिले राजा और तब मन्त्रिमण्डल। मन्त्रिमण्डल ही राजा को चुनता था अथवा उसके लिए स्वीकृति देता था। 'शत-पथ ब्राह्मण' तथा अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि जब राजा चुन लिया जाय तो उसे राज्य के प्रधान-प्रधान व्यक्तियों—गुरु, पुरोहित, महामन्त्री, कुबेर (ख़ज़ाञ्ची) वन-विभाग के अधिपति और सेनापति आदि के यहाँ जाकर मैत्री भाव से उनसे मिलना चाहिए। राजा 'हे शासको' नाम से पहिले उनका सम्बोधन करे।

* 'Shukra-Niti' Translated by Dr. Bannerji, Page 729, 744 Chap. ii.

वे लोग (मन्त्री) प्राचीन ग्रन्थों में राज-कर्त्ता—राजा की सृष्टि करने वाले—आदि नाम से सम्बोधित किए गए हैं। हिन्दू-मन्त्रिमण्डल का आरम्भ प्रजातन्त्र-वाद के आरम्भ के साथ ही हुआ था। उस समय मन्त्रि-मण्डल का नाम 'समिति' था। जब राजा चुना जाने लगा तो समिति का नाम मन्त्रिमण्डल रख दिया गया। यही मन्त्रिमण्डल फिर 'मन्त्रि-परिषद्' और 'राज्य-परिषद्' के नाम से भी पुकारा जाने लगा। हिन्दू-राजनीति में मन्त्रिमण्डल को विशेष महत्व का स्थान प्राप्त था। मन्त्रिमण्डल कभी परतन्त्र नहीं रहता था। मन्त्रिमण्डल के इतिहास का अध्ययन करने से इस बात का पता चलता है कि भारतीय राजनीति शास्त्र कितना महत्व प्राप्त कर चुका था। आज भी हमारे सामाजिक या राजनीतिक जीवन में 'मन्त्रणा' को विशेष महत्व प्राप्त है। साधारण से साधारण काम ग्राम के पुरोहित, ज्योतिषी, पटवारी, वृद्ध तथा घर के मालिक और घर की वृद्धा स्त्री से राय लेकर ही किया जाता है।

इसी तरह हिन्दू राजनीति का यह परम सिद्धान्त है कि राजा बिना मन्त्रिमण्डल की सहायता तथा उसकी आज्ञा के एक इञ्च भी आगे न बढ़े। इस बात पर हमारे यहाँ धर्म-शास्त्र तथा नियम-क़ायदों की पुस्तकों की कमी नहीं है। रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ और पुराण आदि ग्रन्थों में ये सब बातें भरी पड़ी हैं। जिस चन्द्रगुप्त तथा उसके पौत्र अशोक को पाश्चात्य इतिहासवेत्ता एकतन्त्र सम्राट मानते हैं, उनके राज्य में भी मन्त्रिपरिषद् का उल्लेख आता है। 'Rock Edict VI' नामक शिलालेख में इसका भी विवरण मिलता है कि "मन्त्रिमण्डल किसी प्रश्न विशेष पर राजाज्ञा से सहमत नहीं है।" वे शिला-लेख जो महाराज अशोक की ओर से प्रान्तीय शासकों को लिखे गए मालूम होते हैं, उनमें मन्त्रियों का भी नाम आया है। सिंहल लिपि के ताम्र-पत्र जिन पर हुक्मनामे लिखे गए हैं, उन पर 'मन्त्रि-परिषद् तथा राजा की आज्ञा' यह वाक्य भी लिखा हुआ मिलता है। यदि राजा अयोग्य होता था तो मन्त्रिमण्डल उसके स्थान पर दूसरा राजा चुन लेता था। इसका भी विवरण अशोक कालीन इतिहास से मिलता है। अशोक के मरने के उपरान्त पहिली शताब्दी ई० पू० में दशरथ नाम के किसी अयोग्य राजा को मन्त्रिमण्डल ने सिंहासन से उतार कर किसी अन्य को राजा बनाया था। एक दूसरे स्थान पर एक और आश्चर्यजनक विवरण मिलता है, जिससे मन्त्रिमण्डल की शक्ति का पता चलता है। 'राधागुप्त' नाम के निधि-पति ने जब सुना कि अशोक राज-निधि का सारा द्रव्य बौद्ध मठों को दे देता है तब उसने 'निधि-भवन' पर ताला लगा दिया और यह घोषित कर दिया कि यह निधि प्रजा की है; इस पर अशोक का कोई अधिकार नहीं है *।

पञ्चतन्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि जो मन्त्री राजा की चाटुकारिता करता था, अथवा लोभ में आकर राजा की तरफ़दारी करता था, प्रजा उससे घृणा करती थी।

गिरनार पर्वत पर, सिंचाई के लिए एक विशाल जलाशय अनादि काल से बना चला आया है। सामयिक राजा को उस जलाशय की मरम्मत करवानी पड़ती थी। क्षत्रप रुद्रदमन ने भी उक्त जलाशय की मरम्मत करवाई थी। उस सम्बन्ध में उसका लिखवाया हुआ जो शिला-लेख मिला है, उसका विवरण इस प्रकार है—"मेरे मन्त्रिमण्डल तथा राज्य-परिषद्—दोनों ने मुझे उक्त जलाशय के मरम्मत कराने की आज्ञा नहीं दी। क्योंकि राज्य की विशेष आय लग जाने पर भी उसका व्यय पूरा न पड़ता था, अतः मुझे लाचार हो, अपनी निजी सम्पत्ति लगवा कर जलाशय को ठीक करवाना पड़ा।"

मन्त्रि-परिषद् के सिवाय राजा पर सबसे बड़ा मन्त्री तो धर्मशास्त्र था, जिसके विरुद्ध रह कर राजा को एक दिन भी शासन करना कठिन था।

पाश्चात्य विद्वान् जो भारत की असभ्यता को ही संसार के समक्ष रखना अपना कर्तव्य समझते हैं, अवश्य ही भारतीय इतिहास से निरे अनभिज्ञ हैं। ईसा के पूर्व की चौथी शताब्दी में जो राज्य-शासन के नियम थे वही ई० ग० ८वीं शताब्दी में भी रहे। मौर्य-साम्राज्य तथा गुप्त-साम्राज्य के राजनियमों में बहुत कम हेर-फेर हुआ। दोनों को धर्म-शास्त्रों—स्मृतियों के बताए मार्गों पर ही चलना पड़ा। फिर स्वेच्छाचारी शासन कहाँ रहा? उस समय की बात तो जाने दीजिए, ईसा मसीह की सत्रहवीं शताब्दी में, जब कि हिन्दू-साम्राज्य का प्रदीप बिल्कुल बुझ चुका था, शिवाजी के राज्य में भी इन्हीं नियमों द्वारा शासन होता था। इनका भी एक मन्त्रिपरिषद् था और उसकी आठ श्रेणियाँ थीं। अलग-अलग आठ विभाग थे। समर्थ गुरु रामदास उनके सञ्चालक थे।

नन्द वंश के विनाश का कारण क्या अकेले चाणक्य हो सकता था? वास्तव में सारा मन्त्रिमण्डल तथा प्रजा, नन्द के अत्याचार से घबरा उठी थी और मन्त्रि-मण्डल भी उसके विरुद्ध हो गया था, तब कहीं चन्द्रगुप्त और चाणक्य को सफलता मिली थी। जब इस तरह की सुराजव्यवस्था थी तभी देश भी धन-धान्य से परिपूर्ण था; लक्ष्मी उसके पैरों तले लोटती थी। प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के ऊपर, प्रजा के प्रतिनिधि शासन करते थे। राजा तो केवल एक प्रधान का काम करता था। वह प्रजा का नौकर बन कर रहता था। जिस दिन से भारत में स्वेच्छाचारी शासन का आरम्भ हुआ, राजा प्रजा के भावों की अवहेलना करने लगे, उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर शासन करने लगे, उसी दिन से भारत के अभाग्य का केतु भी उदित हुआ। पृथ्वीराज के विनाश का यही कारण था। बार-बार मन्त्रिमण्डल के विरोध करने पर उनका होश ठिकाने न हुआ। उसी दिन भारत की स्वतन्त्रता देवी रूठ गई। मन्त्रिमण्डल का जहाँ अपमान हो, राजा जहाँ स्वेच्छाचारी, प्रजा के मत की जहाँ अवहेलना हो, वहाँ स्वतन्त्रता देवी अधिक दिन तक नहीं टिक सकती। यही नहीं, ऐसा राज्य या साम्राज्य भी, जिसमें प्रजा के ऊपर अत्याचार हो, प्रजा की बातों की सुनवाई न हो, स्वेच्छाचारपूर्ण शासन के अन्दर वे कुचले जाएँ, शीघ्र ही विनष्ट होता है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है और ईश्वर स्वयं ऐसे शासनतन्त्र का नाश करने के लिए अवतरित होता है।

* * *

* 'Lecture on Political Science' by Dr. Besant, page 157.

'राजपूताना' जहाज़ पर से--

दूसरा रुख़

[गत सप्ताह के सहयोगी 'यङ्ग इण्डिया' में महात्मा गाँधी ने एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख लिखा है। दोनों पक्षों के विचार देशवासियों के समक्ष उपस्थित करने के अभिप्राय से महात्मा जी ने अपने एक सम्वाददाता के विचार भी उद्धृत कर दिए हैं; पाठकों के विचारार्थ महात्मा जी का यह लेख 'हिन्दी-नवजीवन' से हम यहाँ अविकल रूप से उद्धृत कर रहे हैं। —स० 'भविष्य']

फ़र्ग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थी के बम्बई के अस्थायी गवर्नर की हत्या करने के प्रयत्न की मैंने जो निन्दा की थी, उसका विरोध करते हुए एक सम्वाददाता ने उपर्युक्त शीर्षक से मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। मैं उसका अत्यन्त संक्षिप्त सार नीचे देता हूँ:—

"गुजराती नवजीवन" के गताङ्क में 'गाँडपण' (पागलपन) शीर्षक आपका नोट पढ़ कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। मैं आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सन् १९२१ से ही मैं अहिंसात्मक असहयोगी रहा हूँ और कॉङ्ग्रेस के अहिंसा के ध्येय को जितना अधिक से अधिक सम्भव हो सकता है, विश्वास के रूप में और स्त्रियों के सतीत्व पर आक्रमण होने अथवा राष्ट्रीय झण्डे के अपमान जैसे अपवादित अवसरों के लिए नीति के तौर पर स्वीकार करता हूँ। जब तक इन दोनों पर कोई वास्तविक ख़तरा नहीं होता, तब तक अत्यन्त उत्तेजना के समय भी सच्ची अहिंसा सम्भव हो सकती है। लेकिन जब कभी स्त्रियों के सतीत्व पर हमला अथवा राष्ट्रीय झण्डे का अपमान होता हो, उस अवसर पर मुझे भय है कि मेरी अहिंसा ग़ायब हो जायगी, और यदि ऐसा न हो, तो उसका कारण मेरा कोई गुण न होगा, वरन् अधिकांश अवसरों पर मेरी शारीरिक दुर्बलता और केवल कभी-कभी अपवाद के रूप में मेरा समझ-बूझ कर किया हुआ आत्मसंयम ही इसका कारण होगा। यदि मैं बिना किसी आत्मश्लाघा के कह सकूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि शोलापुर के मार्शल-लॉ की अवज्ञा करने का विचार फैलाने वाला और वास्तविक अवज्ञा कर जेल जाने वाला पहिला व्यक्ति मैं ही था। यह सब कुछ अपनी सफ़ाई के रूप में है। अस्तु।

"मेरे विचार में, जो व्यक्ति सर्वथा मृत्यु के पञ्जे में फँसा हुआ है, उसका तिरस्कार करने से कोई लाभ नहीं। वह तो केवल दया का ही पात्र है। क्रियात्मक हिंसा ऐसा गुण या अवगुण है, जो न तो किसी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक प्रशंसा से विकसित हो सकता है, क्योंकि यह एक जीवन और मरण का प्रश्न है; और न किसी तीव्र से तीव्र सार्वजनिक निन्दा अथवा सरकारी दमन या दोनों से समूल मिटाया ही जा सकता है, क्योंकि यह परिणाम है विद्रोही भावनाओं का। जो लोग फाँसी से नहीं डरते, वे जनता की राय से न हिचकिचावेंगे। गुण या अवगुण अपवाद है और केवल भयङ्कर दमन अथवा स्त्रियों के सतीत्व पर हमला होने के बाद ही फूट निकलता है; उसका समूल नाश केवल तभी हो सकता है, जब कि या तो शासक अपने तर्ज़-अमल को सुधारें या अपना अन्त कर लें।

"हम अपने मृत्यु-काल के समीप तक सुरक्षित और निर्विघ्न रहने की न्याय्य इच्छा केवल तभी रख सकते हैं, जब हम नेक और पाप-भीरु हों; किन्तु निकृष्ट से निकृष्टतम पाप करने के बाद यदि हमारे साथ कुछ धोखेबाज़ी की जाय, तो उससे दुखी होने का हमें क्या अधिकार है, और ख़ासकर उस दशा में जबकि हमने बदला लेने के खुले, उचित, ईमानदारीपूर्ण और बिना धोखेबाज़ी के सब मार्ग रोक दिए हों? किसी भी बड़े से बड़े देश की, भारत तक की ख़्याति दुर्बलपने से, अन्याय एवम् ज़ुल्म और पाशविक अत्याचार सह लेने में नहीं है। 'प्रेम और युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं है' यह एक आम कहावत है, और दो असमान दलों में यह कमज़ोर के लिए अधिक उपयुक्त है।

"अब यजमान और मेहमान की फ़िलॉसफ़ी को लीजिए। श्री० हॉटसन किसके मेहमान थे? क्या फ़र्ग्यूसन कॉलेज के? अवश्य ही वे प्रिन्सिपल के और प्रोफ़ेसरों के भी मेहमान थे; किन्तु अनिच्छुक विद्यार्थियों के किसी भी हालत में नहीं। क्या ऐसे माननीय मित्र को निमन्त्रित करने से पहिले विद्यार्थियों की राय ली गई थी? क्या प्रिन्स ऑफ़ वेल्स—युवराज—भारत-सरकार के और उसी दलील से भारत के मेहमान न थे? लेकिन उनका स्वागत किस तरह किया गया? इसीलिए इस मामले में असाधारण संयम न रख सकने के लिए श्री० गोगटे पर तो अन्तिम दोषारोप होना चाहिए; असली ज़िम्मेवारी या ग़ैर-ज़िम्मेवारी तो प्रिन्सिपल श्री० महाजनी की है और असली अपराधी या असली अर्थ में अपराध के लिए उकसाने वाला तो बम्बई का स्थायी गवर्नर है; जिसे अच्छे बर्ताव से पेश आने की सलाह दी जानी चाहिए।

"मैं अस्थायी गवर्नर की उस स्थिरचित्तता और साथ ही असाधारण सर्द-मिज़ाजी की सराहना करता हूँ, जिससे उन्होंने हत्या के असफल प्रयत्न के तुरन्त बाद श्री० गोगटे से कहा—'मेरे बच्चे, ऐसा करना बेवक़ूफ़ी है,' और पूछा—'तुम ऐसा किस कारण से कर रहे हो?' किन्तु अस्थायी गवर्नर का यह उदार और प्रेमपूर्ण भाव सर्वथा क्षणिक था। यदि उन्होंने इस तरह मानो कोई असाधारण बात हुई ही नहीं, श्री० गोगटे को उसी पर छोड़ कर उस भाव को साहस-पूर्वक ज़रा अधिक समय तक रक्षित रक्खा होता, तो देश के क्रान्तिकारी समुदाय की मनोवृत्ति पर इसका कैसा अद्भुत प्रभाव हुआ होता? सदैव अपने ए० डी० सी० (शरीर-रक्षकों) और सेना की संरक्षता में रहने वाले अस्थायी गवर्नर को इक्के-दुक्के गोगटे के ऐसे बेवक़ूफ़ी के कामों से डरने की ज़रूरत नहीं। अब भी समय निकल नहीं गया है। विश्वास से विश्वास पैदा होता है। क्षमा भयङ्कर से भयङ्कर शत्रु को पिघला देती है। किन्तु क्षमा सबल की ओर से होनी चाहिए, निर्बल की हर्गिज़ नहीं। इस ओर श्रीगणेश करने के लिए अस्थायी गवर्नर उपयुक्त व्यक्ति हैं। किन्तु समय-चिह्न साफ़ तौर पर बताते हैं कि ऐसी सद्बुद्धि के उदय होने की बहुत कम सम्भावना है।"

क्योंकि यह लेख राजपूताना जहाज़ पर से लिखा जा रहा है, इसलिए यह लिखे जाने के तीन सप्ताह बाद प्रकाशित होगा। किन्तु दुर्भाग्य से विषय के सदा ताज़ा होने के कारण, लेख को बासी समझने की ज़रूरत नहीं। इस बात की बड़ी आशङ्का है कि सम्वाददाता की मनोवृत्ति उसी मनोवृत्ति की परिचायक है, जो बहुत से विद्यार्थियों में फैली हुई है। लेकिन तरीक़ा और भी अधिक ज़हरीला और हानिप्रद है, क्योंकि वह ईमानदारी से अख़्तियार किया गया है। जैसा कि सम्वाददाता का कथन है, यह कहना अनुभव के विरुद्ध है कि भावुक नवयुवक आस-पास के वातावरण का कुछ भी ख़्याल न कर, क्षणिक उत्तेजना के अनुसार काम कर डालेंगे। उनकी साहसिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ सन्देह नहीं हो सकता; लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वे इतने अभि-मानशून्य हैं कि अपनी प्रशंसा अथवा निन्दा की ओर सर्वथा उदासीन हों। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि उन्हें यह मालूम हो जाय कि उनके कार्य की सर्वत्र एक स्वर से निन्दा होगी, तो वे अपनी क़ीमती ज़िन्दगी को योंही हर्गिज़ न गँवावेंगे। इसलिए मुझे इस बात में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि जो लोग अनुभव करते हैं कि ऐसे कार्यों से उद्देश्य को भयङ्कर हानि पहुँचती है, उनका यह कर्तव्य है कि वे ऐसे कृत्यों की एक स्वर से निन्दा करें। शोलापुर के मार्शल-लॉ या उसके अन्तर्गत होने वाले कार्यों के लिए अस्थायी गवर्नर को ज़िम्मेदार ठहराना सर्वथा भ्रमात्मक है। यह तो प्रणाली का दोष है। इस-लिए कॉङ्ग्रेस इस मुख्य बात को अनुभव करके इस प्रणाली का नाश करने का प्रयत्न कर रही है, शासकों का नहीं। भारत जैसे विशाल देश को एक शक्तिशाली संस्था द्वारा लूटने के आधार पर स्थित प्रणाली को कार्य में परिणत करने का काम यदि किसी देवदूत या फ़रि-श्ते के सुपुर्द किया जाय तो वह देवदूत भी अपने को असहाय अनुभव करेगा, और अवसर आने पर ठीक वही करेगा, जो अस्थायी गवर्नर ने किया। दश शीशधारी रावण कोई मानवी राक्षस नहीं था; वरन् रावण के रूप में एक प्रथा थी, जिसके पुराने सिर काटते ही नए उग आते थे। और राम के लिए उक्त रावण का मार सकना तभी सम्भव हुआ, जब उनका ध्यान उस मूल स्थान की ओर दिलाया गया, जहाँ से सिर पैदा हो जाते थे।

हमारे सामने अनेक हत्याएँ हुई हैं और मारे गए प्रत्येक अफ़सर की जगह नए की नियुक्ति हो गई, और शासन-तन्त्र वैसा ही मज़े में चलता रहा, जैसा हमेशा चलता था। लेकिन यदि हम एक बार बुराई की जड़ को ही उखाड़ने में सफल हो सकें, तो न तो शोलापुर ही दुहराया जायगा, न अप्रिय फाँसियों की ही पुनरा-वृत्ति होगी। इसलिए जहाँ तक ऐसी बुराइयों की निन्दा का सम्बन्ध है, जोकि नवयुवकों के हृदय में चुभती रहती हैं, मैं उनकी उतनी ही सख़्ती से निन्दा करूँगा, जितनी कि वे करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे लम्बी-चौड़ी दलीलें छोड़ दें और इस प्रणाली का नाश करने में कॉङ्ग्रेस को सहयोग दें। व्यक्तियों की हत्या

का मार्ग इस प्रणाली को जीवित रहने का और नया पट्टा दे देता है। अहिंसात्मक युद्ध उसके जीवन को घटाता है, और यदि उसे पूर्ण रूप से अङ्गीकृत कर लिया जाय, तो इस प्रणाली के पूर्ण रूप से मूलविच्छेद का निश्चय कराता है। जो लोग सम्वाददाता की तरह दलीलें देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि हत्या की नीति की प्रगति की रोक न की गई, तो वह उल्टी हमारे अपने सिर पर पड़ेगी और इसलिए हमारी वह स्थिति पूर्व स्थिति से भी बदतर होगी। हमें उक्त प्रणाली को नए पोशाक में पुनरुज्जीवित करने का अत्यन्त भयङ्कर ख़तरा मोल न लेना चाहिए। सफ़ेद आदमियों के बजाय भूरे आदमियों द्वारा उसी प्रणाली के अनुसार शासन-कार्य होने के परिणाम में यदि अमर्याद अनर्थ नहीं तो वैसा ही अनर्थ अवश्य होगा, जैसा कि आज हो रहा है।

* * *

अदन

[अदन के सम्बन्ध में देसाई महोदय ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख सहयोगी 'यङ्ग इण्डिया' में लिखा है, जिसका हिन्दी रूपान्तर हम सहयोगी 'नवजीवन' से यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। साधारण जानकारी के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी यह लेख एक विशेष स्थान रखता है। हमें आशा है, पाठकगण इसे ध्यानपूर्वक मनन करेंगे। इजिप्ट के दो तारों का हिन्दी-अनुवाद हम सहयोगी 'यङ्ग इण्डिया' से दे रहे हैं। इन तारों तथा बधाइयों से पाठकगण समझ सकेंगे कि भारत के स्वतन्त्रता-प्राप्ति के इस आन्दोलन से अन्य देशवासियों को किस हद तक सहानुभूति है।

—स० 'भविष्य']

बम्बई से ठीक पश्चिम की तरफ़ के १,६६० मील के थका देने वाले समुद्री-सफ़र के बाद पहिला विश्राम का बन्दरगाह अदन है। नगर ज्वालामुखी चट्टानों का समूह है—नगर का केन्द्र भाग अभी तक 'क्रेटर' (ज्वालामुखी का मुख) कहलाता है और यात्री को जहाज़ पर से ही मछलियों के बड़े-बड़े ढेर और शहर के चारों ओर की वृक्षहीन, कोयले सी काली चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। कहा जाता है कि सदियों से इस पर अनेक शासकों ने शासन किया, और अब भी बयान किया जाता है कि जिस समय सन् १८३६ में इस पर अधिकार किया गया था, यह मछली के शिकार का एक छोटा सा गाँव था, जिसमें मुश्किल से ६०० प्राणी रहते थे। यदि विश्वस्त विवरण मालूम हो सके तो इसके अधिकृत किए जाने की कथा भी बड़ी मनोरञ्जक होगी और कदाचित साम्राज्यवादी लुटेरों की उन्नीसवीं सदी की लूट में एक और वृद्धि करेगी। अवश्य ही अङ्गरेज़ी स्कूल के विद्यार्थी को तो यह पढ़ाया जाता है कि लाहेज का सुल्तान, जो कि सालाना ख़िराज के तौर पर अदन छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, अपने वादे से फिर गया और एक अङ्गरेज़ी जहाज़ पर हमला करके उसे लूट लिया। नतीजा यह हुआ कि क़िलों पर धावा करना ज़रूरी हो गया और तदनुसार सन् १८३६ में उन पर आक्रमण करके उन्हें अधिकृत कर लिया गया। लेकिन सच बात तो यह है कि लाल-महासागर—संसार के सबसे बड़े जल-मार्ग—पर अपना निश्चित अधिकार बनाए रखना ज़रूरी था, और यह तब तक सम्भव न था, जब तक अदन और पेरिम में एक ज़बर्दस्त फ़ौज न रक्खी जाती। पेरिम अदन से सुदूर पश्चिम की ओर १०० मील के फ़ासले पर एक द्वीप है और उस पर इतनी सख़्ती से निगरानी रक्खी जाती है, कि अदन के रेज़ीडेण्ट की स्वीकृति बिना वहाँ कोई भी नहीं ठहर सकता।

शहर की आबादी ४३,००० है, जिसमें ३१,००० अरब, ६,५०० सोमाली और ५,५०० हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें अधिकांश बम्बई के गुजराती और कच्छी हैं। इन कुल ६२ वर्षों से वह अभी तक बम्बई-सरकार के अधीन था, लेकिन अब एक प्रस्ताव इसे भारत-सरकार के अधीन कर देने का चल रहा है। अनेक स्पष्ट कारणों से अदन के भारतीय इस परिवर्त्तन का विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक सर्वथा स्वाभाविक कारण यह है कि वहाँ के अधिकांश निवासी बम्बई के हैं और उनका व्यापार-सम्बन्ध भी बम्बई से ही है, इसलिए उनके लिए सबसे अधिक सुविधा बम्बई के अन्तर्गत रहने में ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि बम्बई को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के अधिकार मिलें, जो कि अब अवश्य ही मिलेंगे, तो अदन उसके लाभ से वञ्चित न किया जाना चाहिए। एक और भी कारण है और वह यह कि यदि अदन केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर दिया गया तो यह बहुत सम्भव है कि वह एक बन्दोबस्ती ज़िला या अर्द्ध-फ़ौजी क्षेत्र बना दिया जायगा और इस प्रकार वहाँ का सारा सार्वजनिक जीवन नष्ट हो जायगा।

कॉङ्ग्रेस का सन्देश

किन्तु यदि कोई एक-दो बातों से निर्णय करना चाहे, तो मालूम होगा कि सार्वजनिक जीवन का वहाँ प्रायः अब भी अभाव है। वहाँ के हिन्दुस्तानी गाँधी जी तथा गोलमेज़ परिषद के दूसरे प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहते थे, और इसके लिए राष्ट्रीय झण्डा साथ रखना चाहते थे। किन्तु रेज़ीडेण्ट ने राष्ट्रीय झण्डा साथ रखने की इजाज़त न दी और जब तक स्वयं गाँधी जी ने इस स्वेच्छाचारी बन्धन को दूर करने के लिए स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री० फ़ामरोज़ कावसजी को यह न सुझाया कि रेज़ीडेण्ट से टेलीफ़ोन द्वारा कहा जाय कि वे (गाँधी जी) इन शर्तों के रहते अभिनन्दन-पत्र के स्वीकार करने की कल्पना तक नहीं कर सकते, और जब कि सरकार और कॉङ्ग्रेस में सन्धि है, तब कम से कम सन्धि के अनुसार सरकार को राष्ट्रीय झण्डे का विरोध नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को भी रेज़ीडेण्ट के इस कार्य का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। यह दलील काम कर गई, और गाँधी जी को अभिनन्दन-पत्र दिए जाने की जगह राष्ट्रीय झण्डा फहराने की स्वीकृति देकर रेज़ीडेण्ट ने इस अप्रिय स्थिति को बचा लिया।

दूसरी बात जो मैंने देखी वह यह थी कि यद्यपि अदन के भारत-सरकार के अधीन किए जाने का प्रश्न कई दिनों से सामने था, फिर भी गाँधी जी को दिए गए अभिनन्दन-पत्र में उस सम्बन्ध में एक शब्द तक न था। मैं इसका कारण अधिकारियों के भय के सिवा और कुछ नहीं समझता। किन्तु कुछ नवयुवक ऐसे हैं जो बम्बई के कॉङ्ग्रेस के उत्साहप्रद वातावरण की कुछ चिनगारियाँ वहाँ ले गए हैं, और गुजरातियों के कारण, जो कि प्रत्यक्षतः आन्दोलन से परिचित रहे हैं, वहाँ काफ़ी खादी दिखाई दी, मैं नहीं कह सकता कि वह सब शुद्ध खादी थी या नहीं।

इस स्थिति से गाँधी जी को कॉङ्ग्रेस का सन्देश सुनाने का मौक़ा मिल गया, और क्योंकि स्वागत की तैयारी में अरबों ने भी योग दिया था—स्वागत का अभिनन्दन-पत्र गुजराती और अरबी दोनों भाषाओं में पढ़ा गया था—इसलिए अरबों को भी वे अपना सन्देश सुना सके।

अभिनन्दन-पत्र का उत्तर और ३२८ गिन्नियों की थैली के लिए धन्यवाद देते हुए गाँधी जी ने कहा—

"आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन् गोलमेज़ परिषद में जिस कॉङ्ग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं जा रहा हूँ, उसका है। मुझे मालूम हुआ है कि अभिनन्दन के इस कार्यक्रम में आपके सामने राष्ट्रीय झण्डे के कारण कुछ रुकावट थी। अब मेरे लिए तो हिन्दुस्तानियों की ऐसी सभा की, ख़ास कर जब कि राष्ट्रीय नेता निमन्त्रित किए गए हों, कल्पना करना ही असम्भव है, जहाँ पर राष्ट्रीय झण्डा न फहराता हो। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय झण्डे के सम्मान की रक्षा में बहुतों ने लाठियों के प्रहार सहे हैं और कईयों ने अपने प्राण तक दे दिए हैं, और इसलिए आप राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान किए बिना किसी हिन्दुस्तानी नेता का सम्मान नहीं कर सकते। फिर सरकार और कॉङ्ग्रेस के बीच समझौता हो चुका है, और कॉङ्ग्रेस इस समय उसकी विरोधी पार्टी नहीं, वरन् मित्रवत् है। इसलिए सिर्फ़ राष्ट्रीय झण्डे का केवल फहराना सहन कर लेना या उसकी इजाज़त दे देना ही काफ़ी नहीं है; वरन् जहाँ कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि निमन्त्रित किए जायँ, वहाँ उसे सम्मान का स्थान देना चाहिए।

"कॉङ्ग्रेस की ओर से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि कॉङ्ग्रेस का उद्देश्य केवल सूखी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना नहीं है, जो कि आसानी से संसार के लिए ख़तरा बन सकती है। वरन् सत्य और अहिंसा के अपने ध्येय के कारण कॉङ्ग्रेस संसार के लिए ख़तरा नहीं हो सकती। मेरा यह विश्वास है कि मानव-जाति का पञ्चम भाग, भारत, सत्य और अहिंसा द्वारा स्वतन्त्र होने पर समस्त मनुष्य जाति की सेवा की एक ज़बर्दस्त शक्ति हो सकता है। इसके विरुद्ध आज का पराधीन भारत संसार के लिए एक ख़तरा है। वर्तमान भारत असहाय है और इसे सदैव लूटते रहने वाले दूसरे देशों की ईर्षा और लालच को इससे उत्तेजना मिलती रहती है। लेकिन जब भारत इस तरह लुटने से इन्कार कर, अपना काम स्वयं अपने हाथ में लेने में काफ़ी समर्थ होगा, और अहिंसा और सत्य के द्वारा अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा, तब वह शान्ति की एक शक्ति होगा और अपने इस पीड़ित भूमण्डल पर शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करने में समर्थ होगा।

"इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इस समारोह के सङ्गठन में अरब और अन्य लोगों ने हिन्दुस्तानियों का साथ दिया। शान्ति के सब उपासकों को शान्ति को चिरस्थायी बनाने के काम में सहयोग देना ही चाहिए। मुहम्मद और इस्लाम की जन्म-भूमि, यह महाद्वीप, हिन्दू-मुस्लिम समस्या के हल करने में मदद कर सकती है। मेरे लिए यह स्वीकार करना लज्जा की बात है कि अपने घर में हम एक दूसरे से अलग हैं। कायरता और भय से हम एक दूसरे का गला काटने को दौड़ते हैं। हिन्दू कायरता और भय के कारण मुसलमानों का अविश्वास करते हैं और मुसलमान भी वैसी ही कायरता और कल्पित भय से हिन्दुओं का अविश्वास करते हैं। इतिहास में शुरू से अख़ीर तक इस्लाम अपूर्व बहादुरी और शान्ति के लिए खड़ा है। इसलिए मुसलमानों के लिए यह गौरव की बात नहीं है कि वे हिन्दुओं से भयभीत हों। इसी तरह हिन्दुओं के लिए भी यह बात गौरवपूर्ण नहीं है कि वे मुसलमानों से, चाहे उन्हें संसार भर के मुसलमानों की सहायता क्यों न मिली हो, भयभीत हों। क्या हम इतने पतित

विशेषांकों की धूम !! [बिना मूल्य भेंट]

साहित्य-अङ्क मूल्य १)

कला-अङ्क मूल्य २)

प्रवासी-अङ्क मूल्य १)

३० अक्टूबर तक नए ग्राहक बनने वालों को उक्त तीनों विशेषाङ्क बिना मूल्य भेंट !

"मासिक पत्रों में 'विशाल-भारत' ही एक ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी सामग्री सङ्कलित करने की परिपाटी बहुत ही उत्तम है।.........हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 'विशाल-भारत' अपना सानी नहीं रखता—यह सर्वोत्कृष्ट पत्र है।"

—'प्रताप'

विशेषाङ्कों का पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य ६।=) मनीऑर्डर से भेजिए, या वी०पी० से मँगाइए।

'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया

१ 'कुमुदिनी' (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २॥=)
२ 'गल्पगुच्छ' कहानियाँ— " " मू० १॥) " १।-)
३ 'षोड़शी' (कहानियाँ)— " " मू० १॥) (छप रही है)
४ 'रूस की चिट्ठी' (भ्रमण-कहानी) " " मू० १॥।) ग्राहकों को १॥-)
५ 'भेड़ियाधसान' (हास्यरस)—ले०, "परशुराम" " मू० १॥) " १।-)
६ 'लम्बकर्ण' (सचित्र हास्य)— " " मू० १।) " १=)
७ 'प्रेम-प्रपञ्च' (उपन्यास)—ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १।) " १=)
८ 'मुसोलिना और नवीन इटली'—ले० पी०एन० राय; अनुवादक ब्रजमोहन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है)

पता—'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता

जक्सन लीवर रिस्टवाच २॥।) में

यह हाथ-घड़ी अभी विलायत से बन कर आई है। देखने में अति सुन्दर और चलने में मज़बूत, क़ीमत में कम, दूसरी घड़ी आपको न मिलेगी, मौक़ा न चूकें, वरना पछताना पड़ेगा। क़ीमत २॥।); एक साथ तीन मँगाने से पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुल टाइमपीस और १२ लेने से एक यही रिस्टवाच इनाम मिलेगी। हर घड़ी की गारण्टी १० साल और रेशमी बैन्ड मुफ़्त दिया जायगा।

पता—

भारत यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी

पो० बक्स २३९४ से ७ कलकत्ता

पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल जायेगा मुफ़्त मंगवाओ पता साफ़ लिखो।

गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर

डॉक्टर बनिए

घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज की नियमावली मुफ़्त मँगाइए! पता—
इण्टर नेशनल कॉलेज (गवर्नमेण्ट रजिस्टर्ड)
३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता

असल रुद्राक्ष माला

-) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष-माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता

यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं

हैं तो आज ही हमारे कारख़ाने का अङ्गरेज़ी सूचीपत्र मँगाइए। इस कारख़ाने में हर तरह की, हर साइज़ की और हर दाम की लोहिया तिजोरी, अलमारी, टैंक्स् (ऑइल इञ्जिन) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़बूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरी ऐसी है कि चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में जल सकती है।

जी० घोष एण्ड को, ६४ हरीसन रोड, कलकत्ता

२०वीं सदी का आश्चर्य

यह एक लीवर जेबी घड़ी है और उसके साथ इक्स्ट्रा "जार प्रूफ़ मूवमेण्ट" और कभी न टूटने वाला शीशा भी है।

५ साल की गारण्टी

घड़ी कैसी है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए इसको कहीं मज़बूत ज़मीन पर पटक दीजिए। अगर इसकी कोई मशीन या शीशा टूट जाय तो उसको वापस कर दीजिए।

पसन्द न होने पर दाम वापस

क़ीमत सिर्फ़ २।-); डाक-महसूल ६ आने अलग; तीन घड़ी एक साथ लेने से डाक-महसूल माफ़ और ६ घड़ी एक साथ लेने से एक घड़ी मुफ़्त में मिलेगी। इस पते से पत्र-व्यवहार कीजिए :—

दि यङ्ग इण्डिया वाच कम्पनी,
१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता

मुश्क की

अत्यन्त आश्चर्यजनक ख़ुशबू

इस "मुश्क-सोप" का रङ्ग, उसकी सुगन्धि, पवित्रता और स्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक है।

नेशनल सोप एण्ड केमिकल वर्क्स लिमिटेड

फ़ैक्टरी :— १०८ ए०, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट

ऑफ़िस :— ७, स्वैलो लेन, कलकत्ता

कि हम अपनी ही परछाईं से डरें? आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि पठान लोग हमारे साथ शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। पिछले आन्दोलन में वे हमारे साथ कन्धे से कन्धा भिड़ा कर खड़े रहे और स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने नौजवानों का उन्होंने ख़ुशी-ख़ुशी बलिदान किया। मैं आप से, जो कि पैग़म्बर की जन्म-भूमि के निवासी हैं, चाहता हूँ कि भारत के हिन्दू-मुसलमानों में शान्ति क़ायम रखने में आप अपने हिस्से का सहयोग दें। मैं यह नहीं बता सकता कि आप यह किस तरह करें, लेकिन जहाँ इच्छा होती है, वहाँ कुछ रास्ता निकल ही आता है। मैं अरब के अरबों से चाहता हूँ कि वे हमारी मदद के लिए आगे बढ़ें और ऐसी स्थिति पैदा करने में हमारी सहायता करें, जिसमें कि मुसलमान हिन्दुओं की और हिन्दू मुसलमानों की सहायता करना अपने लिए इज़्ज़त और सम्मान की बात समझें।

"बाक़ी के लिए मैं आपको अपने घरों में चर्ख़ा और कर्घा चलाने का सन्देश भी देना चाहता हूँ। कई ख़लीफ़ाओं ने अपना जीवन अनुकरणीय सादगी से बिताया है, और इसलिए यदि आप भी अपना कपड़ा स्वयं बना सकें, तो इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई बात न होगी। इसके अलावा शराबख़ोरी का भी सवाल है, जो कि आपके लिए दुहेरा पाप होना चाहिए। यहाँ पर शराब की एक भी बूँद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी हैं, मैं समझता हूँ अरब लोग उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि अदन में शराब की सर्वथा बन्दी हो जाय।"

लाल-सागर से पोर्ट सईद को

इस समय हम लोग लाल-सागर के क़रीब १२०० मील समाप्त कर, स्वेज़ नहर के निकट पहुँच रहे हैं। नहर में प्रवेश करने के कुछ घण्टों बाद जहाज़ अनेक प्रकाश-स्तम्भों के पास से गुज़रता है, जिनसे मालूम होता है कि पुराने ज़माने में इस रास्ते से जहाज़रानी कितनी कठिन रही होगी; क्योंकि नहर का दक्षिणी हिस्सा चट्टानों और टीलों से भरा पड़ा है। आगे बढ़ने पर आपको सिनाई की पर्वत-श्रेणी दिखाई देगी। कुछ मील दूरी से रेगिस्तानी ज़रख़ेज़ सोतों के खजूर के वृक्ष दिखाई देंगे। ये सोते मूसा के कुएँ कहलाते है जहाँ कि मूसा और इसराइल के अनुयाइयों ने लाल-समुद्र पार कर, फेराओं की सेना से उनके छुटकारे का उत्सव मनाया था। स्वेज़ नहर के पूर्वीय किनारे का प्रत्येक खण्ड और पहाड़ी में हमारे देश के पवित्र पर्वतों और पहाड़ियों की तरह भूतकालीन कथाओं का ख़ज़ाना छिपा हुआ है। इसके विपरीत लाल-सागर के पूर्वीय किनारे की पहाड़ियाँ सर्द और बेडौल हैं और किसी तरह सुविधाजनक नहीं हैं और इसलिए आश्चर्य होता है कि किस प्रकार इन प्रदेशों से संसार के तीन सुप्रसिद्ध—जुडाइज़्म, क्रिश्चियानिटी और इस्लाम धर्म पैदा हुए।

जब हम इन तीनों धर्मों के एक ही उद्गम-स्थान का ख़याल करते हैं और एक क़दम आगे बढ़ कर यह सोचते हैं कि संसार के सब बड़े धर्म एशिया की पवित्र भूमि से पैदा हुए हैं, तब यह देख कर हम अपने को लज्जित और अपमानित अनुभव किए गए बिना नहीं रह सकते कि किस प्रकार इन धर्मों के क्षुद्र अनुयायी, इन धर्मों के महान् उत्पादकों और उन्हें प्रकाश देने वाले ईश्वर को यहाँ तक भुला सकते हैं कि उन्हें इनमें सब को आपस में एक सूत्र में बाँधने की कोई बात दिखाई नहीं देती, हरेक बात में उन्हें एक दूसरे से और इस तरह अवश्य ही ईश्वर से भी, अलग रहने की सूझती है।

जब तक वास्को डी गामा ने केप ऑफ़ गुडहोप का पता लगा कर अधिक सुरक्षित और सस्ता राजमार्ग नहीं खोला, तब तक सारे मध्ययुग में लाल-सागर ही बड़ा व्यापारिक मार्ग था। किन्तु स्वेज़ नहर के जारी होने से लाल-सागर का, संसार के एक सबसे बड़े राजमार्ग होने का पद क़ायम रह गया है। स्वेज़ नहर फ़्रान्स के एक महान् इञ्जिनियर फ़र्डिनेण्ड डि लेसेप्स की कृति है, मेडीटरेनियन समुद्र के प्रवेश-मार्ग के जल-बाँध पर खड़ी हुई समुद्री हरे रङ्ग की भव्य प्रस्तर-मूर्ति प्रत्येक यात्री की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। स्वेज़ नहर के बनने में दस वर्ष से अधिक समय लगे और स्वेज़ नहर कम्पनी को इसके लिए २,९७,२५,००० पौण्ड से अधिक ख़र्च पड़ा, जिसका आधा फ़्रान्स ने दिया और आधा मिश्र के ख़दीव ने। किन्तु नहर के जारी होते ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की महत्वाकांक्षा की जीभ लपलपाने लगी। भारत के साथ समुद्री सम्बन्ध रखने के लिए इसकी महती आवश्यकता अनुभव हुई। निश्चय ही भारत पर अधिकार जमाए रखने के लिए स्वेज़ पर अङ्गरेज़ी क़ब्ज़ा रहना लाज़मी था; और इसलिए उसे दूसरों के हाथ में रहने देकर ख़तरे के लिए कभी ख़ाली छोड़ा नहीं जा सकता था। तब यह सोचा जाने लगा कि यह क़ब्ज़ा किस तरह प्राप्त किया जाय—फ़्रान्सीसी इञ्जिनियर के परिश्रम के फल का ब्रिटेन किस तरह उपयोग करे? यह तरकीब सूझी कि किसी तरह ख़दीव का हिस्सा हथियाया जाय। उन दिनों प्रतिद्वन्दी साम्राज्यवादियों ने उत्तरी अफ़्रीका में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, सफलतापूर्वक यह युक्ति चला रक्खी थी कि वहाँ के देशी राजाओं को विदेशियों से खुल कर क़र्ज़ लेने और इस प्रकार अपने आपको भारी क़र्ज़दार बना लेने के लिए वे फुसलाते रहें। फ़्रान्स ने टेनिस पर इसी तरह क़ब्ज़ा किया। मिश्र के ख़दीव को भी इसी तरह लगभग १० करोड़ पौण्ड मुख्यतः इङ्गलैण्ड और फ़्रान्स से क़र्ज़ लेने के लिए फुसलाया गया, और इसीलिए उसकी साख इतनी गिर गई कि स्वेज़ नहर कम्पनी के अपने सब शेयर्स बेचने के सिवा उसके पास कोई चारा न रहा। सन् १८७४ में इङ्गलैण्ड में साम्राज्य-विरोधी नीति का अन्त हुआ और देसराइली ने ख़दीव के सब (१,७६,६०२) शेयर्स ३६,८०,००० पौण्ड में ग्रेटब्रिटेन के लिए ख़रीद लिए। इस परिवर्तन के सम्बन्ध में इतना ही लिखना काफ़ी है। इस्माइल पाशा पर इस प्रकार ज़बर्दस्ती लादे गए दिवालेपन का कारण क्या था, यह बताने के लिए हमें मिश्र पर क़ब्ज़ा करने के गुप्त इतिहास में जाना पड़ेगा, जिसकी इस समय ज़रूरत नहीं है। यह कहना काफ़ी होगा कि सन् १९२७ में इन शेयर्स की क़ीमत उनकी असली क़ीमत से नौगुनी थी और इस नहर के रास्ते होने वाली जहाज़रानी में लगभग ६० प्रतिशत जहाज़ अङ्गरेज़ों के चलते हैं।

मित्र के रूप में मिश्र

पिछले पत्र में मैं श्रीमती ज़गलुल पाशा और वफ़्द के अध्यक्ष श्री० मुस्तफ़ा नहास पाशा के हार्दिक बधाई के सन्देशों का उल्लेख कर चुका हूँ। जहाज़ पर कई मिश्री अख़बारों के प्रतिनिधि गाँधी जी से मिले और स्वेज़ तथा पोर्ट सईद दोनों जगह नहास पाशा के प्रतिनिधि ने उनसे भेंट की। केरो के भारतीय प्रतिनिधियों का, जिनमें अधिकांश सिन्धी थे, एक डेपुटेशन स्वेज़ और पोर्ट सईद दोनों जगह गाँधी जी से मिला, उन्हें एक अभिनन्दन-पत्र दिया और वापसी पर केरो ठहरने के लिए आग्रह किया। पोर्ट सईद पर मुझे यह बात निश्चित रूप से मालूम हुई कि यद्यपि इस भारतीय डेपुटेशन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया; किन्तु अधिकारी मिश्रवासियों के डेपुटेशन को इजाज़त देने के ख़िलाफ़ थे, और यह बड़ी मुश्किल से सम्भव हुआ कि नहास पाशा के मात्र एक प्रतिनिधि को गाँधी जी से मिलने की आज्ञा मिल सकी।

इस सम्बन्ध में यहाँ मिश्र की वर्तमान स्थिति पर संक्षेप में कुछ कहना असङ्गत न होगा। मैं उनकी स्थिति के अध्ययन का दावा नहीं करता; किन्तु अब तक अनेक मिश्रवासियों से बातचीत का मुझे लाभ मिल चुका है, और इससे वे जिस स्थिति में गुज़र रहे हैं उसका काफ़ी अन्दाज़ लग गया है। निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों के तरीक़े सब जगह एक से ही होते हैं, यहाँ तक कि यदि आपको कुछ ऊपरी बातें बताई जायँ, तो असली हालत का आप आसानी से अन्दाज़ लगा सकते हैं। मेरा ख़याल है, कोई भी इस भ्रम में नहीं है कि मिश्र स्वतन्त्रता का आभास मात्र उपभोग कर रहा है। किन्तु मैं यह सुनने को तैयार न था कि वह क़रीब-क़रीब वैसी ही यातनाओं में से गुज़र रहा है जैसा कि विदेशी शासकों के पैरों तले कुचला जाने वाला कोई भी देश गुज़रता हो।

मिश्र की दिक़्क़त यह है कि वहाँ मिश्री राजा और मिश्री प्रधान मन्त्री होने पर भी मिश्र भारत से अधिक स्वतन्त्र नहीं है। ज़गलुल पाशा ने 'वफ़्द मिश्री'—मिश्र के प्रतिनिधियों की संस्था—नामक संस्था स्थापित की थी, जिसके अध्यक्ष इस समय नहास पाशा हैं, जो ज़गलुल पाशा के प्राइवेट सेक्रेटरी और कुछ समय के लिए प्रधान मन्त्री थे। किन्तु ब्रिटिश सरकार वफ़्द की महत्वाकांक्षाओं को सहन न कर सकी और उसने शाह फ़ॉड और सिदक़ी पाशा को तुरन्त अपना हथियार बना लिया। ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के साथ बातचीत में नहास पाशा असफल हो गए और शाह फ़ॉड ने पार्लामेण्ट को स्थगित कर दिया और सिदक़ी पाशा को वास्तविक डिक्टेटर बना दिया। नतीजा यह हुआ कि गत वर्ष के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार हुआ और सर्वत्र आम हड़ताल हो गई, जिसे दबाने के लिए ऐसा भयङ्कर दमन हुआ कि मिश्र वाले उसे तीन 'क़त्ले-आम' के नाम से पुकारते हैं। मैं तत्सम्बन्धी विवरण के सत्यासत्य की जाँच न कर सका; लेकिन मुझे बताया गया कि जब रेलवे कारख़ाने के मज़दूरों ने हड़ताल कर, वफ़्द का जयघोष किया तो फ़ौज़ ने उन पर गोलियाँ चलाईं। मैंने पूछा—'क्या मज़दूर सर्वथा अहिंसक थे?' उत्तर मिला—'उनके पास हथियार न थे, किन्तु उन्होंने फ़ौज वालों की तरफ़ लोहे के टुकड़े फेंके थे। फ़ौज वालों ने ७० मज़दूरों को जान से मार डाला और क़रीब एक हज़ार को घायल कर दिया था। ये घायल जब तक अस्पताल में रहे, इन पर फ़ौज का सख़्त पहरा रहा, और वहाँ से छुट्टी मिलते ही इन पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के अपराध में मुक़द्दमा चलाया गया! मौजूदा कौन्सिल में सर्वथा सरकारी पिट्ठू भरे हुए हैं और शासन सिदक़ी पाशा के आदमियों के हाथ में है।' मैंने पूछा, 'प्रेस—अख़बारों, की क्या हालत है?' और उत्तर में वैसी ही हालत मालूम हुई, बल्कि उससे भी अधिक गिरी हुई, जैसी कि हमारे यहाँ भारत में। 'हमारे प्रेसों पर पुलिस तैनात रहती है। पहली प्रूफ़-कॉपी उसे बतानी पड़ती है और यदि वह उसमें कुछ आपत्तिजनक बात समझती है, तो उस अङ्क को रोक देती है।' फिर पूछा—'विद्यार्थियों और साधारण जनता की क्या हालत है?' जवाब मिला—'विद्यार्थी सब हमारे साथ हैं। श्रीमती ज़गलुल पाशा के नेतृत्व में स्त्रियाँ भी सजग हैं और मॉडरेट या लिबरल पार्टी, जो पहिले वफ़्द का विरोध किया करती थी, अब उसका समर्थन कर रही है। उसके प्रेज़ीडेण्ट श्री० मुहम्मद महमूद को एक उपद्रव के समय पीटा गया था, तब से वे वफ़्द के कट्टर समर्थक हो गए हैं।'

अवश्य ही बधाई के तारों में एक तार उक्त श्री० मुहम्मद महमूद और एक स्त्रियों की सआद कमिटी की अध्यक्षा श्री० शेरिफ़ा रियाज़ पाशा का भी था।

मुफ़्त ! मुफ़्त !! मुफ़्त !!!
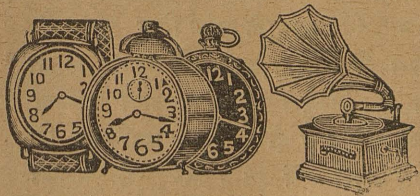
मशहूर दाद की दवा। २४ घण्टे में दाद को आराम करती है ! ६ डब्बी का दाम ।=), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा मँगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, ५ वर्ष। और डेढ़ दर्जन मँगाने से १ किडी ग्रामोफ़ोन इनाम। डाक-व्यय १) पृथक।

पता—बी० बी० भवन,
हाटखोला (कलकत्ता)

रोल्ड गोल्डन रिस्टवाचेज़ के लिए सब से बड़ी रियायत

कोई भी ४॥) में चुन लीजिए

ऊँचे दर्जे की रोल्ड गोल्डन रिस्टवाच, बहुत मज़बूत, ख़ूबसूरत, छोटा साइज़, नया चालान केवल थोड़े समय के लिए दी जाती है। यह ख़ूबसूरत घड़ी सुन्दर रेशमी फ़ीते से युक्त, देखने में १५०) की घड़ी के मानिन्द है, जो केवल ४॥) में दी जाती है। किसी भी घड़ी को चुन लीजिए और आर्डर देते समय पसन्द की हुई घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए। प्रत्येक घड़ी के साथ ५ वर्ष की पूर्ण गारण्टी रहती है। एक साथ ३ घड़ियाँ ख़रीदने वालों को १ बी टाइम-पीस इनाम में दी जायगी, ६ ख़रीदने वालों को १ रेलवे रेगूलेटर पाकेट वाच तथा १ दर्जन ख़रीदने वालों को इनमें से कोई भी एक रोल्ड गोल्डन रिस्टवाच मुफ़्त दी जायगी। पोस्टेज और पैकिङ्ग अतिरिक्त।
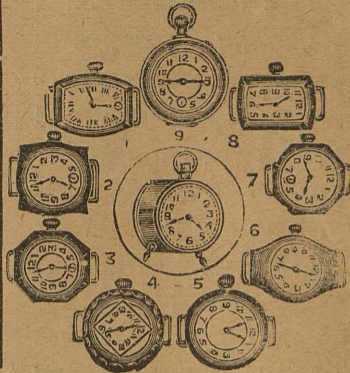
ईस्ट इण्डिया वाच कम्पनी (सेक्सन पी) पो० बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता

१) में ४ घड़ियाँ, दो जूते, सैकड़ों इनाम

आश्चर्य नहीं, बात सच्ची है !

मस्तान सीमसीम—इसकी ख़ुशबू का गुण ख़रीदे वही जाने, १ शीशी का १) तसवीर की सारी चीज़ें दशहरा के उपलक्ष में मुफ़्त भेजी जाती हैं। एक सप्ताह के अन्दर ऑर्डर आने से रिस्ट-वाच, पाकेट-वाच और सच्चा टाइम बताने वाली १ जर्मन बुल सण्ड घड़ी
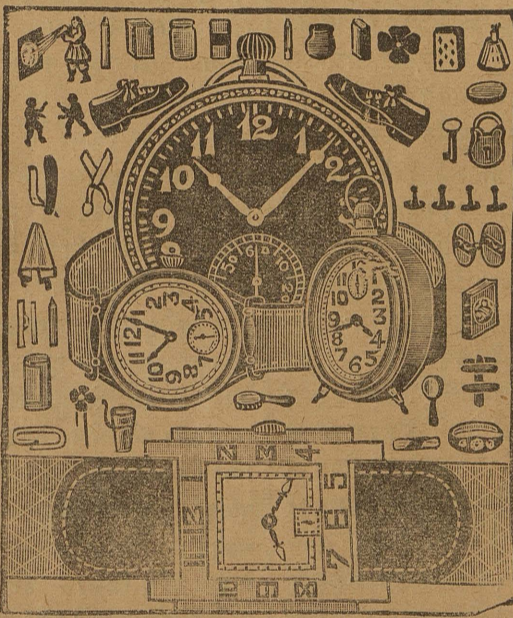
तीन वर्ष की गारण्टी सहित और दो जूता, बायसकोप, कहाँ तक गिनावें, तसवीर में जितनी चीज़ आप देखते हैं, सभी इनाम में भेजी जाएँगी। डाक-व्यय ॥-) प्रति सप्ताह की देरी करने से एक एक घड़ी इनाम कम मिलेगा और ५ सप्ताह के बाद इनाम कुछ नहीं।

पता—एल० एक्स० फ़ोर्ड वाच कं० हाटखोला, कलकत्ता
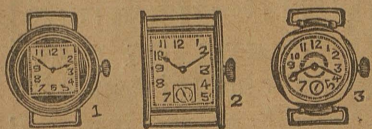
सेल ! सिर्फ़ ५) में सेल !!

गारण्टी ५ साल **लिवर रिस्टवाच** डाक ख़र्च माफ़

तीन रिस्टवाच एक साथ मँगाने से एक जेबी घड़ी मुफ़्त !

पता—आनेस्टी वाच कं० (A) अदेसर चाल, बम्बई नं० ३

मुफ़्त ! मुफ़्त !! मुफ़्त !!!

जो कवच २) में मिलता था, आज वह सिर्फ़ १५ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह कवच संसार भर के जादू, तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष चमत्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में लाभ, मुक़दमे में जीत, सन्तान-लाभ, हर तरह के सङ्कटों से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे बस कर लेना, हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशान्तरों का हाल क्षण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर लेना, स्वप्न-दोष का न होना मरे हुओं से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही फ़तह है। १५ दिन तक फ़्री, बाद १५ दिन के १ कवच का मूल्य २), तीन का ५॥), डाक-महसूल ॥=); ध्यान रहे, मरे हुओं की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो १५) इनाम। सन्तान चाहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही कवच मँगावें।

पता—एस० कुटी, हाटखोला (कलकत्ता)

५) को पुस्तकें १॥) में

१ विश्वव्यापार—सोडावाटर, अर्क़, ख़िज़ाब, इत्र, बालसफ़ा, रबड़ की मुहर, अञ्जन, मञ्जन बना धन कमाओ मू० १) २ नवीन कोकशास्त्र—८४ आसनों के चित्र, स्त्री-पुरुष के सर्व गुप्त भेद, ज्योतिष, सामुद्रिक, शकुन का पूरा वर्णन मू० १) ३ इङ्गलिश टीचर—घर बैठे अङ्गरेज़ी पढ़ना सीख लो मू० १) ४ करामात—मैस्मेरिज़्म, हिप्नोटिज़्म, छाया-पुरुष वर्णन मू० १) सब पुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-व्यय ॥)

पता—बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (E.I.R)

केवल २ सप्ताह तक डाक-ख़र्च ।=) माफ़

चौदह विद्या-चौसठ कला

६८ चित्रों सहित यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कलाओं से युक्त है, यथा [१] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की अचूक दवाएँ [२] कोक-विद्या—स्त्री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों का वर्णन [३] शाकुनिक विद्या—शकुन व पक्षियों की बोली जानना [४] योग-विद्या—मृतात्माओं से वार्तालाप [५] ज्योतिष-विद्या—मनुष्यों के कर्मफल आदि जानना [६] शिल्प-विद्या—हींग, इत्र, साबुन, ख़िजाब, स्याही कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या—राज्य नियम, कोर्ट फीस आदि क़ायदे [८] वास्तु-विद्या—गृह निर्माण रीति [९] सङ्गीत-विद्या—हारमोनियम सीखना [१०] रसायन-विद्या—नक़ली सोना, मोती आदि बनाना [११] कृषि-विद्या—खेती के सम्पूर्ण नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तन्त्र आदि विद्याएँ।, अन्त में नट-विद्या और ६४ कलाओं का सचित्र वर्णन पृष्ठ २२०, मूल्य सजिल्द १) रु० डाक-ख़र्च माफ़

पता—भारत राष्ट्रीय कार्यालय,
अलीगढ़, नं० ६

बेरोज़गारों को शुभ समाचार

भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है, जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा सज्जनों से केवल ५०) रुपया फ़ीस दाख़िला रूप में लेकर दो माह के मामूली समय में ड्राइवरी और फ़िटर का पूरा काम सिखा देता है। यह सरकार से रजिस्ट्री शुदा कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर मुफ़्त मँगा कर देखिए।

नोट—नियमावली के लिए पता पूरा और साफ़-साफ़ लिखें।

पता—मैनेजर, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिङ्ग कॉलेज, नं० १, चाँदनी चौक, नियर इम्पीरियल बैङ्क, देहली

अख़बारों पर कड़ी निगरानी होने पर भी मैं कह सकता हूँ कि कम से कम बारह मिश्री अख़बारों ने, जिनमें तीन का तो दैनिक प्रचार लगभग ४० से ५० हज़ार तक है, गाँधी जी के सम्बन्ध में विशेष लेख लिखे, दो ने विशेषाङ्क निकाले और सबने नहास पाशा, श्रीमती ज़गलुल पाशा तथा मुहम्मद महमूद पाशा आदि के सन्देश छापे।

कोई आश्चर्य नहीं, यदि मिश्र हमारी ही तरह अङ्गरेज़ी जूए से उकता गया है, और नहास पाशा के शब्दों में 'इङ्गलैण्ड की यात्रा का कुछ भी परिणाम निकले' सब लोग चाहते हैं कि गाँधी जी वापसी के समय मिश्र अवश्य आवें। प्रत्येक ने गाँधी जी अथवा भारत से उसकी 'छोटी बहिन मिश्र' के लिए सन्देश माँगा, और गाँधी जी ने अपने प्रत्येक सन्देश में उस महान् देश के लिए सर्वोत्तम शुभ-कामनाएँ प्रकट कीं, जिनकी मुख्य बात यह थी—'यह कितना अच्छा होगा, यदि मिश्र अहिंसा के सन्देश को अपनावे?' स्वेज़ में एक अङ्गरेज़ी पत्रकार के पूछने पर उन्होंने कहा—'मैं पूर्व और पश्चिम के सङ्ग का हृदय से स्वागत करूँगा, बशर्ते कि उसका आधार पाशविक शक्ति पर न हो।'

—महादेव हरीभाई देसाई

* * *

व्यय में कमी करने के लिए

व्यय में कमी करने के नाम पर रेलवे कर्मचारियों पर कौन-कौन से अत्याचार नहीं किए जाते। सर्व-साधारण को यह भली-भाँति मालूम है कि ई० बी० रेलवे में ढाका सेक्शन के तीन सौ कर्मचारियों को अलग करने का निश्चय हुआ था। ई० आई० रेलवे ने उसका अनुकरण किया और देश में बेकारों की संख्या बढ़ा दी। इन कर्मचारियों को बर्ख़ास्त करने की ज़रूरत न पड़ती, अगर रेलवे-विभाग के बड़े-बड़े वेतनों के पाने वाले यूरोपियन कर्मचारियों के वेतनों में बहुत थोड़ी सी कमी कर दी जाती। इन यूरोपियन कर्मचारियों में कुछ तो ऐसे हैं, जो दूसरी जगह से पेन्शन भी पा रहे हैं। परन्तु पानी की अपेक्षा ख़ून अधिक घना होता है। ग़रीब भारतीय व्यय में कमी के नाम पर बलिदान कर दिए गए। ई० आई० रेलवे के ट्रैफ़िक एकाउण्ट्स ऑफ़िस के चालीस और कर्मचारी २४ घण्टे की नोटिस देकर बर्ख़ास्त किए गए हैं। यह कार्य केवल कठोरता और विश्वासघातकतापूर्ण नहीं है, बल्कि रेलवे-बोर्ड के उन अधिकारियों के नाम खुला चैलेञ्ज है, जिन्होंने अभी थोड़े ही दिन हुए, घोषणा निकाली कि जाँच के समय तक और कर्मचारी न बर्ख़ास्त किए जाएँगे। हम इस घोषणा के विरुद्ध की गई अनेक कार्रवाइयों को देखते रहे हैं। उनमें से यह केवल एक है। —एडवान्स

* *

काश्मीर

वह तूफ़ान, जो काश्मीर में बहुत समय से तैयार हो रहा था, अपनी पूर्ण भयानकता के साथ प्रकट हो गया। उस छोटे से राज्य के शासन की परीक्षा ली जा रही है। क्या वह प्रवाह में बह जायगा? अगर ऐसा हुआ तो यह उन लोगों के कार्यों का अत्यन्त बुरा उदाहरण होगा, जिनका एकमात्र उद्देश्य और जिनकी अभिलाषा काश्मीर के विरुद्ध जहाद खड़ा कर देना है। काश्मीर के शासन की बुराइयों को दूर करने के ऊपरी उद्देश्य को लेकर मुसलमानों और एङ्ग्लो-इण्डियनों की एक श्रेणी ने आपस में मिल कर षड्यन्त्र कर लिया है। परन्तु जनता ऐसी मूर्ख नहीं है कि वह एङ्ग्लो-मुस्लिम दल के रचे हुए किसी भी क़िस्से के द्वारा मूर्ख बनाई जा सके। काश्मीर-राज्य में सुधार करने या शासन की बुराइयों के दूर करने का सब शोर नक़ली है। वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही है। काश्मीर-महाराज हिन्दू हैं, यह धर्मान्धों की उच्छृङ्खलता को उत्तेजित करने के लिए काफ़ी है।

—'एडवान्स'

* * *

शौकतअली और 'मैशीन'

लन्दन में हमारे सम्वाददाता से मि० शौकतअली ने जो कुछ कहा है, वह बड़ा मनोरञ्जक है। आपने कहा, मैं मैशीन का केवल एक पुर्ज़ा हूँ, परन्तु समझौता करने के लिए मैं कोई बात उठा न रक्खूँगा। मि० शौकतअली के इस कथन में करुणापूर्ण वास्तविकता है। आख़िरकार मि० शौकतअली ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स मैशीन का पुर्ज़ा हूँ, जो कि पहले सदैव आपके लिए अपरिचित रही है। मालूम होता है कि मि० शौकतअली यह बात समझते हैं कि वे मैशीन नहीं हैं और न मैशीन के सञ्चालक हैं। मैशीन का सञ्चालन शफ़ात अहमद ख़ाँ सरीखे व्यक्ति कर रहे हैं। मि० शौकतअली ने समझौते के लिए पूर्ण प्रयत्न करने का जो वचन दिया है, उसका स्वागत है। परन्तु खेद है कि उस वचन पर दृढ़ आशा नहीं क़ायम की जा सकती। यह पहला मौक़ा नहीं है, जब कि बड़े भैया ने साम्प्रदायिक भ्रान्ति से कुछ देर के लिए स्वतन्त्र होकर ऐसी बात कही है। एक बार आप "शिमला के वातावरण" का सनसनीपूर्ण स्पष्टता के साथ वर्णन कर चुके हैं। आपने "मैशीन" की कार्रवाइयों का परिचय भी दिया था। आख़िर में परिणाम क्या हुआ? मि० शौकतअली आज स्वयम् इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे उसी मैशीन के एक पुर्ज़ा हैं, जिसकी वह एक बार निन्दा कर चुके हैं। हम उनकी इस वास्तविक बात की स्वीकृति का स्वागत करते हैं। बाक़ी के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे।

—'बॉम्बे क्रॉनिकल'

* * *

वैदेशिक बिल

जनता की राय जानने के लिए वैदेशिक बिल के वितरित किए जाने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। एसेम्बली के मौजूदा स्वरूप और उसके दलों की स्थिति को देखते हुए यह पहले से समझी हुई बात थी। प्रस्ताव का पास न होना खेद का विषय है, क्योंकि इस बिल में सरकार की ओर से शरारत किए जाने की अपरिमित शक्ति है। अगर यह बिल इसी रूप में पास हो गया, तो देश में वैदेशिक मामलों के विषय में बुद्धिमानी और स्वतन्त्रता के साथ विचार न किया जा सकेगा। किसी भी विदेशी राष्ट्र के विरुद्ध टीका करना "सम्राट् की गवर्नमेण्ट के साथ उस राष्ट्र की मैत्री में विरोध-भाव उत्पन्न करने वाला कहा जा सकेगा।" बिल का उद्देश्य इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी क़ानून को इङ्गलैण्ड के क़ानून की तरह कर देना बतलाया गया है। अङ्गरेज़ी क़ानून के अनुसार विदेशी शासकों, उपाधिधारियों, दूतों और शासन के प्रमुख सञ्चालकों के प्रति केवल अपमान और निन्दा ही दण्डनीय समझे गए हैं। यह बात निर्विवाद है कि अङ्गरेज़ी क़ानून के अनुसार लोगों को सार्वजनिक हित की बातों की टीका करने का पूर्ण अधिकार है। इस सम्बन्ध में वहाँ, अदालत ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि विदेश सम्बन्धी काग़ज़ात का इङ्गलैण्ड में प्रकाशित किया जाना अपमान या निन्दा का अपराध नहीं है। यद्यपि उसके प्रकाशित करने से उस देश के शासन में गड़बड़ होने की आशङ्का है। फ़ैसले में कहा गया है कि अगर इसे अपराध समझा गया तो बलगेरिया के विद्रोह के समय टर्की के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाना निन्दात्मक अपराध हो जायगा और देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ अपराधी पाए जाएँगे।

सार्वजनिक हित की बातों की टीका करने की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करना बहुत बुरा होगा। इसका अर्थ यह होगा कि विदेश के लोग इस देश के प्रति टीका करने के लिए इस देश की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र रहेंगे।

बिल के नियम ऐसे हैं, जिनसे कम्यूनिस्ट रूस या फ़ैसिस्ट इटली की हालतों पर भी स्वतन्त्रतापूर्वक विचार नहीं किया जा सकता। निस्सन्देह किसी भी विदेशी राष्ट्र को इस सम्बन्ध में भारत की अपेक्षा अधिक सुविधा पाने का अधिकार नहीं है। चाहे जिस दृष्टि से भी इस बिल पर विचार किया जाय, यह बिल हानिकारक है।

—'हिन्दू'

* * *

बीकानेर का लीडर प्रिन्स

भारत के जिन देशी नरेशों को लीडर बनने का शौक़ है, उनमें महाराज बीकानेर का नाम अन्यतम है। आपके मतानुसार देशसेवा का सबसे उत्तम तरीक़ा ज़बानी जमाख़र्च है। निदान अपनी लेक्चर-बाज़ियों की बदौलत आपने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है और अपनी ज़बान की तर्रारी से आप संसार को यह बताना चाहते हैं कि बीकानेर एक आदर्श राज्य है। स्वदेश-भक्त महाराज की कृपा से इस मरु-प्रदेश में उच्च विचारों की गङ्गा बह रही है। परन्तु जिस दक़ियानूसी राज्यप्रबन्ध को प्रचार के पॉलिश द्वारा चमकीला बना कर संसार के सामने रक्खा जाता है, उसकी असली हालत क्या है? इसका उत्तर उन अभियोगों से मिलता है, जो महाराजा बीकानेर की प्रजा के एक व्यक्ति ने, एक खुली चिट्ठी द्वारा महाराज पर लगाए हैं।

इस खुली चिट्ठी को पढ़ने से साफ़ पता चलता है कि बीकानेरी ढोल के अन्दर भी पोल है और महाराजा बीकानेर उतने ही प्रजापालक हैं, जितने कि नवाब भूपाल या उन्हीं की तरह के और देशी नरेश। बीकानेर की आमदनी एक करोड़ पन्द्रह लाख से अधिक है। इसमें से प्रायः दो लाख (अर्थात् प्रायः डेढ़ प्रतिशत) शिक्षा विभाग के लिए ख़र्च किया जाता है। साढ़े तेईस हज़ार वर्गमील क्षेत्रफल के अन्दर कोई प्रथक् श्रेणी का कॉलेज नहीं है। केवल एक इण्टरमीडिएट कॉलेज सर्व-साधारण के लिए और हाईस्कूल राज-कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने के लिए है। ऐसी रियासत में, जिसमें २,७०० शहर, क़स्बे और गाँव हैं, मिडिल और प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या केवल ७१ है। ऐसी दशा में यह निश्चित है कि एक पाठशाला दूसरे से दूर पर है और बच्चे शायद हवाई जहाज़ पर बैठ कर पढ़ने जाते होंगे। इसी तरह सारे राज्य के छोटे-बड़े सब मिला कर अस्पतालों की संख्या केवल ३१ है। अर्थात् ७८० वर्गमील की यात्रा समाप्त करने पर एक अस्पताल मिलता है, जिसमें एक रेलवे विभाग भी है और महाराजा बहादुर उसकी प्रसार-वृद्धि में सचेष्ट हैं। परन्तु यह रेलवे लाईन रियासत की सम्पत्ति है, इसलिए इसका प्रबन्ध भी वैसा ही है।

यह तो आदर्श महाराज की रियाया के सुख-स्वच्छन्दता का हाल है। अब ज़रा स्वयं महाराज के त्याग का हाल सुन लीजिए। आप राज्य की आमदनी

लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर धनीराम 'प्रेम' की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद' और 'भविष्य' के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी पहली ही कहानी 'डोरा' ने कहानी-संसार में हलचल मचा दी थी, बल्लरी उन्हीं की ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत सिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कहानी-लेखक' में हास्य और कौतूहल का सामञ्जस्य देख कर अवाक् रह जायँगे, वहीं 'वेश्या का हृदय' और 'वह मुस्कान' में अन्तर के घात-प्रतिघातों का चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जाना पड़ेगा। 'चाँद' और 'भविष्य' में छपी हुई कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें 'वह मुस्कान', 'गीत', और 'डोरा का रूमाल' आदि कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 'डोरा के रूमाल' का क्या हुआ। यह बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल' कहानी पढ़ने पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी।

यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार में अप्राप्य थीं। इसको प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रस की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ-भूमि का आर्तनाद एवं उसकी दयनीय विवशता देख कर हृदय छटपटा उठता है और देशभक्ति की उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न पढ़ी होंगी। भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए!

व्यवस्थापक—'चाँद' कार्यालय,
चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Registered No A—2085
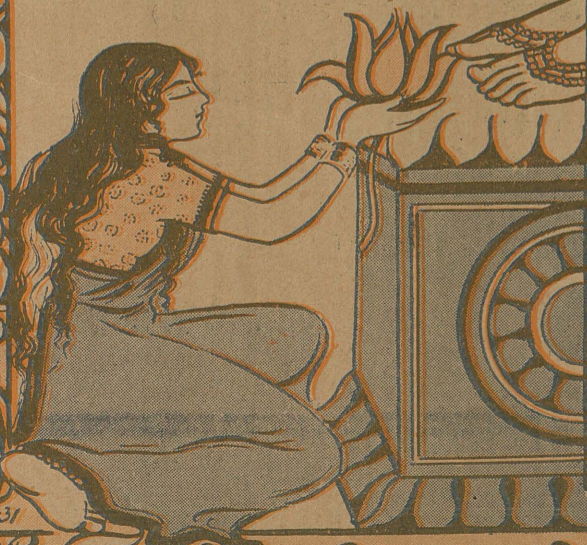
दीवाली का अनूठा उपहार

का

राजपूताना-अङ्क

"भविष्य" और "चाँद" के विद्वान् लेखक—

डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डी-लिट्, विशारद

के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा !

इसकी विशेषताएँ :—

राजपूताने की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का

सच्चा चित्र और सुधार के उपाय

इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :—

वर्तमान राजपूत कौन हैं—हूण या आर्य ?
मेवाड़—प्रताप से पूर्व और पीछे (सचित्र)
राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध
राजपूताने के प्रसिद्ध क़िले (सचित्र)
जौहर और भीषण आत्मोत्सर्ग (सचित्र)
मुग़ल-कालीन राजपूताना (सचित्र)
राजपूताने की रियासतों से अङ्गरेज़ी सरकार की सन्धियाँ ।
राजपूताना और मराठे
राजपूतों के अन्तःपुर
रियासतों का राज-प्रबन्ध
राजपूताने में राजनैतिक असन्तोष
बीजोलिया और बूँदी
ग़ुलाम और बेगार
राजपूताने के कर
मारवाड़ी व्यापारी
राजपूताने के अङ्गरेज़ी अफ़सर
डिङ्गलकाव्य
मीराबाई के भजन
जयपुर का अजायबघर
राजपूत चित्र-कला
इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि ।

शीघ्र ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage,
28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.